FOR REFERENCE ONLY

उत्तर प्रदेश शासन

U.P.

शिक्षा विभाग

वर्ष
1984-85
का
कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

(परफारमेन्स)

आय – व्ययक

NIEPA DC
D01044

-542
379.12
UTT-K

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक वर्ष 1975–76 से सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समय वर्ष 1984–85 का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक सदन के पटल पर प्रस्तुत है। कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक में वित्तीय परिव्यय को भौतिक लक्ष्यों से सुसम्बद्ध करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है। मुझे विश्वास है कि कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के उपयोग पर समुचित नियंत्रण रखने में तथा विभागीय कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा योजनाओं एवं परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वियन एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा।

लखनऊ :
24 फरवरी, 1984

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
शिक्षा सचिव।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.
Date

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
1—भूमिका—		
	प्रारम्भिक शिक्षा	1
	माध्यमिक शिक्षा	1
	उच्च शिक्षा	2
	प्रौढ़ शिक्षा	2
	राजकीय कर्मचारियों की संख्या	2
	छठी योजना का परिव्यय	3–5
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	6
	बीस सूत्री कार्यक्रम	6
	विभिन्न सूचकांकों की प्रगति	6
2—वित्तीय आवश्यकतायें:—		
	(क) कार्यक्रमों एवं क्रिया कलापों का वर्गीकरण	9–13
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	14–15
	(ग) वित्तीय साधनों के स्रोत	16–17
3—वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण—		

अनुदान संख्या—56

लेखा शीर्षक—277–शिक्षा

(क) प्राथमिक शिक्षा

(1)	निदेशन और प्रशासन	19
(2)	निरीक्षण	19–21
(3)	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	21–24
(4)	अशासकीय प्रारम्भिक विद्यालयों को सहायता	25–27
(5)	शिक्षकों का प्रशिक्षण	27–31
(6)	न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम	31–35
(7)	अन्य व्यय	35
	बालाहार योजना	35–36

(ख) माध्यमिक शिक्षा

(1)	निदेशन और प्रशासन	36–37
	निरीक्षण	38–39
(3)	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	39–40
(4)	अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	40–43
(5)	छात्र वृत्ति/छात्र वेतन	43–46
(6)	शिक्षकों का प्रशिक्षण	46–53
(7)	अन्य व्यय—	
	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद्	53–56
	(2) मनोविज्ञानशाला	56–57
	(3) केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	57–56

(8)	शैक्षिक संग्रहालय	59
(14)	प्रकीर्ण–अन्य व्यय—	59–60
	अध्यापकों को राज्य पुरस्कार	

(ग) विशेष शिक्षा

(1)	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का अव्य विभाग	61
(2)	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	61–64
(3)	संस्कृत तथा अन्य प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता	64–65
(4)	अन्य भाषाओं की शिक्षा	65

(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा

(1)	निदेशन और प्रशासन	66–67
(2)	विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता/सहायक अनुदान	67–68
(3)	राजकीय महाविद्यालय	68–71
(4)	अशासकीय महाविद्यालयों की सहायता/सहायक अनुदान	71–73
(5)	छात्रवृत्तियां	73–76
(6)	पुस्तकों की प्रोन्नति	76
(7)	अन्य व्यय	76–78
	पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	78

(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण

(1)	विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण	79
(2)	सेवानल फिटनेस कोर योजना	80
(3)	राष्ट्रीय सेवा छात्रदल	81

(छ) सामान्य व्यय

(1)	छात्रवृत्तियां एवं अन्य व्यय—	
	लेखा शीर्षक—278—कला एवं संस्कृति	82
	लेखा शीर्षक—288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	82
	लेखा शीर्षक—677—शिक्षा–कला एवं संस्कृति के लिये ऋण	84
	लेखा शीर्षक—688—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये ऋण	84
	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत प्राविभानित धनराशिः—	
1	अनुदान संख्या—71—लेखा शीर्षक—477—शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	84
2	अनुदान संख्या—72—लेखा शीर्षक—259—सार्वजनिक निर्माण कार्य	85
3	अनुदान संख्या—72—लेखा शीर्षक—459—निर्माण–अनावासिक भवन	85
4	अनुदान संख्या—74—लेखा शीर्षक—277—शिक्षा—1—सामान्य भवन	85
5	अनुदान संख्या—74—लेखा शीर्षक—477—शिक्षा—शिक्षा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ..	85
6	अनुदान संख्या—33—लेखा शीर्षक—299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र—पर्वतीय क्षेत्र—ग—शिक्षा ..	85
7	अनुदान संख्या—33—लेखा शीर्षक—299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय—3 (शिक्षा) ।	85

भूमिका

शिक्षा मानव के सर्वोन्मुखी विकास का सर्वोत्तम साधन है । शिक्षा मनुष्य को वातावरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्व का निवहन करने, स्वस्थ्य जीविकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख, स्थान दिया गया है जिसके फलस्वरूप सभी योजना अवधियों में शैक्षिक सुविधाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है । शिक्षा की मूल नीति का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना तथा प्रौढ़ शिक्षा पर बल देना है ।

शिक्षा निदेशालय में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के निदेशन, निरीक्षण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य शिक्षा निदेशक द्वारा, उच्च शिक्षा के कार्यो का संचालन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा देखे जा रहे हैं । शैक्षिक शोध सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षकों एव शक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण आयोजित करने तथा प्रदेश की विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा का प्रयोग करने का कार्य निदेशालय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा, नीति, उद्देश्य, स्वरूप एवं आकार तथा उसके नियोजन और कार्यान्वयन की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में इस कार्यक्रम के संचालन हेतु एक स्वतंत्र प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का स्वरूप दिया गया है ।

प्रारम्भिक शिक्षा

पूर्व प्रारम्भिक (नर्सरी), प्राथमिक (जूनियर बेसिक) तथा पूर्व माध्यमिक (सीनियर बेसिक) स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में है । इन विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं की प्रशिक्षित करने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालय तथा शिशु प्रशिक्षण विद्यालय हैं । मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यो की देखभाल के लिये निदेशालय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण), उप शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा), उप शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), उप शिक्षा निदेशक (उर्दू), उप शिक्षा निदेशक (अर्थ), उप शिक्षा निदेशक (महिला), सहायक शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक), सहायक शिक्षा निदेशक (बालाहार), सहायक शिक्षा निदेशक (जीवन बीमा) तथा कई सहायक उप शिक्षा निदेशक हैं । वित्तीय कार्यो के सम्पदानार्थ एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी हैं । 25 जुलाई, 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन करके जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं द्वारा संचालित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के संचालन तथा इन श्रेणियों के गैर सरकारी निजी विद्यालयों की मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य इस परिषद् को दिये गये हैं । संभाग स्तर पर इन विद्यालयों की देख-रेख का कार्य सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक एवं सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों तथा सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमकि विद्यालय स्तर की शिक्षा की देख-रेख की जाती है । एक बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के मध्यान्ह आहार की भी व्यवस्था है । इससे सम्बन्धित खाद्य सामग्री की देख-रेख हेतु सम्बन्धित जिलों में स्टोर अधीक्षकों की व्यवस्था की गई है । प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को सामान्य स्तर की पाठ्य-पुस्तकें सुलभ कराने हेतु राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के निर्माण तथा मूल्य निर्धारण करने तथा उसके लिये रियायती मूल्य के कागज की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य पाठ्यपुस्तक अधिकारी, लखनऊ द्वारा किया जाता है ।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 10 की शिक्षा हाई स्कूलों में और 12 तक की शिक्षा इण्टर कालेजों में दी जाती है । राजकीय तथा अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं का संचालन, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य भी माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किया जाता है । राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ एवं मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद आदि मुख्यतः पुरूषों के लिय तथा राजकीय महिला प्रशिक्षण, महाविद्यालय तथा राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद महिलाओं के प्रशिक्षण का कार्य करते हैं । पुरुष शिक्षकों को राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण राजकीय महाविद्यालय, रामपुर में तथा महिला को शारीरिक शिक्षा के अध्यापन का प्रशिक्षण राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में दिये जाते हैं । प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन नियमन उनके पाठ्यक्रमों तथा पुस्तकों का निर्धारण तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है । माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सुसंगठित कर उनके प्रसार एवं प्रचार के कार्यों को भलीभांति निस्तारण शिक्षा निदेशालय में विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा दिया जाता है । इनमें अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उप शिक्षा निदेशक (शिविर), उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान), सहायक शिक्षा निदेशक (भवन), एवं सहायक निदेशक (एन0 एफ0 सी0) आदि हैं । इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक उप शिक्षा निदेशक भी हैं । माध्यमिक शिक्षा स्तर के वित्तीय मामलों की देख-भाल करने के लिये निदेशालय में एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, चार वित्त एवं लेखाधिकारी तथा एक सहायक लेखाधिकारी भी हैं ।

प्रदेश के बालक/बालिकाओं के सम्पूर्ण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रशासन एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण एवं उन्हें विभिन्न प्रकार का अनुदान प्रदान करने का उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक पर है । शिक्षा निदेशक ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पदेन सभापति भी होता है । वर्ष 1975-76 से राज्य के माध्यमिक शिक्षा स्तर के

बालक/बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में समानता लाने की दृष्टि से माध्यमिक स्तर की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया गया है । हाई स्कूल की हिन्दी, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयों की और इण्टरमीडिएट की हिन्दी की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें छात्र/ छात्राओं को सुलभ करा दी गई हैं ।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा के प्रशासनिक संचालन हेतु प्रदेश को प्रशासकीय सम्भागों लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल एवं पौड़ी (गढ़वाल) में विभाजित किया गया है । सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक तथा सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यरत हैं । जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक और लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जनपदों में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें एवं 43 जिलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक भी कार्यरत हैं । प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की देख-रेख निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें उत्तर प्रदेश के माध्यम से की जाती है । निदेशालय स्तर पर इस कार्य के लिये उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) भी हैं । मुरादाबाद मण्डल के अतिरिक्त प्रत्येक सम्भाग में एक सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें भी हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित पाठशालाओं का निरीक्षण करते हैं ।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सामान्य शिक्षा के लिये सहायक अनुदान प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त कार्य शासन स्तर पर व्यवहृत होता है ।

प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय अनुदान के माध्यम से वेतन वितरण तथा इनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन उच्च शिक्षा निदेशालय, द्वारा किया जाता है । विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) पर है । उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करने का कार्य भी उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है । निदेशालय स्तर पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के सहायतार्थ एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, एक उप शिक्षा निदेशक, दो सहायक शिक्षा निदेशक तथा दो सहायक उप शिक्षा निदेशक कार्य करते हैं । उच्च शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित वित्तीय मामलों की देख-रेख करने के लिये एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, एक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा दो सहायक वित्ताधिकारी भी हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाने का उत्तरदायित्व निदेशक प्रौढ़ शिक्षा का है । प्रदेश के सभी जनपदों के 15–35 वय-वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर करने के साथ–साथ उनमें चेतना जागृत एवं व्यवहारिक दक्षता लाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अब तक 1979–80 में 5,227 केन्द्र, 1980–81 में 6,661 केन्द्र, 1981–82 में 12,777 केन्द्र तथा 1982–83 में 12,782 केन्द्र खोले गये और इनके माध्यम से कुल 37,447 केन्द्रों में 11,49,110 निरक्षर व्यक्तियों को वर्ष 1982–83 तक लाभान्वित किया गया है । वर्ष 1983–84 में 23,330 केन्द्रों के माध्यम से 7,00,000 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है । इस कार्यक्रम से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को विशेषकर लाभान्वित किये जाने की नीति है ।

राजकीय कर्मचारियों की संख्या

1 अप्रैल, 1983 को सचिवालय के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न थी:—

अधिकारी	कर्मचारी	योग
34	177	211

गत तीन वर्षों की शिक्षा विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या निम्न है—

वर्ष	राजपत्रित अधिकारी			अराजपत्रित अधिकारी		
	स्थायी	अस्थाई	योग	स्थाई	अस्थाई	योग
1	2	3	4	5	6	7
1 अप्रैल, 1981	928	1,749	2,677	22,163	17,748	39,911
1 अप्रैल, 1982	976	1,980	2,956	22,290	18,652	40,942
1 अप्रैल, 1983	916	2,409	3,325	22,805	21,963	44,768

छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शिक्षा के उद्देश्य

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा से संबंधित हमारे उद्देश्य निम्नवत् है—

प्राथमिक शिक्षा

1—6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है ।

2—ह्रास एवं अवरोध को कम करने की प्रभावी कार्यवाही हेतु पहले से चले आ रहे कार्यक्रम को और अधिक लाभप्रद बनाना तथा स्कूलों की धारण क्षमता में वृद्धि करना ।

3—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के बालक तथा बालिकाओं को विद्यालयों में भर्ती करने के लिये विशेष बल देना ।

4—नये स्कूलों का सर्वेक्षण के आधार पर वरीयता क्रम में खोला जाना ।

5—परम्परागत शिक्षण प्रणाली में यदि किसी कारणवश एक निर्धारित आयु पर कोई बालक/बालिका शिक्षण संस्था में प्रवेश न ले अथवा उसमें पढ़ते/पढ़ती न रहे तो उसे शिक्षा से वंचित हो जाना पड़ता है । इस स्थिति के निराकरण हेतु प्रदेश में 6—14 वर्ष के बालक/बालिकाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों द्वारा अंशकालीन शिक्षा दिया जाना ।

6—प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये पाठ्यक्रमों में संशोधन करना । शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ा जाना और समानोपयोगी उत्पादन कार्य का पाठ्यक्रमों में समावेश करना ।

7—गुणात्मक सुधार के लिये स्कूलों की पाठ्य—पुस्तकों के स्तर में सुधार लाना और शिक्षण और मूल्यांकन की गति-शील पद्धतियों को अपनाना, साथ ही अध्यापकों और निरीक्षकों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

माध्यमिक शिक्षा

8—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में उसके विकास के लिये सुनियोजित नीति का अपनाया जाना क्योंकि वर्तमान में यह विकास सामान्यतः स्वैच्छिक ढंग से हुआ है । अतः नये माध्यमिक विद्यालयों का पूर्ण रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खोला जाना एवं एक बड़ी सीमा तक वर्तमान विद्यालयों में ही अतिरिक्त विषयों/वर्गों तथा अनुभागों की स्वीकृति देकर बहुसंख्यक छात्र संख्या को समाविष्ट किया जाना ।

9—क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना जिससे कि प्रदेश में शैक्षिक असन्तुलन यथासंभव दूर किया जा सके ।

10—गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाना, पाठ्यपुस्तकों का स्तर उन्नत करना आदि सम्मिलित हैं ।

11—माध्यमिक शिक्षा में व्यक्तिगत, प्रबन्ध अपना योगदान दे सके इस हेतु अतिरिक्त कक्षों, प्रयोगशालाओं के निर्माण एवं साज-सज्जा विज्ञान सामग्री आदि के लिये अनुदान देना ।

अध्यापक शिक्षा

12—अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना/सेवारत पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों एवं निरीक्षकों के ज्ञान का समायानुकूल नवीनीकरण करना ।

शारीरिक विकास

13—छात्र, छात्राओं के शिक्षा के साथ सामाजिकता का प्रशिक्षण देने और उनके शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने आदि उद्देश्यों, हेतु यथेष्ट कार्यक्रमों का संचालन किया जाना ।

प्रौढ़ शिक्षा

14—15—35 वय वर्ष तक के आयु के निरक्षर प्रौढ़ विशेषकर महिला एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को साक्षर करना ।

15—साक्षर करने के साथ साथ इनमें चेतना जागृत एवं व्यावहारिक दक्षता लाना ।

16—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में चलाना ।

छठी योजना का परिव्यय

सामान्य शिक्षा का छठीं पंचवर्षीय योजना के लिये 158.20 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । 1982—83 में 48.86 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था ।

वर्ष 1983-84 में 45.64 करोड़ व्यय होने की सम्भावना है । 1984-85 के लिये ~~51.00~~ 49.80 करोड़ रुपये का परिव्यय

क्रमांक	मद	छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 1980-85		वास्तविक व्यय 1982-83	
		कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय
1	2	3	4	5	6
1	प्रारम्भिक शिक्षा	8592.44	2245.44	1851.02	520.04
2	माध्यमिक शिक्षा	4174.31	1756.31	1403.23	648.22
3	अध्यापक शिक्षा	571.51	61.51	55.08	7.22
4	उच्च शिक्षा	1600.00	470.00	873.36	142.93
5	प्रौढ़ शिक्षा	481.24	98.24	61.78	3.30
6	क्रीड़ा एवं युवक कल्याण	88.00	13.00	25.44	0.92
7	निदेशन एवं प्रशासन	182.00	45.00	24.06	7.16
9	अन्य कार्यक्रम	59.50	9.50	566.94	0.63
9	पुस्तकालय सेवा	71.00	1.00	24.64	..
	योग ..	15820.00	4700.00	4885.55	1330.42

निर्धारित किया गया है । इसका वर्गवार विवरण निम्न है—

1983–84 का परिव्यय		1983–84 का सम्भावित व्यय		1984–85 का प्रस्तावित परिव्यय	
कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय
7	8	9	10	11	12
2,104.20	582.60	2,044.71	585.07	2515.44	649.67
1,261.65	602.36	1,641.85	668.46	1457.15	653.71
69.77	8.87	72.15	18.99	83.64	16.81
418.65	139.54	433.85	135.60	475.10	120.61
186.45	4.40	181.15	4.40	203.62	5.38
39.68	3.06	31.15	1.03	53.45	3.03
35.11	7.49	32.94	9.11	39.35	10.97
87.72	1.68	105.97	1.68	90.18	0.82
18.31	..	19.96	..	64.53	..
4221.54	1350.00	4563.73	1419.34	4980.52	1461.00

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अनुसूचित जाति के उत्थान से संबंधित है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो धनराशि मात्राकृत की गई है और जो भौतिक लक्ष्य रखे गये हैं उनमें सामान्य रूप से विभाज्य परियोजनाओं में न्यूनतम 20 प्रतिशत एवं अधिकतम 60 प्रतिशत तक का लाभ अनुसूचित जातियों को दिया जाना प्रस्तावित है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 361.58 लाख की धनराशि मात्राकृत की गई थी तथा 346.014 लाख रु0 व्यय किया गया था । वर्ष 1981–82 में 600.00 लाख रु0 की धनराशि मात्राकृत की गई थी तथा 578.019 लाख रु0 व्यय किया गया था । वर्ष 1982–83 में 730.00 लाख रु0 की धनराशि मात्राकृत की गई थी । वर्ष 1983–84 के लिये 765.93 लाख रुपये की परिव्यय निर्धारित किया गया है । जिसमें से सितम्बर माह तक 385.74 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा वर्ष 1984–85 के लिये 1,000.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

20 सूत्री कार्यक्रम

1––बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों की सुविधा तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधायें सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम का अनुश्रवण केन्द्रीय स्तर पर स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है और राज्यस्तर पर मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव इनकी मानीटरिंग करते हैं ।

2––20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों का मासिक एवं त्रैमासिक फांट किया जाता हैं और इसी फांट के आधार पर प्रतिमाह और त्रैमास में लक्ष्यों की पूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

3––भौतिक लक्ष्यों में औपचारिक, अनौपचारिक छात्र संख्या, प्रौढ़ शिक्षा, बुक बैंकों की स्थापना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रावास आदि में दुकाने/बालाहार/पुष्टाहार योजना के विवरण दिये जाते हैं और वित्तीय विवरण में जूनियर एवं सीनियर बेसिक स्कूलों तथा अनौपचारिक केन्द्रों को खोला जाना, पाठ्य पुस्तक बैंक की स्थापना, भवन निर्माण की योजनायें सम्मिलित हैं ।

औपचारिक शिक्षा

(अ) नये विद्यालयों का खोला जाना—

वर्ष 1982–83 में कुल 685 प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इस लक्ष्य के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 548 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 137 नये विद्यालयों खोलने की स्वीकृत प्रदान की गई । वर्ष 1983–84 में कुल 398 प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के लक्ष्य के विपरीत 399 नये विद्यालय (मैदानी क्षेत्र में 284 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 106) खोलने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

(ब) नामांकन—

नामांकन की दृष्टि में माह सितम्बर 1983 तक 6–14 आयु वर्ष की प्रदेश की कुल छात्र संख्या 143.29 लाख थी ।

9—विभिन्न सूचकांकों की प्रगति

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अपनाये गये उद्देश्यों तथा वर्ष 1984–85 के लिये निर्धारित परिव्यय के फलस्वरूप विभिन्न सूचकांकों की प्रगति निम्नवत् है :—

मदें	1982–83	1983–84	1984–85
1	2	3	4
(क) प्राथमिक शिक्षा (वय वर्ग 6–11 वर्ष)—			
1—विद्यालयों की संख्या	7,22,00	7,25,19	7,29,24
2—छात्र संख्या (000 में)			
बालक	73,50	76,53	77,56
बालिका	34,85	36,08	35,61
योग ..	1,08,35	1,12,61	1,13,17

1		2	3	4
3—अध्यापकों की संख्या (हजार में)		254	255	255
(ख) पूर्व माध्यमिक शिक्षा (वय वर्ग 11–14 वर्ष)				
1—विद्यालयों की संख्या		13,904	13,984	14,112
2—छात्र संख्या (000 में)				
बालक		2,703	2,663	2,802
बालिका		807	796	997
	योग ..	35,10	34,59	37,99
3—अध्यापकों की संख्या (हजार में)		93	93	93
(ग) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (वय वर्ग 14–18 वर्ष)				
1—विद्यालयों की संख्या		55,50	56,50	57,00
2—छात्र संख्या (000 में)				
बालक		17,80	18,86	19,93
बालिका		440	502	565
	योग ..	22,20	23,88	25,58
3—अध्यापकों की संख्या (हजार में)		90	91	92

बजट शीर्षक	वास्तविक व्यय 1982-83			आय-व्ययक
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5
राजस्व लेखा				
213—मंत्री परिषद्—				
घ—मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान	1,29	..	1,29	1500
249—ब्याज का भुगतान—				
ङ—अन्य दायित्वों पर ब्याज				
निक्षेपों पर व्याज (भारित)	3,31,78	..	3,31,78	3,50,000
277—शिक्षा—				
(क) प्राथमिक शिक्षा—				
1—निदेशन और प्रशासन (मतदेय)	44,05	1,48	45,53	56,388
(भारित)	..	..	..	1
2—निरीक्षण	4,45,53	748	45,301	4,44,222
3—राजकीय प्राथमिक विद्यालय	78,61	..	78,61	72,559
4—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	2,10,33,23	4,70,23	2,15,03,46	2,26,00,382
5—शिक्षकों का प्रशिक्षण	5,23,78	15,44	53,922	5,30,779
6—न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम	..	5,37,52	5,37,52	..
7—अन्य व्यय	1,87,27	15,30	2,02,57	2,12,332
योग (क) प्राथमिक शिक्षा (मतदेय)	2,23,12,47	10,47,45	2,33,59,92	23,91,6062
(भारित)	..	..	..	1
(ख) माध्यमिक शिक्षा—				
1—निदेशन एवं प्रशासन (मतदेय)	1,07,04	577	11,281	1,41,701
(भारित)	..	..	..	1
2—निरीक्षण	1,57,59	11,40	1,68,99	1,88,69
3—राजकीय माध्यमिक विद्यालय	16,61,50	1,05,20	17,66,70	18,23,83
4—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	13,376,29	3,63,68	13,73,997	1,27,10,34
5—छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	95,83	64,04	15,987	97,87
6—शिक्षकों का प्रशिक्षण	1,71,60	18,56	19,016	1,86,64
7—अन्य व्यय	6,92,15	67,82	7,59,97	6,82,45
योग (ख) माध्यमिक शिक्षा (मतदेय)	1,62,62,00	6,36,47	1,68,98,47	1,58,31,52
(भारित)	..	..	..	1

आवश्यकतायें

क्रिया-कलापों का वर्गीकरण

(हजार रुपयों में)

अनुमान 1983–84			पुनरीक्षित अनुमान 1983–84			आय–व्ययक अनुमान	1984–85
आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
6	7	8	9	10	11	12	13
..	150	150	..	150	150	..	150
..	3,50,00	3,50,00	..	3,50,00	3,50,00	..	3,50,00
483	61,21	56,38	233	58,71	57,95	346	61,41
..	1	1	..	1	1	..	1
991	4,54,13	4,44,22	829	4,52,51	4,83,58	10,93	4,94,51
..	72,59	72,59	..	72,59	79,38	..	79,38
5,97,61	2,31,97,93	22,8,89,01	69,863	23,58,764	2,29,35,83	8,60,51	2,37,96,34
21,57	5,52,36	5 30,79	9,07	5,39,86	5,75,81	16,03	5,91,84
6,49,55	6,49,55	..	5,29,06	5,29,06	..	12,48,08	12,48,08
11,98	22,4,30	2,12,32	11,68	2,24,00	2,13,71	36,17	2,49,88
12,95,45	2,52,12,07	2,42,05,31	12,59,06	2,54,64,37	2,43,46,26	21,75,18	2,65,21,44
..	1	1	..	1	1	..	1
977	1,51,47	1,41,70	672	1,48,42	1,34,16	813	1,42,29
..	1	1	..	1	1	..	1
19,82	2,08,51	1,88,69	17,65	2,06,34	2,05,75	19,12	2,24,87
1,46,42	19,70,25	18,89,83	1,60,50	20,50,33	20,50,96	1,76,30	22,27,26
3,35,12	1,30,45,46	1'58,10,72	4,81,43	1,62,92,15	1,45,59,00	4,77,16	1 50,36,16
23,10	1,20,97	97,87	23,10	1,20,97	97,87	23,10	1,20,97
37,32	2,23,96	1,93,48	30,07	2,23,55	2,07,23	32,70	2,39,93
80,41	7,62,86	7,22,45	74,92	7,97,37	7,14,33	1,34,09	8,48,42
6,51,96	1,64,83,48	1,90,44,74	7,94,39	1,98,39,13	1,79,69,30	8,70,60	1,88,39,90
..	1	1	..	1	1	..	1

1	2	3	4	5
(ग) विशेष शिक्षा—				
1—प्रौढ़ शिक्षा	1,674	23,959	25,633	1,362
2—आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की प्रोन्नति	..	100	100	..
3—संस्कृत शिक्षा	41,741	4,308	46,049	45,645
4—अन्य भाषाओं की शिक्षा	..	1,434	1,434	..
योग (ग) विशेष शिक्षा	43,415	29,801	73,216	47,007
(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा—				
1—निदेशन और प्रशासन (मतदेय)	3,303	565	3,868	1,937
(भारित)	..	..	..	1
2—विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता	80,168	53,394	1,33,562	84,544
3—राजकीय महाविद्यालय	22,042	8,829	30,871	21,858
4—अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता	3,01,536	9,562	3,11,098	3,08,370
5—छात्रवृत्तियां	4,900	1,632	6,532	6,383
6—पुस्तकों की प्रोन्नति	..	..	..	..
7—अन्य व्यय	7,750	4,099	11,849	7,316
योग (घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा (मतदेय)	4,19,699	78,081	4,97,780	4,30,408
(भारित)	..	..	..	1
(ङ) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण—				
3—युवक कल्याण योजनाये (मतदेय)	43,629	2,961	46,590	47,793
(भारित)	..	..	..	5
योग (ङ) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण (मतदेय)	43,629	2,961	46,590	47,793
(भारित)	..	..	..	5
(छ) सामान्य—				
1—छात्रवृत्ति	122	..	122	24
2—अन्य व्यय	..	5,00,000	50,000	..
योग (छ) सामान्य	122	5,00,00	50,122	24
योग 277 (मतदेय)	43,64,312	3,24,238	46,88,550	45,00,046
(भारित)				8

6	7	8	9	10	11	12	13
42,935	44,297	1,330	42,242	43,572	1,410	70,774	72,184
100	100	..	100	100	..	100	100
3,564	49,209	46,845	3,424	50,269	49,468	4,795	54,263
1,035	1,035	..	3,797	3,797	..	4,005	4,005
47,634	94,641	48,175	49,563	97,738	50,878	79,674	1,30,552
2,048	3,985	1,937	2,048	3,985	2,087	1,390	3,477
..	1	1	..	1	1	..	1
4,000	88,544	86,861	4,000	90,861	97,750	4,000	1,01,750
4,965	26,823	21,858	4,962	26,820	23,348	5,517	28,865
12,190	3,20,560	3,39,393	12,190	3,51,583	3,37,099	19,830	3,56,929
894	7,277	6,379	862	7,241	5,522	936	6,458
100	100	..	100	100	..	100	100
1,077	8,393	7,814	1,157	8,971	8,166	2,640	10,806
25,274	4,55,682	4,64,242	25,319	4,89,561	4,73,972	34,413	5,08,385
..	1	1	..	1	1	..	1
5,653	53,446	46,679	5,031	51,710	50,932	6,221	57,153
..	5	5	..	5	5	..	5
5,653	53,446	46,679	5,031	51,710	50,932	6,221	57,153
..	5	5	..	5	5	..	5
..	24	24	..	24	24	..	24
..	..	..	..	..	..	5,625	5,625
..	24	24	..	24	24	5,625	5,649
2,73,302	47,73,348	48,84,125	2,85,258	51,69,383	48,07,362	4,30,511	52,37,873
..	8	8	..	8	8	..	8

1	2	3	4	5
278—कला एवं संस्कृति—				
(ग) कला एवं साहित्य की प्रोन्नति	124	..	124	160
288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—				
(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	28,894	32,014	60,908	26,,974
(ख) डिपाजिट लिन्क इन्स्योरेंस स्कीम	..	..	..	..
योग 288 ..	28,894	32,014	60,908	26,,974
पूंजी लेखा—				
677—शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिये ऋण—				
(क) सामान्य शिक्षा	3,354	..	3,354	5,,084
(ख) अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान	..	..	..	1,,116
योग—677 ..	3,354	..	3,354	6,,200
688—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये ऋण— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण।	..	..	..	..
सामान्य शिक्षा	9	..	9	..

6	7	8	9	10	11	12	13
100	260	160	100	260	160	100	260
48,347	75,321	26,974	51,998	78,972	28,153	..	28,153
..	..	..	..	..	100	..	100
48,347	75,321	26,974	51,998	78,972	28,253	..	28,253
..	5,084	5,631	..	5,631	5,658	..	5,658
..	1,116	1,236	..	1,236	1,242	..	1,242
..	6,200	6,867	..	6,867	6,900	..	6,900
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..

"ख" उद्देश्यवार

क्रम-संख्या	मदों के नाम	वास्तविक व्यय 1982–83		
		आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
1	2	3	4	5
1	वेतन	21,37,09	78,16	22,,15,25
2	महंगाई भत्ता	12,49,23	60,48	13,,09,71
3	यात्रा व्यय	1,23,08	20,11	1,,43,18
4	अन्य भत्ते	1,08,28	9,10	11,17,3
5	कार्यालय व्यय	1,50,95	45,15	1,,96,10
6	निर्माण कार्य अनुरक्षण	41,63	1,40	43,03
7	मोटरगाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	36,67	6,34	43,01
8	छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन	2,15,81	64,36	2,,80,17
9	सहायक अनुदान/अंशदान, राज सहायता	3,87,79,59	3,33,64	4,11,,13,23
10	टेलीफोन पर व्यय	5,61	63	6,24
11	अन्य व्यय	7,26,83	6,20,01	13,46,84
12	अन्तरिम सहायता	68,35	3,00	71,35
	योग—277—शिक्षा (मतदेय)	43,64,312	3,24,238	46,88,550
	(भारित)	..	..	..
13	213—मंत्रि परिषद्	129	..	129
14	249—ब्याज का भुगतान (भारित)	33,178	..	33,178
15	278—कला एवं संस्कृति	124	..	124
16	288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	28,894	32,014	60,908
	पूंजी लेखा—			
17	677—शिक्षा, कला एवं संस्कृति के लिये ऋण	3,354	..	3,354
18	688—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये ऋण	9	..	9
	कुल योग अनुदान सं0 56 (मतदेय)	43,96,822	35,62,52	47,53,074
	(भारित)	33,178	..	33,178

(हजार रुपये में)

आय-व्ययक अनुमान 1983–84			आय-व्ययक अनुमान 1984–85		
आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
6	7	8	9	10	11
2,68,659	2,08,75	28,95,34	29,71,66	1,56,23	31,27,89
9,71,33	51,33	10,22,66	12,10,92	71,60	12,82,52
1,16,83	18,04	1,34,87	1,31,11	18,41	1,49,52
1,20,67	5,32	1,25,99	1,29,60	5,71	1,35,31
3,22,20	35,79	3,57,99	3,15,85	34,08	3,49,93
27,24	2,30	29,54	97,96	9,13	1,07,09
1,37,34	4,51	1,41,85	31,54	363	35,17
2,20,93	67,67	2,88,60	2,18,79	60,02	2,78,81
3,97,81,18	22,70,90	4,20,52,08	4,22,14,77	29,50,84	4,51,65,61
5,72	65	6,37	5,96	66	6,22
6,10,43	67,76	6,78,19	7,45,46	9,94,80	17,40,26
..	..	..	..	..	..
4,50,00,468	27,33,02 ..	4,77,33,488	4,80,73,628	43,05,11 ..	5,23,78,738
1,50	..	1,50	1,50	..	1,50
3,50,00	..	3,50,00	3,50,00	..	3,50,00
1,60	1,00	2,60	1,60	1,00	2,60
2,69,74	4,83,47	7,53,21	2,82,53	..	2,82,53
62,00	..	62,00	69,00	..	69,00
..	..	..	..	..	..
4,53,35,30	32,17,49	4,85,52,79	4,84,28,25	43,06,11	5,27,34,36
3,50,08	..	3,50,08	3,50,08	..	3,50,08

क्र0सं0	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 1982–83			आय–व्यय
			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर
1	2	3	4	5	6	7
1	25–लेखा शीर्षक 277–	शिक्षा–ग–विशेष शिक्षा	..	10,00,00	10,00,00	1
2	44–लेखा शीर्षक 277–	शिक्षा–ग–विशेष शिक्षा	31,71	..	31,71	21,85
3–अ	56–लेखा शीर्षक–213	मंत्री परिषद्	1,29	..	1,29	1,50
ब	56–लेखा शीर्षक–249	ब्याज का भुगतान (भारित)	3,31,78	..	3,31,78	3,50
स	56–लेखा शीर्षक–277	शिक्षा (मतदेय)	4,36,43,12	32,42,38	4,68,85,50	4,50,00,46
		(भारित)	..	..	..	8
द	56–लेखा शीर्षक–278	कला एवं संस्कृति	1,24	..	1,24	1,60
च	56–लेखा शीर्षक–288	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,88,94	3,20,14	6,09,08	2,69,74
छ	56	लेखा शीर्षक–677–शिक्षा–कला एवं संस्कृति के लिये ऋण	33,54	..	33,54	62,00
ज	56	लेखा शीर्षक 688–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये ऋण	9	..	9	..
		कुल योग, अनुदान संख्या 56 मतदेय	4,39,68,22	35,62,52	4,75,30,74	4,53,35,30
		भारित	3,31,78	..	3,31,78	3,50,08
4	71	लेखा शीर्षक–477–शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	25,51	25,51	..
5–अ	72	लेखा शीर्षक–259–सार्वजनिक निर्माण कार्य	..	38	38	..
ब	72	लेखा शीर्षक–459–निर्माण–अनावसिक भवन	..	4,26	4,26	..
6–अ	74	लेखा शीर्षक–277–शिक्षा–1–सामान्य भवन	..	..	..	..
ब	74	लेखा शीर्षक–477–शिक्षा–शिक्षा, कला एवं संस्कृत पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,26,91	2,26,91	..
7	33	लेखा शीर्षक 299–विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र–ग–शिक्षा	..	10,89,66	10,89,66	..
8	33	लेखा शीर्षक 499–विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय–क–पर्वतीय क्षेत्र का विकास–1–सार्वजनिक निर्माण विभाग (क) भवन–3 शिक्षा	..	..	..	..
		योग–विभिन्न अनुदानों के पूंजीगत निर्माण कार्यक्रम 4 से 8 तक	..	13,46,72	13,46,72	..
		महायोग मतदेय	4,39,99,93	59,09,24	4,99,09,17	4,53,57,16
		भारित	3,31,78	..	3,31,78	3,50,08

तों के स्रोत (हज़ार रुपयों में)

अनुमान 1983-84		पुनरीक्षित अनुमान 1983-84			आय-व्ययक अनुमान 1984-85		
आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
8	9	10	11	12	13	14	15
	1	1	..	1	1	..	1
	21,85	22,60	..	22,60	22,60	..	22,60
	1,50	1,50	..	1,50	1,50	..	1,50
	3,50	3,50	..	3,50	3,50	..	3,50
27,33,02	4,77,33,48	4,88,41,25	28,52,58	5,16,93,83	4,80,73,62	43,05,11	5,23,78,73
..	8	8	..	8	8	..	8
1,00	2,60	1,60	1,00	2,60	1,60	1,00	2,60
4,83,47	7,53,21	2,69,74	5,19,98	7,89,72	..	2,82,53	2,82,53
	62,00	68,67	..	68,67	69,00	..	69,00
	..	..	..	..	..	..	..
2,17,49	4,85,52,79	4,91,82,76	33,73,56	5,25,56,32	4,84,28,25	43,06,11	5,27,34,36
..	3,50,08	3,50,08	..	3,50,08	3,50,08	..	3,50,08
4,21	14,21	..	3,10	3,10	..	51,36	51,36
36	36	..	36	36	..	36	36
..	..	..	40	40	..	30	30
..	..	..	59	59	..	..	..
1,18,70	1,18,70	..	1,42,67	1,42,67	..	81,98	81,98
10,77,12	10,77,12	..	13,11,85	13,11,85	..	14,23,51	14,23,51
1,70,00	1,70,00	..	3,20,00	3,20,00	..	90,22	90,22
13,80,39	13,80,39	..	17,78,97	17,78,97	..	16,47,73	16,47,73
5,97,88	4,99,55,04	4,92,05,37	51,52,53	5,43,57,90	4,84,50,86	59,53,84	5,44,04,70
	3,50,08	3,50,08	..	3,50,08	3,50,08	..	3,50,08

राजस्व लेखा

213—मंत्रि परिषद्

घ—मंत्रियों द्वारा विनियोजनुदान

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय—व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	129	150	150

249—ब्याज का भुगतान

ङ—अन्य दायित्वों पर ब्याज, निक्षेपों पर ब्याज

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय—व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	3,31,78	3,50,00	3,50,

क—प्राथमिक शिक्षा

...त और प्रशासन—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
...र (मतदेय)	44,05	56,38	57,95
(भारित)	..	1	1
...त	1,48	2,33	3,46

...सिक शिक्षा के सुचारु संचालन हेतु वर्ष 1972–73 में बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था। बेसिक शिक्षा के ...सरी एवं किण्डर गार्डेन प्राइमरी एवं मिडिल स्तर की शिक्षा दी जाती है। इसके प्रशासन नियंत्रण एवं कार्यों के निस्तारण ...ज्य स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नवत है :

अधिकारियों के पद	वेतनमान	पदों की संख्या
...र शिक्षा निदेशक (बेसिक)	1840–2400	1
...क्त शिक्षा निदेशक (अर्थ/अनौपचारिक शिक्षा)	1860–2300	2
...शिक्षा निदेशक (अर्थ/उर्दू/प्रारम्भिक/महिला/विज्ञान)	1360–2125	5
...चिव, बेसिक शिक्षा परिषद्	1360–2125	1
...यक निदेशक (जीवन बीमा/प्रारम्भिक/बालाहार/(सामाजिक शिक्षा)	1250–2050	4
...य पुस्तक अधिकारी	1250–2050	1
...त्त एवं लेखाधिकारी (निदेशालय/परिषद्)	1250–2050	2
...सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्	1250–2050	1
...एवं लेखाधिकारी	850–1720	1
...यक उप शिक्षा निदेशक (प्रशि0/प्रा0/सामा0)	850–1720	3
...सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्	850–1720	1
...अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)	850–1720	1
...पाठ्य पुस्तक अधिकारी	770–1600	1
...अधिकारी	690–1420	1
...क	770–1600	1
...अधिकारी	770–1600	1
...यक शोध अधिकारी (अनौ0 शि0)	770–1600	1
...रीक्षक कला-कौशल	450–950	1
योग . .		29

...वित्तीय वर्ष 1984–85 में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 2,70 हजार रुपये की वृद्धि है जो मुख्यतः बेसिक शिक्षा निदेशालय ...र्मचारियों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि तथा सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों के कार्यालयों में बेसिक शिक्षा के कार्यों के सम्पा-...दित पदों की व्यवस्था होने के कारण है।

...क्षण—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
...र	4,45,53	4,44,22	4,83,58
...त	7,48	8,29	10,93

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत निरीक्षण वर्ग के अधिकारियों का कार्य बालक तथा बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर तक की विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की देखरेख तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं का चयन, नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा समय से उनके वेतन वितरण की व्यवस्था करना है । राजकीय दीक्षा विद्यालयों (बालक/बालिका) के लिये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं चयन के कार्य भी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा संपादित किया जाता है । अतएव इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तर के निरीक्षक वर्ग के अधिकारियों, उनके कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा कार्यालयों के विभिन्न व्ययों के लिये प्राविधान किया जाता है ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम-संख्या	अधिकारियों के पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु०	
1	सहायक निदेशक (बेसिक)	1250–2050	6
2	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	850–1720	56
3	अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला)	850–1720	48
4	निरीक्षक, अरबी मदरसा	850–1720	1
5	जनसंख्या शिक्षा अधिकारी	770–1600	9
6	उप विद्यालय निरीक्षक	770–1600	56
7	उप विद्यालय निरीक्षक (उर्दू माध्यम)	770–1600	10
8	अपर उप विद्यालय निरीक्षक	770–1600	36
9	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका	770–1600	53
10	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक (बालाहार)	350–700 (पुराना वेतन)	9
11	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक (चयन वेतन मान)	350–700 (पुराना वेतन)	86
12	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक	540–910	1152
13	सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	540–910	330
14	स्टोर अधीक्षक (बालाहार)	515–860	41
15	स्टोर अधीक्षक (बालाहार)	430–685	6
16	सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें	770–1600	11
17	पर्यवेक्षक (अनौ० शिक्षा)	325–575 (पुराना वेतन)	112
		योग ..	2,022

प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित अधिकारियों के लिये निम्नवत, निरीक्षण दिवस निर्धारित है :

क्रम संख्या	पद का नाम	शिक्षा संहिता का अनुच्छेद	निरीक्षण दिवस का विवरण
1	2	3	4
1	उप विद्यालय निरीक्षक	31	वर्ष में 150 दिन, प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना होता है ।
2	विद्यालय प्रति उप निरीक्षक	39	वर्ष में 200 दिन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का मासिक तथा प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना होता है ।

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय
(रुपये लाख में)
9467.418
11466.357
10125.117
11619.462
12754.390
12823.030
17144.670
18529.160
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84

इस वर्ष इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 4,94,51 हजार रुपये का प्राविधान है जो निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन आदि तथा के कार्यान्वयन हेतु किया गया है ।

—राजकीय प्राथमिक विद्यालय—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	78,61	72,59	79,38
आयोजनागत	..	..	..

राज्य के समस्त बालकों के राजकीय प्राथमिक विद्यालय शासन के आदेशानुसार 1 अप्रैल, 1974 से बेसिक शिक्षा परिषद् हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । इस शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत प्राविधान केवल बालिकाओं के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिये हैं ।

इस शीर्षक के अन्तर्गत 6,79 हजार रुपयों की वृद्धि हुई जो मुख्यतः राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ...ला कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों के लागू होने के फलस्वरूप है ।

—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की सहायता—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	2,10,33,23	2,28,89,01	2,29,35,83
आयोजनागत	4,70,23	6,98,63	8,60,51

अशासकीय प्रारम्भिक विद्यालयों की शिक्षा को स्तरानुसार तीन वर्गों में विभाजित किया गया है :

(1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा (शिशु शिक्षा) ।

(2) प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक शिक्षा) ।

(3) पूर्व माध्यमिक शिक्षा (सीनियर बेसिक शिक्षा) ।

...थमिक शिक्षा (शिशु शिक्षा) :

...वर्ग 3 से 6 वर्ष के बालक/बालिकाओं की पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है अधिकांश पूर्व प्राथमिक ...निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित हैं। इस स्तर की शिक्षा अभी तक मोटे तौर पर नगरों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों ...शु विद्यालयों की संख्या नगण्य है।

प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य में दो राजकीय एवं तीन अशासकीय महिला प्रशिक्षण महा–...लय हैं जिसमें 2 वर्षीय सी0 टी0 (नर्सरी) पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा 154 ...कायें प्रति वर्ष प्रशिक्षा करने हेतु स्थान निर्धारित है। राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में शिशु प्रशिक्षण ...शिष्टता प्रदान करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

प्रदेश के 48 शिशु विद्यालय सहायता प्राप्त हैं। गत दो वर्षों में इन विद्यालयों को स्वीकृत अनुरक्षण अनुदान की धनराशियां ...था 1984–85 का बजट प्राविधान का विवरण निम्नवत् है :—

(हजार रुपए में)

वर्ष	अनुदान
1982–83	6,00
1983–84	6,00
1984–85	6,00

...मक शिक्षा (जूनियर बेसिक शिक्षा) :

भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है । अतः ...मिक शिक्षा के प्रसार को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। छठवीं योजना काल में बच्चों को एक किलो मीटर की परिधि ...ाथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य सामने रखा गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1983–84 में मैदानी

जिलों में 232 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल नगर क्षेत्रों में खोले गए हैं तथा पर्वतीय क्षेत्र में 85 मिश्रित बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।

वर्ष 1984-85 में मैदानी क्षेत्रों में 240 मि0 जू0 बे0 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में तथा पर्वतीय क्षेत्र में 85 मि0 जू0 बे0 स्कूल खोलने की प्रस्तावना है।

प्राथमिक शिक्षा में हुई प्रगति का आभास निम्नलिखित तालिकाओं में उल्लिखित विगत 3 वर्षों के आंकड़ों से स्पष्टतया परिलक्षित होता है।

वर्ष	विद्यालय संख्या	छात्र संख्या (हजार में)			अध्यापक संख्या (हजार में)	प्राथमिक विद्यालय सहायक अनुदान (हजार रु0)
		बालक	बालिका	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1981-82	71,667	6,677	3,188	9,865	253	1,43,93,446
1982-83	72,200	7,350	3,485	10,835	254	1,90,56,000
1983-84	72,519	7,653	3,608	11,261	255	2,03,12,912

पूर्व माध्यमिक शिक्षा :

राज्य में पूर्व माध्यमिक विद्यालय (सीनियर बेसिक स्कूल) की संख्या में भी क्रमिक विकास हो रहा है, जो विगत तीन वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	प्राइमरी विद्यालयों की संख्या			पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		
	ग्रामीण	नगर	योग	ग्रामीण	नगर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1981-82	64,898	6,769	71,667	11,677	2,075	13,752
1982-83	65,399	6,801	72,200	11,829	2,075	13,904
1983-84	65,716	6,803	72,519	11,909	2,075	13,984

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वय वर्ग 6-11 वर्ष तथा 11-14 वर्ष के बालक और बालिकाओं का प्रतिशत जो विद्यालयों में आ रहे हैं, नीचे की तालिका में दिया जा रहा है :—

वर्ष	वय वर्ष 6-11 वर्ष		वय वर्ग 11-14 वर्ष	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5
1981-82	86	44	53	18
1982-83	92	47	60	20
1983-84	91	47	60	20

ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के हिसाब से वर्ष 1982–83 के अन्त तक चल रहे तथा वर्ष 1983–84 में खोले गए प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है :—

विद्यालय	वर्ष 1982–83 के अन्त तक			वर्ष 1983–84 में खोले गए		
	ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग	ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिक विद्यालय	65,399	6,801	72,200	317	2	319
पूर्व माध्यमिक विद्यालय	11,829	2,075	13,904	80	..	80

वर्ष 1983–84 में खुले विद्यालय :

छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1983–84 में ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में खोले गए बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में मैदानी क्षेत्र में 232 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 85 विद्यालय खोले गए।

(2) नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 2 प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में मैदानी क्षेत्र में 50 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 30 विद्यालय खोले गये। वर्ष 1984–85 में इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 113 विद्यालय तथा पर्वतीय क्षेत्र में 15 विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

(4) प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार के दृष्टिकोण से वर्ष 1983–84 में 300 रु0 प्रति विद्यालय की दर से पर्वतीय क्षेत्र के 1,063 विद्यालयों हेतु 31,900 रु0 तथा मैदानी क्षेत्र के 2,234 विद्यालयों के लिए 670,200 रु0 की स्वीकृति विज्ञान शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए प्रदान की गई है।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या वृद्धि करने तथा स्थिरता लाने हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1983–84 में पर्वतीय क्षेत्र में 31,331 छात्र तथा मैदानी क्षेत्र में 368954 छात्रों को 3 रु0 प्रति छात्र/छात्रा की दर से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये क्रमशः 93,993 व 1106,862 रु0 की स्वीकृति दी गई।

(6) निर्धन छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक बैंक स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983–84 में मैदानी क्षेत्र के 1,280 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक बैंक की स्थापना हेतु वर्ष 1983–84 में 12,59,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत खोले गये नवीन विद्यालयों पर निम्नलिखित पदों पर 8 माह में होने वाले औसत व्यय का विवरण निम्नवत् है :—

विद्यालय	अध्यापक वर्ग (क)	विज्ञान उपकरण	काष्ठोपकरण	आकस्मिक व्यय
1	2	3	4	5
(क) प्राथमिक विद्यालय :—				
1—ग्रामीण क्षेत्र—				
मैदानी भाग	4,181	300	400	220
पर्वतीय भाग	8,923	300	600	220
2—शहरी क्षेत्र—				
मैदानी भाग	15,036	..	2,000	300
पर्वतीय भाग	25,688	..	2,000	300
(ख) पूर्व माध्यमिक विद्यालय :—				
ग्रामीण क्षेत्र— :				
मैदानी भाग	16,924	5,500	3,000	1,000
पर्वतीय भाग :				
पर्वतीय	31,134	5,000	3,300	1,000
सीमान्त	33,430	..	..	..

टिप्पणी:—(क) स्तम्भ 2 में प्रदर्शित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों पर होने वाले व्यय में ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्यापकीय तथा नगर क्षेत्र में मैदान में 3 तथा पर्वत में 5 अध्यापकीय विद्यालय की गणना की गई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मैदानी क्षेत्रों के दो तथा पर्वतीय क्षेत्रों के चार सहायक अध्यापकों के व्यय का आगणन किया गया है:—

भवन रहित विद्यालयों की स्थिति

विद्यालयों की संख्या		उपलब्ध भवनों की संख्या		विद्यालय भवन रहित	
प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक
1	2	3	4	5	6
72519	13984	53257	11244	19262	2740

बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी

जिलों में कार्यरत बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन क्रमानुसार पदों की संख्या निम्नवत् है:—

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदो की संख्या 1-4-83 की स्थिति के अनुसार	वेतनक्रम
1	2	3	4
1—शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका :—			
	(क) महापालिका (ग्रेड-1)	10	625-1,240
	(ख) पालिका (ग्रेड-2)	59	550-940
	(ग) पालिका (ग्रेड-3)	34	515-860
	(घ) पालिका (ग्रेड-4)	23	470-735
2—सहायक उपस्थिति अधिकारी (पुरुष/महिला)			
	(क) महापालिका	42	400-612
	(ख) पालिका 1, 2, 3,	110	354-550
3—प्रधान लिपिक:—			
	(क) महापालिका एवं पालिका-1	42	470-735
	(ख) जिला परिषद्	54	470-735
	(ग) पालिका 2, 3	11	430-685
4—सहायक लेखाकार जिला परिषद्		26	430-685
5—विभागीय अथवा अनुभागीय लेखाकार महापालिका		6	430-685
6—लिपिक ग्रेड-1	महापालिका	45	354-550
	पालिका/परिषद्	246	354-550
7—लिपिक ग्रेड-2		743	354-550
8—लिपिक ग्रेड-3		400	354-550
9—खेल अधीक्षक		1	430-685
10—दफ्तरी		177	315-440
11—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		11,668	305-390
12—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		7,698	350-नियत
13—स्टोर कीपर (जिला परिषद्)		3	354-550
14—स्टोर कीपर जिला परिषद् (पालिका)		17	354-550

परिषदीय अध्यापकों/अध्यापिकाओं का विवरण

1—प्रधान अध्यापक/अध्यापिका सीनियर बेसिक विद्यालय	7,658	490-860
2—सहायक अध्यापक/अध्यापिका सीनियर बेसिक विद्यालय	34407	(क) 400-620 (नान इण्टर के लिये) (ख) 450-720 (इण्टर के लिये)
3—प्रधान अध्यापक जूनियर बेसिक विद्यालय	57391	400-620
4—सहायक अध्यापक जूनियर बेसिक विद्यालय	185746	365-555

IV अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

प्रत्येक वर्ष बालक तथा बालिकाओं के नये पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुलते हैं, जिनको अस्थायी एवं स्थायी मान्यता दी जाती विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विद्यालयों को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है । प्रति वर्ष इनकी संख्या वृद्धि हो रही है ।

बालक तथा बालिकाओं के विद्यालयों को सहायक अनुदान नामक शीर्षक के अन्तर्गत सज्जा एवं काष्ठोपकरण इत्यादि के लिये तर्क अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों पर मई, 1979 से वेतन वितरण अधिनियम लागू हो गया है । अन्तर्गत प्रदेश के असहायिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को क्रमशः अनुदान सूची पर लाया जा रहा है । वर्ष 1981–82 पर्वतीय क्षेत्र में 12 और मैदानी क्षेत्र के 101 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया है । वर्ष 1982–83 में पर्वतीय के 10 एवं मैदानी क्षेत्र के 93 विद्यालयों को अनुदानित किया गया है । वर्ष 1983–84 में मैदानी क्षेत्र के 100 तथा पर्वतीय के 10 विद्यालयों को अनुदानित करने का प्राविधान किया गया है । पर्वतीय जनपदों में सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक ों को भवन अनुदान की परियोजना वर्ष 1981–82 में संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में 21 और वर्ष 2–83 में 7 विद्यालयों को उक्त अनुदान स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1983–84 में 7 विद्यालयों को उक्त अनुदान देने हेतु 4,14,000 का बजट प्राविधान किया गया है । वर्ष 1984–85 में भी 7 विद्यालयों को अनुदानित करना प्रस्तावित है ।

छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत पर्वतीय तथा मैदानी जिलों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली कतिपय छात्रवृत्तियों का विवरण वत् है:—

(हजार रुपयों में)

छात्रवृत्तियों का नाम	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान	छात्र वृत्तियों की संख्या एवं दर
2	3	4	5	6
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति	1,62	1,62	1,62	5 रु0 प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से 448 छात्रवृत्तियां ।
के प्रत्येक जिलों में कक्षा 6–8 में दी जाने वाली योग्यता छात्र वृत्तियां	17,96	18,81	23,09	10 रु0 प्रतिमाह की दर से 2,899 छात्रवृत्तियां ।
प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को छात्र-वृत्तियां	55	55	55	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर प्राइमरी स्तर पर 116 छात्रवृत्तियां दर रु0 3 प्रति-माह व 250 रु0 पुस्तकीय सहायता 10 रु0 प्रति छात्र ।
1962 तथा 1965 के युद्धों में मारे गये अथवा अपंग युद्ध-बन्दियों के बच्चों/विधवाओं को शैक्षिक सुविधायें ।	10	10	10	क्रमांक–3 में अंकित दरों पर ।

इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा दल के आश्रित बच्चों को 5, वीर चक्र शृंखला विजेताओं के बच्चों को 4, सीमान्त क्षेत्रों में स्त क्षेत्रों में तैनात जवानों के आश्रित बच्चों को 2, बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीयों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु 2 तथा क्षेत्र के संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 6 को छात्रवृत्ति का प्राविधान है ।

पुनर्व्यवस्था/कार्यानुभव योजना

बालकों को अधिक स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा पुर्नव्यवस्था योजना के अन्तर्गत 2552 यों में कृषि एवं शिल्प विषय को मुख्य रूप में अंगीकृत किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के 2,903 कार्य कर रहे हैं । कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत भी 214 विद्यालयों में 214 अध्यापक कार्यरत हैं । शिक्षित बेरोजगारों

को रोजगार दिलाने की दिशा में इन योजनाओं के संचालन हेतु विगत दो वर्षों तथा 1984–85 में स्वीकृत बजट प्रावधान के आंकड़े नीचे तालिका में अंकित हैं:–

(हजार रु0 में))

वित्तीय वर्ष	पुनर्व्यवस्था योजना	कार्यानुभव योजना
1	2	3
1982–83 (वास्तविक)	2,32,09	19,23
1983–84 (प्रत्याशित)	2,33,37	20,92
1984–85 (आय-व्ययक)	2,58,25	22,89

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का पाठ्य पुस्तक विभाग

वर्ष 1982–83 में कक्षा 1 से 8 की कुल 81 राष्ट्रीयकृत पाठ्य–पुस्तकों की 4,96 करोड़ प्रतियों प्रदेश के 8111 अनुमोदित मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा मुद्रित/प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की गयी । इनके आवरण-पृष्ठ राजकीय मुद्रणालय में ही सुरक्षात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत मुद्रित कराये गये । इनमें से हिन्दी में 41, संस्कृत में 3, अंग्रेजी में 4 और उर्दू में 33, विभिन्न विषयों की पाठ्य–पुस्तकें हैं ।

2—राज्य सरकार द्वारा गठित मूल्य–निर्धारण समिति की संस्तुति के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत पाठ्य–पुस्तकों का मूल्य शासन द्वारा वर्ष 1980 से अब तक प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया गया । इस मूल्य–निर्धारण में राय्ल्टी का प्रतिशत 10 के स्थान पर 1.5 ही रखा गया ताकि विद्यार्थियों को पुस्तकें यथासंभव कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकें ।। इसी दृष्टि से शासन ने सभी राष्ट्रीयकृत तथा स्वीकृत पाठ्य–पुस्तकों का रियायती दर के कागज पर मुद्रण, इस कागज की उपलब्धता की स्थिति में अनिवार्य कर दिया था । वर्ष 1982 में कागज की मिलों द्वारा कागज की दरों के संबंध में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण कागज की उपलब्धता प्रभावित हुई और पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ बजट विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया गया । वर्ष 1982–83 की अधिकांश अवशेष पुस्तकों का ही मुद्रण कराया गया ।

3—पाठ्य–पुस्तक विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य–पुस्तकों का मुद्रण की दृष्टि से विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्य–पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है ।

अरबी मदरसे

प्रदेश में अरबी–फारसी शिक्षा की देख–रेख तथा प्रोत्साहन का कार्य निरीक्षक, अरबी मदरसा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है । इस कार्य हेतु निरीक्षक का एक पद 850–1,720 रु0 के वेतनमान में तथा लिपिकीय एवं चतुर्थ–वर्गीय कर्मचारियों के क्रमशः 5 और 3 पद सृजित हैं ।

7—निरीक्षक, अरबी मदरसा, अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के पदेन रजिस्ट्रार भी हैं उनके द्वारा विभाग की 5 परीक्षायें संचालित की जाती हैं, जिनमें से फारसी की (मुन्शी तथा कामिल) तथा 3 अरबी की (मौलवी, आलिम तथा फाजिल) हैं । मान्यताप्राप्त मदरसों में निर्धारित पाठ्य-क्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है । इन मदरसों में अरबी तथा फारसी की परीक्षाओं के लिये छात्र तैयार किये जाते हैं । विगत तीन वर्षों में मान्यताप्राप्त अरबी मदरसों की संख्या, छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या निम्नवत् है:—

वर्ष	सहायताप्राप्त मदरसे	असहायता प्राप्त मदरसे	कुलमदरसे	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या
1	2	3	4	5	6
1981–82	209	125	234	58,786	4,037
1982–83	213	118	331	64,665	4,440
1983–84	222	109	331	67,700	4,500

अरबी शिक्षा के विकास के लिये विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं । अनुरक्षण अनुदान की स्वीकृति संभागीय उपशिक्षा निदेशक द्वारा दी जाती है । इन मदरसों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध है । स्थायी मान्यताप्राप्त मदरसों में से कुछ मदरसों को शासन द्वारा अनुदान सूची पर लाया जाता है ।

अरबी और फारसी की परीक्षाओं में विगत 3 वर्षों में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आदि विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय
1	2	3	4
1981–82	3,985	2,814	46,360
1982–83	4,760	3,046	65,768
1983–84	5,114	3,745	69,621

शिक्षकों का प्रशिक्षण—

(हजार रूपयों में)

वर्ष	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनेतर	5,23,78	5,30,79	5,75,81
आयोजनागत	15,44	9,07	16,03

प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका सुलभ कराने हेतु राजकीय दीक्षा विद्यालयों के पुनर्गठन के 1981 से 61 पुरुषों के एवं 56 महिलाओं के राजकीय दीक्षा विद्यालय है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये 4 बी0 टी0) कक्षायें भी चलाई जा रही है, प्रत्येक की प्रवेश संख्या 15 है। इनमें दो राजकीय उर्दू दीक्षा विद्यालय मेरठ तथा आगरा में है। शेष दो कक्षायें राजकीय संभागीय शिक्षा संस्थान, लखनऊ तथा राजकीय दीक्षा विद्यालय वाराणसी से संलग्न इकाई के रूप में चल रही है। प्रवेश क्षमता 25 प्रति पुरुष दीक्षा विद्यालय 20 प्रति महिला विद्यालय 15 प्रति उर्दू इकाई के हिसाब से 1525 (पुरुष) एवं 1,120 (महिला) एवं 60 उर्दू की है।

वर्ष 1983–84 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक महिला तथा एक पुरुष दीक्षा विद्यालय में पुनर्बोधात्मक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इस समय मैदानी क्षेत्र में तीन फेरे में तथा पर्वतीय क्षेत्र में पुरुषों के चार प्रशिक्षण के तीन फेरे में चलाये जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण 15 दिन का है। प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका को 60 रुपये भत्ता तथा 75 रु0 प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों, जिनकी सेवा अवधि 1 जुलाई 1978 को पांच वर्ष से कम है को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्रदान करने; पांच वर्ष या अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की अवधि की शिक्षकों के कार्य तथा अनुभव के आधार पर परीक्षा लेने 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि के शिक्षकों को प्रशिक्षण से छूट देने का प्राविधान किया गया है।

अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में एक पत्राचार प्रणाली केन्द्र स्थापित है जो पत्राचार प्रणाली द्वारा बी0 टी0 सी0 प्रदान कर रहा है। कार्य तथा अनुभव पर आधारित परीक्षा रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जाती है। बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट देने का कार्य संबंधित संभागीय उपशिक्षा निदेशक तथा बालिका विद्यालय निरीक्षकाओं द्वारा किया जा रहा है।

पूर्व माध्यमिक स्तर की अध्यापिकाओं को राजकीय गृहविज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में दो वर्षीय सी0 (गृह विज्ञान) प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जुलाई 1977 से 4 पुरुष तथा 3 महिला ट्रेनिंग स्कूल प्रशिक्षण महाविद्यालय को राजकीय संभागीय शिक्षा संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का प्रारम्भिक

राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र म गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नयन के लिए प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0, इलाहाबाद 9 फरवरी, 1964 से कार्यरत है । यह संस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है । इस संस्थान में मुख्य, प्राविधिक, अनौपचारिक शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा इकाईयों के साथ पत्राचार अनुभाग भी है जो अपने सप्तमी कार्य पांच रूपों म [(क) शोध, (ख) यूनीसेफ की सहायता से कार्यक्रम, (ग) प्रशिक्षण, (घ) प्रकाशन तथा (ङ) प्रसार–सम्पादित] करता है । इनका विवरण निम्नवत् है—

(क) शोध कार्य

(1) ह्रास एव अवरोध परियोजना—इस परियोजना के अन्तर्गत पांच वर्षों के लिये 1981–82 में दो नये विकास क्षेत्र सिराथू एवं कौड़िहार का चयन किया गया । विकास क्षेत्र कौड़िहार के समस्त 64 प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल तथा सिराथू के 68 प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल इस परियोजना को चलान के लिये चुन गये है । इस का उद्देश्य इन क्षेत्रों में ह्रास–अवरोध को कम करना तथा प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तगत ह्रास अवरोध निवारण परियोजना का समावेश करना है ।

(2) भाषा पाठ्य पुस्तकों (हिन्दी) का विश्लेषण—

स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर प्राथमिक स्तरीय हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु का विश्लेषण करना ।

(ख) यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनायें—

(1) परियोजना संख्या–1–ए (एन0 एच0 ई0 ई0 एस0) अग्रगामी चरण–पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा व पर्यावरणीय स्वच्छता इस परियोजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं—

(1) बच्चों एवं उनके अभिभावकों को यह समझाना कि उनके उत्तम स्वास्थ्य सामान्य शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु उचित पोषण आवश्यक है ।

(2) बच्चों को पौष्टिक भोजन का चयन, उसकी तैयारी तथा संरक्षण संबन्धी ज्ञान देना ।

(3) वांछनीय स्वास्थ्यप्रद पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी प्रवृत्तियों का विकास करना ।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 100 प्राइमरी विद्यालयों का चयन किया गया है । यह विद्यालय इलाहाबाद जनपद के कौड़िहार तथा चायल विकास खण्डों के है, जहां के अधिकतर निवासी आदिवासी, परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति के हैं । इन क्षेत्रों की प्रचलित पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को जानने के लिये सवक्षण हेतु निर्धारित तीन प्रपत्र अ, ब, स म प्रापत्र "अ" विद्यालय सम्बन्धी प्रपत्र, "ब" परिवार सम्बन्धी प्रपत्र "स" ग्राम सम्बन्धी सूचना से सम्बन्धित है । यह प्रपत्र मुद्रित कराके परियोजनान्तर्ग विद्यालयों के शिक्षकों को समझाकर वितरित किये गये । विकास खण्ड (स्तरीय) निरीक्षण अधिकारियों का परियोजना सम्बन्धी अभि नवीकरण किया गया तथा इसकी प्रगति सम्बन्धी जानकारी हेतु प्रत्येक माह नियमित रूप से गोष्ठी होती हैं । प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति जानने के लिये यह तीनों प्रपत्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों म भेजे गये, सम्प्रति पूरित प्रपत्र संस्थान को प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके संकलन का काय प्रगति पर है ।

(2) परियोजना संख्या 2—प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण की परियोजना राज्य के 15 जनपदों के 150 प्राइमरी विद्यालयों में चलाई जा रही है । परियोजना का लक्ष्य ऐसे पाठ्यक्रमों का विकास करना है जो बालक को पर्यावरण तथा रहन सहन के ढंग के अनुकूल हो । इस परियोजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं—

1—ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करना जो अब तक शिक्षा सुविधा से वंचित तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के बालक/बालिकाओं को आकर्षित कर सकें तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । पाठ्यक्रम लचीला हो तथा साथ ही साथ उपयोगी एवं सार्थक भी हो ।

2—नवीन विकसित पाठ्यक्रम के आधार पर शैक्षणिक सामग्रियों का विकास करना तथा उनका निर्माण करना ।

3—शिक्षकों की योग्यताओं में गुणात्मक विकास करना ।

4—शैक्षिक कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करना ।

5—समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के संचालन हेतु स्थानीय संशोधनों का प्रयोग ।

कक्षा 1 से 5 तक समस्त विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करके प्रकाशित कराया गया है तथा परियोजनाग्रत सभी विद्यालयों को भेज गया है । पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षक सदर्शिकाय भी तयार की गयी है । अभिनवीकरण गोष्ठियां एव प्रशिक्षण कायक्रम आयोजित किये गये हैं ।

(3) परियोजना संख्या 3—सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता में विकासात्मक क्रिया कलाप—राज्य के 5 सामुदायिक केन्द्र पर परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय न जाने वाली जनसंख्या के लिये शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति एव विकास हेतु उपयोगी कार्यक्रम चलाना है । क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को चलाने वाले विभिन्न अभिकरणों की मदद से अनक कायक्रम चलाकर समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना भी इस योजना का लक्ष्य है । राज्य म इस समय इस का हेतु 5 केन्द्र चलाय गये हैं । इन केन्द्रों पर 0–3 वय वर्ग तथा प्रत्यासी माताओं के लिये कार्यक्रम, 3–6 वय वर्ग के लिये नर्सरी शिक्षा 6–14 वय वर्ग के लिये अनौपचारिक शिक्षा तथा 15–35 वय वर्ग के लिये प्रौढ़ शिक्षा, 9–14 वय वर्ग के लिये अनौपचारिक शिक्षा तथ

35 वय वर्ग के लिये सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है । स्थानीय क्राफ्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । केन्द्रों पर ...तिक तथा सामूहिक कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं ।

(4) परियोजना संख्या—5 (प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम) इस परियोजना के अन्तर्गत 9 से 14 वय वर्ग के उन बच्चों को ...ा दी जायेगी, जो किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ गये हैं अथवा उन्होंने विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया है । प्रदेश म परियोजना प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन करने तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों को आवश्यकता आधारित समस्यावार जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गयी है । इसके मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं—

1—पर्यावरण तथा स्थानीय समस्याओं पर आधारित नमनीय पाठ्यक्रम का विकास ।

2—जो बच्चे कभी विद्यालय नहीं गये अथवा जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना ।

3—एन0सी0टी0ई0प्रलेख द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन बिन्दुओं के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम में संशोधन करना ।

4—ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाओं, समन्वयकों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों हेतु अभिनवीकरण कार्यक्रम का आयोजन करना ।

5—स्व अधिगम सामग्री का विकास ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विभिन्न कार्यशालाओं के अन्तर्गत स्व–अधिगम सामग्री का विकास किया ...है ।

(ग) सेवारत प्रशिक्षण—प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु संस्थान द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों, निरीक्षकों तथा प्राथमिक ...शालाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा अभिनवीरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । पुनर्बोधात्मक एवं बी0टी0सी0 ...क्षण केन्द्रों को पाठ्यसाहित्य (शिक्षक संदर्शिकायें) भेजी गयी हैं । संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा कतिपय राजकीय दीक्षा ...लयों का स्थल निरीक्षण किया गया है तथा प्राविधिक निर्देशन दिया गया है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के ...ोग से परियोजनायें बनायी गयी हैं। "बाल संस्कृत बोध तथा साहित्य संदर्भकोष" हेतु अपेक्षित कार्य नियोजन एवं क्रियान्वयन किया ...है । इस कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समस्त 22 केन्द्रों पर 1980 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित होते हैं ।

(घ) पत्राधारित प्रशिक्षण—निरन्तर बढ़ती हुयी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालयों की स्थापना के अनुसार ...शिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु इन कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है । अब तक 5 बैचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । ...में प्रशिक्षार्थियों की पंजीकृत संख्या 2321 थी ।

(च) जनसंख्या शिक्षा–6 से 11 वय वर्ग के शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को भी देश की वर्तमान जनसंख्या स्थिति से अवगत कराना ...श्यक है जिससे बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो सकें । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में जनसंख्या स्थिति के ...सामान्य चेतना विकसित करना तथा शिक्षकों को जागरूक बनाना है जो प्रत्यक्ष रूप से छात्रों में व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायी ...अब तक विकसित की गई सामग्रियों का विवरण निम्नवत हैं :

1—पाठ्य चर्चा का प्रारम्भ (कक्षा 1 से 12 तक) ।

2—प्राइमरी, जूनियर एवं माध्यमिक स्तरीय जन संख्या पाठ्यक्रम तथा प्राइमरी, जूनियर एवं माध्यमिक स्तरीय शिक्षक-प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक संवर्ग हेतु पाठ्यक्रम का विकास ।

3—प्रारम्भिक स्तरीय पाठ्य सामग्री का विकास विभिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकों में जन संख्या शिक्षा की विषय वस्तु का समावेश । कक्षा 9–10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में भी सामग्री का समावेश ।

4—अनौपचारिक संवर्ग हेतु पाठ्य सामग्री का विकास ।

5—प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका, प्रकाशन ।

6—जन संख्या शिक्षा दिग्दर्शिका मुख्य विचारणीय विन्दु नामक पुस्तकों का प्रकाशन ।

7—श्रव्य–दृश्य सामग्री लगभग 60 चार्टस एवं पोस्टर्स का निर्माण ।

8—60 फिल्म स्ट्रिप वर्ष 1983 में राज्य, मण्डल तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के अभिनवीकरण कार्यों का पूरा किया जाना ।

(छ) अभिनवीकृत विद्यालय परियोजना—इलाहाबाद जनपद के सोरांव विकास क्षेत्र के 10 प्राथमिक विद्यालयों का चयन ...उनके गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विकास हेतु किसी एक विद्यालय में संस्थान के विशेषज्ञों, सम्बन्धित क्षेत्र के निरीक्षण, अधि-...यों, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठकें की गयीं । इन बैठकों के अन्तर्गत विभिन्न विकासात्मक ...कलापों का आयोजन किया गया जैसे—संस्थागत नियोजन, विभिन्न विषयों का प्रभावी शिक्षण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, ...अवरोध का निवारण, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि । संस्थान द्वारा विद्यालयों को शैक्षणिक ...रण एवं शिक्षकों को शैक्षणिक निदेशन भी दिये गये ।

(ज) अनौपचारिक शिक्षा—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शैक्षिक निर्देशन, पाठ्यक्रम निर्धारण, साहित्य सृजन, मूल्यांकन ...शोध कार्य संस्थान द्वारा किया जाता है । निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के सुझावों को ...में रखते हुए ज्ञानदीप भाग 5 के पाठों को फिर से लिखा गया है । भावादीप भाग 4 की पुस्तक छप चुकी है । प्रचार हेतु ...सामग्री का भी निर्माण किया गया है ।

अनुसंधान एवं अध्ययन—

निम्नलिखित अनुसंधान एवं अध्ययन किये गये :

(1) प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अवकाश के समय का उपयोग ।
(2) समाजोपयोगी उत्पादक कार्यक्रम की पाठ्य-वस्तु का विकास ।
(3) नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम के परिपेक्ष्य में कक्षा 1 से 8 तक के नये पाठ्यक्रम का विकास
(4) 1954 के बाद की तथा पूर्व की पाठ्य पुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का भाषा विभाग

(1) राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी

राज्य हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी की स्थापना हिन्दी अध्यापक/अध्यापिकाओं तथा बेसिक शिक्षा के निरीक्षक/निरीक्षिकाओं को संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं द्वारा हिन्दी में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण देना तथा माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लियें हिन्दी पाठ्य-सामग्री निर्माण करना, पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रकरणों पर शोध कार्य करना, हिन्दी विषय वस्तु एवं शिक्षण-विधि पर लघु पुस्तकों का लेखन, हेतु की गयी थी । संस्था निम्नलिखित कार्य कर रही है :

प्रशिक्षण अनुभाग

हिन्दी भाषा स्तरोन्नयन हेतु यह संस्थान सतत प्रयत्नशील है । पाठ्य क्रम में निर्धारित हिन्दी भाषा और साहित्य के विभिन्न अंगों में गुणात्मक सुधार हेतु उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तर के शिक्षकों (कक्षा 1 से 12 तक) और निरीक्षकों को विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं द्वारा भाषा स्तरोन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1983 तक उपर्युक्त संगोष्ठियों और कार्यशालाओं द्वारा 924 शिक्षकों एवं 217 निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ।

जून, 1983 से सितम्बर, 1983 तक दीक्षा विद्यालयों के 36 हिन्दी अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है अक्तूबर, 1983 से पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की योजना है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के निर्देशन में इस संस्थान केन्द्र पर दिसम्बर, 1980 से संचालित सतत शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से अब तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल की कक्षा 9-10 को हिन्दी पढ़ाने वाले 571 अध्यापक/अध्यापिकाओं को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया गया है ।

प्रकाशन अनुभाग—

वाणी पत्रिका के 23वें अंक के बाद 32वें अंक तक अनवरत प्रकाशन होते रहे जिनमें "हिन्दी शिक्षण विशेषांक" हिन्दी भाषा विशेषांक (यंत्रस्थ) "राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी विशेषांक" हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियां विशेषांक" विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । गद्य की अगला तैंतीसवां अंक है तथा "अहिन्दी भाषा प्रदेशों में हिन्दी" विषय पर वाणी पत्रिका का 34वां विशेषांक भी प्रकाशित किया गया है ।

नये शिक्षण सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश पुस्तिकायें भी प्रकाशित की गयी हैं :

(1) हिन्दी वर्तनी की अशुद्धियां (प्राथमिक स्तर) ।
(2) हिन्दी उच्चारण की अशुद्धियां (प्राथमिक स्तर) ।

उपर्युक्त सभी सामग्री का पूरा-पूरा उपयोग अध्यापकों के प्रशिक्षण में किया गया है । 1983 में वाराणसी जिले के जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को विशेषकर सेवारत प्रशिक्षण दिया गया है ।

(2) आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

वर्ष 1956 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण तथा अंग्रेजी शिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रकाशन है । यह संस्थान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उच्चतरर माध्यमिक विद्यालय एवं शिक्षण प्रशिक्षण स्तर पर अंग्रेजी के पठन-पाठन में गुणात्मक सुधार लाने के लिये प्रयत्नशील है । संस्थान के कार्यक्रम मुख्यतः चार खण्डों में विभाजित किये जा सकते हैं ।

(1) नियमित अंग्रेजी अध्यापक, अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण ।
(2) अभिनवीकरण कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन ।
(3) क्रियात्मक शोध परियोजनायें ।
(4) प्रकाशन ।

वर्ष 1983-84 में 51वें चार मासीय डिप्लोमा प्रशिक्षण कोर्स में 29 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है । "प्रफीसियन्सी इनस्पोकन इंगलिश के दो कोर्स आयोजित किये गये हैं ।

सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, बिजनौर, शाहजहांपुर, रायबरेली तथा बहराइच जनपदों में उच्चतर माध्यमिक स्तर के अंग्रेजी शिक्षकों का अनुगमन कार्य किया गया है । उन्नाव, हमीरपुर, तथा ललितपुर जनपदों में सीनियर बेसिक विद्यालयों के अंग्रेजी के शिक्षकों का ही अनुगमन कार्य द्वारा मार्ग दर्शन किया गया है । रायबरेली जनपद में 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कई वर्षों में अधिकाधिक जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

ब्रिटिश काउन्सिल, नई दिल्ली के सहयोग से एस्टन विश्वविद्यालय (यू0 के0) के विशेषज्ञ डा0 ए0 एच0 अरकर्ट की सहायता से अप्रैल, 1983 में प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं विशिष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों की तीन दिवसीय गोष्ठी आयोजित की गयी ।

संस्थान द्वारा निम्नांकित मुख्य शोध परियोजनाओं के अध्ययन के कार्य किये जा रहे हैं—

1—राष्ट्रीय एकीकरण के लिये उपयुक्त पठन सामग्री का संकलन ।

2—अंग्रेजी की वर्तनी की त्रुटि का विश्लेषण तथा सुधार तथा (सीनियर बेसिक स्तर) के लिये शिक्षण सामग्री तथा निर्देश पुस्तिका का ,विकास ।

3—अंग्रेजी भाषा के अध्यापन में व्याकरण के सन्दर्भ में अध्यापकों के लिए शिक्षण विधि का विकास।

4—अंग्रेजी में उच्चारण की त्रुटियों के विश्लेषण और उनके उपचार के लिए पुस्तक टेप तथा फिल्म स्क्रिप्ट का निर्माण।

5—अंग्रेजी में भारतीय लेखकों की मुख्य रचनाओं का सन्दर्भ ग्रन्थ एवं संकलन।

6—हाई स्कूल स्तरीय अंग्रेजी शिक्षकों की त्रुटियों का अध्ययन।

7—हाई स्कूल की अंग्रेजी की पुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा की विषय-वस्तु का समावेश।

राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद/आगरा

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्राध्यापिकाओं को राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला विद्यालयों में दो वर्षीय सी० टी० (शिशु शिक्षा) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण प्रदान किया जाता है। ये संस्थायें जुलाई, 1965 से सेवारत हैं। इनमें प्रशिक्षणार्थियों को शिशु शिक्षण विधि का ज्ञान मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक पद्धति से कराया जाता है। शिशु शिक्षण हेतु अनेक अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को तैयार कर शिशुओं की शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है।

आगरा तथा मथुरा नगरपालिका क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के लगभग 80-80 शिक्षक लघु प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किए जाने का प्राविधान है।

प्रशिक्षण परीक्षाओं का परीक्षाफल

	पुरुष	महिला
1—बी० टी० सी० परीक्षा, 1983 द्वितीय वर्ष में सम्मिलित	1,415	1,004
2—उत्तीर्ण	1,218	767
3—बी० टी० सी० परीक्षा, 1983 पुराना पाठ्यक्रम में सम्मिलित	76	157
4—उत्तीर्ण	42	84
5—सी० टी० (गृह विज्ञान) परीक्षा, 1983 में सम्मिलित	..	38
6—उत्तीर्ण	..	26
7—सी० टी० (नर्सरी) परीक्षा, 1983 में सम्मिलित	..	117
8—उत्तीर्ण	..	99
9—सी० पी० एड० परीक्षा, 1983 में सम्मिलित	153	24
10—उत्तीर्ण	145	22

टिप्पणी :—सी० पी० एड० का प्रशिक्षण दो अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी दिया जा रहा है जिनके आंकड़े ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित हैं।

vI—न्यूनतम आवश्यकतायें कार्यक्रम (आयोजनागत)

(रु० हजार में)

1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 पुनरीक्षित अनुमान	1984-85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनागत—5,37,52	5,29,06	12,48,08

बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्राविधान वर्ष 1974-75 तक अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता नामक लघुशीर्षक में होता रहा है, वर्ष 1975-76 से एक नए लघु शीर्षक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है। योजना आयोग के निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सभी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

के अन्तर्गत आ गए हैं। वर्ष 1983–84 के लिए निर्धारित परिव्यय तथा वर्ष 1984–85 के लिए प्रस्तावित परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

(लाख रु० में)

	छठीं योजना के परिव्यय 1980—85	1982–83 का वास्तविक व्यय	1983–84 का परिव्यय		1983–84 का सम्भावित व्यय		1984–85 का परिव्यय	
			कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय	कुल	पर्वतीय
	1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक शिक्षा	8592.44	1851.02	2104.20	582.60	2044.71	585.07	~~2449.67~~ 2513.44	649.67
प्रौढ़ शिक्षा	481.24	61.78	186.45	4.40	181.15	4.40	~~137.33~~ 203.62	5.38

अनौपचारिक शिक्षा योजना:

उद्देश्य :—प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में वर्ष 1979–80 से अनौपचारिक शिक्षा योजना औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के पूरक के रूप में चलाई जा रही है। इस योजना में 6-14 वय वर्ग के उन बालिकाओं/बालकों को स्थान एवं समय की सुविधानुसार उन्हें उनके शिक्षा देने की व्यवस्था है जो आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं।

आबादियों का चयन :—सन् 1978 में चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण हुआ था। इस सर्वेक्षण में जिन विकास खण्डों को शिक्षा में पिछड़ा हुआ इंगित किया गया है, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए उनका चयन अवरोही क्रम में किया जा रहा है। प्रदेश में इस समय 895 विकास खण्ड हैं। वर्ष 1980–81 से 1982–83 तक 336 विकास खण्डों में 16,800 प्राइमरी तथा 3,200 मिडिल स्तर के केन्द्रों को खोलने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 1983–84 में 233 नए विकास खण्डों में 11650 प्राइमरी तथा 800 मिडिल स्तर के केन्द्र खोले गए जुलाई 1983 से प्राइमरी स्तर के 4,800 केन्द्र तथा मिडिल स्तर के 720 केन्द्र खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है। शेष केन्द्र खोलने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं। स्वीकृति केन्द्रों के संचालन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। वर्ष 1984–85 में अवशेष 326 विकास खण्डों में भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी खोले जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक विकास खण्ड में 50 केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है। इन केन्द्रों पर 25 बालक/बालिकाओं को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा बालिकाओं का केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। ये केन्द्र अनुसूचित जातियों तथा जनजाति के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाने के निर्देश हैं।

केन्द्र स्थल :—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में रखे गए हैं। पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, पूजा स्थल, निजी आवास अथवा अन्य किसी भवन में भी बालक/बालिकाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ये शिक्षा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

अध्यापकों का चयन :—अनौपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन गांवों में स्थानीय निवास करने वाले शिक्षक, अवकाश प्राप्त शिक्षक, प्रशिक्षित बेरोजगार युवक या हाई स्कूल उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों में से किया जाता है। महिलाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाती है।

प्रवेश :—प्राइमरी स्तर पर 6–11 वय वर्ग के उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने पांचवीं कक्षा तक की कक्षा शिक्षा पूरी न करके बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो, अथवा जो कभी स्कूल पढ़ने ही नहीं गए हों। मिडिल वर्ग पर 11–14 वय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस वर्ग के उन बच्चों को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कर ई गई है। जिन्होंने कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लिया है परन्तु कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके हैं।

शिक्षण अवधि तथा पाठ्य सामग्री :—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्राइमरी स्तर की शिक्षा 2 वर्षों में तथा मिडिल स्तर की शिक्षा 3 वर्षों में पूरी करने की योजन बनाई गई है। इस पांच वर्ष की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप नाम 1 से 5 तक पाठ्य पुस्तकों की रचना की गई है। ज्ञानदीप भाग 1 और 2 प्राइमरी स्तर के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। इन पुस्तकों में भाषा गणित सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय, सामाजोपयोगी उत्पादक कार्य सामान्य पाठ्य क्रम के साथ–साथ पर्यावरण सामाजिक जनसंख्या बानिकी तथा अल्प बचत आदि विषयों पर भी पाठों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त परिचायिका शिक्षक संदर्शिका, पोस्टर्स फौल्डर तथा वर्णमाला चार्ट आदि सहायक सामग्रियों के रूप में मुद्रित एवं प्रकाशित कर केन्द्रों को दी गई है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में 2 घंटे की शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय स्थानीय बालक/बालिकाओं की सुविधानुसार प्रातः ...ह, सयंकाल अथवा रात्रि को 8 बजे तक का रखा गया है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र औपचारिक विद्यालयों के पूर्व या पश्चात् ...ते हैं। केन्द्रों में ग्रीष्मावकाश नहीं रहता, वरन् यह पूरे वर्ष कार्य करते हैं। केन्द्रों में रविवार को अवकाश ...त है। केन्द्र स्थानीय पर्व की तिथियों में भी बंद रहते हैं।

केन्द्रों की शिक्षण सामग्री, साज–सज्जा अभिलेख :—अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में नामांकित छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ...यास पुस्तिकायें, स्लेट पेन्सिल आदि दी जाती हैं। केन्द्र का संचालन करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को 5 लालटेन, 5 टाट पट्टी, 10 × 2 ... 2 × 3 रोल ब्लैक बोर्ड, एक कुर्सी, एक लोहे का सन्दूक (अभिलेख रखने के लिए) दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों ...रिट्ट का तेल क्रय करने के लिए 10.00 रु० प्रति माह दिया जा रहा है। शिक्षा केन्द्र को बालक/बालिकाओं की दैनिक उपस्थिति ...कित करने के लिए एक उपस्थिति पंजिका रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ–साथ शिक्षक दैनन्दिनी, संभाग ...जिका तथा छात्र पंजी केन्द्र की स्थायी अभिलेख में प्रविष्टियां शिक्षा केन्द्र के अध्यापकों द्वारा की जाती है। जिन्हें पर्यवेक्षक ...त्यापित करते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा दीक्षा विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण—

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों को 10 दिनों का प्रशिक्षण दो चक्रों में प्रदान किया जाता है। इस ...शिक्षण में उन्हें विभिन्न रूपों में विषयों को पढ़ाने की पद्धति अभिलेखों के रख–रखाव, अनुश्रवण, नियोजन तथा मूल्यांकन आदि के ...सम्बन्ध में बताया जाता है। शिक्षा केन्द्र पर पढ़ाई शुरू लेने के एक वर्ष बाद इन अध्यापकों को चार दिन का अभिनवीनीकरण प्रशिक्षण ...दिया जाता है। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से अध्यापकों की कठिनाइयों एवं स्थानीय समस्याओं के निदान तथा योजना के विकास, ...तथा, फीड बैंक प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 121 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रत्येक जनपद ...एक राजकीय दीक्षा विद्यालय को चुना गया है। इस प्रकार 56 राजकीय दीक्षा विद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में प्रशिक्षण ...कार्य हो रहा है। इस कार्य के लिये दीक्षा विद्यालयों में एक कोआर्डिनेटर, एक ग्राम सेवक तथा एक ग्राम सेविका की नियुक्ति ...के दीक्षा विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। अनौपचारिक शिक्षा की यह इकाई अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ–साथ निकटवर्ती ...औपचारिक शिक्षा केन्द्रों का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन का कार्य भी करती है।

...औपचारिक शिक्षा का प्रशासनिक तंत्र :—

(क) राज्य स्तर :—इस स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के नियोजन, निर्देशन तथा वित्तीय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए ...क शिक्षा निदेशक (अनौपचारिक शिक्षा) का एक पद सृजित किया गया है। कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए विभिन्न स्तर के ...प्रपत्र निर्मित किए गए हैं जिन पर सूचनायें संकलित होती हैं। मण्डलीय अधिकारी अपने अधीनस्थ जनपदों से सूचना प्राप्त ...संकलित सूचना निदेशालय को निर्धारित समय पर भेजते हैं।

(ख) मण्डल स्तर :—प्रदेश 12 मण्डलों में विभक्त है। प्रत्येक मण्डल में एक मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक हैं जो अनौप–...चारिक शिक्षा योजना के नियोजन एवं प्रशासन का कार्य देखते हैं। उनके कार्यालय में एक विशेष कार्याधिकारी का पद योजना के ...श्रवण, निर्देशन तथा मूल्यांकन के लिये सृजित किया गया है।

(ग) जिला स्तर —अनौपचारिक शिक्षा योजना के कार्य हेतु कोई स्वतन्त्र संगठन जनपद स्तर पर नहीं है। अनौप–...चारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रबन्ध/संसाधनों की व्यवस्था, शिक्षकों का परिश्रम विवरण, केन्द्रों का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन आदि जिला बेसिक ...शिक्षा अधिकारी तथा उप विद्यालय निरीक्षक/अपर उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

(घ) विकास खण्ड स्तर :—विकास खण्ड स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक आंकड़ों के संकलन, केन्द्रों, छात्रों ...कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। वर्ष 1980–81 में प्रत्येक ...के लिए दो पर्यवेक्षकों की स्वीकृति दी गई थी। उस समय विकास खण्डों की संख्या प्रत्येक जनपद में दो थी। वर्ष 1982–83 ...अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार प्रत्येक जनपद के छः विकास खण्डों में हो गया है और प्रत्येक जनपद में 300 प्राइमरी ...मैदानी जनपदों में 60 और पर्वतीय जनपदों में 40 मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्र संचालित हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति योजना ...विस्तार के अनुसार न होने के कारण पर्यवेक्षक का कार्य प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा साहित्य :—राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अनौपचारिक शिक्षा कोष्ठक ने अनौपचारिक ...शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ–साथ निम्नलिखित साहित्य का भी निर्माण किया है :—

क्रम–संख्या	साहित्य का नाम	1980–81	1981–82	1982–83
1	2	3	4	5
1	परिचायिका	8,000	20,000	..
2	शिक्षक संदर्शिका	7,000	7,000	..

1	2	3	4	5
3	पोस्टर्स	23,000	7,000	..
4	सर्वेक्षण प्रपत्र	1,63,000	..	..
5	फोल्डर्स	20,000	..	..
6	वर्णमाला चार्ट	2,775	..	..
7	ज्ञानदीप भाग 1	88,500	1,61,862	4,500,000
8	पाठ्यक्रम	6,000	9,000	..
9	ज्ञानदीप भाग 2	..	1,18,000	2,110,000
10	ज्ञानदीप भाग 3	9,091	38,409	440,000
11	मॉड्यूल्स	500	..	..
12	ज्ञानदीप भाग 4	..	..	440,000
13	ज्ञानदीप भाग 2	..	..	440,000
14	ज्ञानदीप भाग 5(1)	..	..	220,000
15	ज्ञानदीप भाग 5(2)	..	..	220,000

मूल्यांकन:—

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है:—

1—छात्रों का मूल्यांकन
2—केन्द्रों का मूल्यांकन
3—कार्यक्रम का मूल्यांकन

छात्रों का मूल्यांकन—अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों की निरन्तर प्रगति के मूल्यांकन की व्यवस्था है। छात्रों द्वारा निर्धारित अवधि की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त गुणात्मक आगणन के आधार पर अगली कक्षाओं में प्रोन्नति की व्यवस्था की जाती है। प्रथम चक्र जुलाई, 1980 तथा द्वितीय चक्र जनवरी/फरवरी, 1981 में 5600 प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के छात्रों की कक्षा—5 की परीक्षा निर्धारित विद्यालयों के बच्चों के साथ क्रमशः मई, 1982 तथा मई, 1983 में आयोजित की गयी थी जिसका परिणाम निम्नवत् है:—

मई 1982 का परिणाम

वर्ग	नामांकित छात्र संख्या	सम्मिलित छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	2	3	4	5
बालक	32431	28104	24564	87
बालिका	16837	14684	13202	89
योग ..	49268	42789	37766	88

मई 1983 का परिणाम

बालक	38645	32963	31315	95
बालिका	13136	11822	10783	91
योग ..	51781	44785	42098	94

केन्द्रों का मूल्यांकन:—

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जनपद के विकास खण्डों में प्राइमरी तथा मिडिल स्तरीय शिक्षा केन्द्रों की सफलता का मूल्यांकन करने का कार्य दीक्षा विद्यालयों से सम्बद्ध अनौपचारिक शिक्षा की इकाई को सौंपा गया है। वर्ष 1982–83 के निम्नलिखित आँकड़े प्रदेश में संचालित प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के शिक्षा केन्द्रों की प्रगति को स्पष्ट करते हैं:

स्तर	बालक				बालिका				महायोग
	अनुसू0 जाति	अनुसू0 जन जाति	अन्य	योग	अनुसू0 जाति	अनुसू0 जन जाति	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्राइमरी	70650	2615	167422	240687	47107	1744	80906	129757	370444
मिडिल	7803	174	39354	49331	6536	116	8867	15519	64850

का मूल्यांकन—

छठीं योजना में प्राइमरी स्तर के 28,000 तथा मिडिल स्तर के 4000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे प्राइमरी स्तर पर बढ़ाकर भारत सरकार के निर्देशानुसार अब इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्धारित छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इससे वर्ष 1984–85 के अन्त तक प्रदेश के समस्त जनपदों को कुल 895 विकास खण्डों में 50–50 प्राइमरी स्तर के केन्द्र संचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1982–83 तक इस योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर के 16657 तथा मिडिल स्तर के 3085 केन्द्र संचालित थे। के 2800 केन्द्रों को मई 1983 में प्राइमरी स्तर की परीक्षा के उपरान्त बंद कर दिया गया है जिन्हें उन्हीं विकास खण्डों के स्थानों में शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

चारिक शिक्षा योजना का वित्तीय पक्ष:—

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रदेश में चलाने के लिये वर्ष 1980–81, 81–82, 82–83 में धन का प्राविधान और कृत धनराशि तथा व्यय का विवरण निम्नवत् है:—

(हजार रुपयों में)

वर्ष	प्राविधान	स्वीकृत	व्यय
1980–81	18000	9364	7578
1981–82	17668	15684	12250
1982–83	28620	23568	23568
1983–84	39100	26089	26089

अन्य व्यय—

(रु0 हजार में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित व्यय	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,87,27	2,12,32	2,13,71
आयोजनागत	15,30	11,68	36,17

इस शीर्षक के अन्तर्गत निबन्धक विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर के भोजन व्यवस्था, पूर्वविद्यालयीय बच्चों एवं गर्भवती माताओं की पौष्टिक आहार की व्यवस्था एवं कुछ विविध प्रकार की संस्थाओं जैसे कल्याण निधि के लिये नेशनल फाउन्डेशन को अनुदान, शिक्षकों को राज्य पुरस्कार, आर्य प्रतिनिधि सभा को अनुदान एवं आधारिक (बेसिक स्कूलों) के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है।

निबन्धक विभागीय परीक्षायें हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के अलावा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण-छात्रवृत्ति एवं नियुक्ति सम्बन्धी सभी सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रबन्ध निबंधक, विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाता है। राजकीय विद्यालयों की बी0टी0सी0, परीक्षा सी0पी0एड0 परीक्षा सी0टी0 परीक्षायें, दक्षिण भारतीय भाषाओं की दक्षता परीक्षायें आदि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का संचालन इनके माध्यम से किया जाता है। एकीकृत छात्रावृत्ति परीक्षा का आयोजन भी जा रहा है। योजना संख्या 60101020 मैदानी क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार मैदानी क्षेत्रों के राजकीय/अराजकीय बेसिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को 500 रु0 प्रति अध्यापक की दर से करने हेतु वर्ष 1983–84 में 1,48,000 रु0 का प्राविधान है।

बालाहार योजना

यह योजना इस समय प्रदेश के 48 जनपदों में चल रही है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले (6–11) वय वर्ग के को पौष्टिक आहार दिया जाता है। यह योजना इन जनपदों में दो श्रोतों से कार्यान्वित है:—

केयर संस्था—

केयर संस्था के सौजन्य से खाद्यान्न उपहार स्वरूप प्राप्त होता है, एवं विभाग द्वारा बच्चों में वितरित किया जाता है, जिसका विभाग द्वारा वहन किया जाता है। योजना का विवरण निम्नवत् है:—

जनपद संख्या	विकास खण्ड संख्या	केन्द्र संख्या	लाभार्थी संख्या
37	256	4,079	5,81,000

(2) विभागीय योजना—

इस योजना के अन्तर्गत बच्चों में मोठो पंजीरी विभाग की ओर से क्रय करके वितरित की जाती है। इस योजना का विवरण निम्नवत् है:—

जनपद संख्या	विकास खण्ड संख्या	केन्द्र संख्या	लाभार्थियों संख्या
11	72	1,557	2,004,00

विशेष पौष्ठाहार योजना

प्रदेश के 20 जनपदों में यह योजना पूर्व विद्यालयीय बच्चों (0–6) वय वर्ग के बच्चें तथा धात्री एवं गर्भवती माताओं के लिये है। प्रदेश में यह योजना तीन स्रोतों से संचालित है। यह योजना शहर के मलिन क्षेत्र के हरिजन एवं पिछड़े हुये लाभार्थियों में लागू है:—

योजना का स्रोत	जनपद संख्या	केन्द्र संख्या	लाभार्थीयों संख्या
1—केयर संस्था	4	700	770,000
2—विश्व खाद्य कार्यक्रम	4	400	440,000
3—विभागीय योजना	12	367	366,700

इन दोनों योजनाओं का वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय, 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान तथा 1984–85 का बजट अनुमान निम्न सारिणी में दिया गया है:—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय		1983–84 पुनरीक्षित अनुमान		1984–85 आय-व्ययक अनुमान	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7
1—बालाहार योजना (मैदानी)	..	1,21,44	7,50	1,32,25	13,03	1,32,70
2—बालाहार योजना (पर्वतीय)	..	..	..	..	..	..
3—विशेष पौष्टाहार योजना (मैदानी)	480	48,35	2,50	58,61	408	58,68
4—विशेष पौष्टाहार (पर्वतीय)	1,13	..	5,00	..	5,00	..

ख—माध्यमिक शिक्षा

I—निदेशन और प्रशासन:—

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर (मतदेय)	1,07,04	1,41,70	1,34,16
(भारित)	..	1	1
आयोजनागत	5,77	6,72	8,13

माध्यमिक शिक्षा पर व्यय
(रुपये लाख में)
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0
5458·388
6106·192
7149·678
8101·528
8050·980
9850·170
10971·980
16081·050
16483·486
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81

शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा के कार्यालयों एवं विद्यालयों को निर्देश एवं मार्गदर्शन देने के अतिरिक्त संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं के त नवीन योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है तथा उन योजनाओं में होने वाली न्यूनताओं का निर्धारण कर सफल कार्यान्वयन में योगदान दिया जाता है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उसके उन्नयन के लिये गोष्ठियों सम्मेलनों आदि के आयोजन से संबंधित कार्य का सम्पादन भी किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा के अधीन चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के वेतन वितरण व्यवस्था एवं इन विद्यालयों के लेखों की समुचित जांच करने के लिये शिक्षा विभाग के लेखा संगठन को सुदृढ़ किया गया है लिय के मुख्यालय में लेखा परीक्षा संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि ई है।

शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा अनुश्रवण कोष्ठक की स्थापना--

---

लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में एक नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोष्ठक की स्थापना जनवरी 1981 है। इस सेल के अन्तर्गत 4 अधिकारी तथा विभिन्न वेतन क्रम के 14 कर्मचारियों के पदों का सृजन किया गया इस योजना के अधीन लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को करने के आदेश प्रदान किये गये हैं, जिन्हें वैज्ञानिक व नियोजित ढंग से परियोजनाओं की संरचना, उसकी नव विधियों के प्रयोग हेतु सांख्यिकी का गहरा ज्ञान व अनुभव हो। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं वित कार्यक्रमों के वित्तीय पक्ष के नियोजन नियंत्रण का निदेशन एवं मूल्यांकन होता है।

र्वतीय सेल की स्थापना--

शिक्षा विभाग के अधीन माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षा तथा निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों के विकेन्द्री- तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों का पर्वतीय क्षेत्र का अलग संवर्ग बनाने के उद्देश्य से शिक्षा लय के मुख्यालय, इलाहाबाद में एक कोष्ठक (सेल) की स्थापना फरवरी 1981 में की गयी है। इसके न्यन हेतु एक विशेष कार्याधिकारी तथा विभिन्न वेतनक्रम में 18 कर्मचारियों के पदों का सृजन किया है।

शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत् हैं:—

क्र- सं०	पदों का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु०	
1	शिक्षा निदेशक	2,770—3,000	1
2	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)	1,840—2,400	1
3	संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय/शिविर)	1,660—2,300	2
4	संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला/प्रशिक्षण)	1,660—2,300	2
5	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	1,660—2,300	1
6	उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिविर, संस्कृत तथा सेवायें)	1,360--2,125	7
7	सहायक निदेशक (भवन, सेवायें, एन० एफ० सी० [illegible] तथा अनुश्रवण कोष्ठक)	1,250—2,050	7
8	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1,250--2,050	1
9	सहायक उप शिक्षा निदेशक, (अर्थ०, मा० महिला, विज्ञान, नियो[illegible])	850--1,720	6
0	अनुसंधा[illegible] अधिकारी	550—1,200 पुराना वेतनमान	3
1	वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक	850—1,720 (रु०75 विशेष वेतन)	1
2	विशेष कार्याधिकारी (पर्वतीय सेल)	850—1,720	1
3	लेखाधि[illegible]ारी	850—1,720	4
4	सांख्यि[illegible] अधिकारी	550—1,200 पुराना वेतन	1
5	विधि [illegible]ारी	850—1,720	1
6	सहायक [illegible]धिकारी	690—1,420	32

II—निरीक्षण:—

(हजार रु० में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984 आय-व्ययक अनु
आयोजनेत्तर	1,57,59	1,88,69	2,05
आयोजनागत	11,40	17,65	19

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संभागीय स्तर पर संभागीय उप शिक्षा निदेशक तथा संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका (पांच संभागों में सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका) तथा जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक (कई जिलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक) एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यरत हैं। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा से संबंधित विद्यालयों का निरीक्षण एवं इन विद्यालयों से संबंधित अन्य प्रशासकीय करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हाई स्कूल/इंटरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के का भुगतान) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्रशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्या- एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि का समय से भुगतान भी इन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

उपर्युक्त शीर्षक के अन्तर्गत संभागीय तथा जिला स्तर पर कार्यरत, अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है:—

क्रम-संख्या	अधिकारियों के पद	वेतनक्रम	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
		रु0	
1	संभागीय उपशिक्षा निदेशक	1,360—2,125	12
2	संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका	1,360—2,125 1,250—2,050	2 10
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	1,250—2,050	56
4	विज्ञान प्रगति अधिकारी	850—1,720	11
5	सहयुक्त जिला विद्यालय निरीक्षक	850—1,720	51
6	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षका	850—1,720	8
7	सह मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका	850—1,720	5
8	निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	850—1,720	1
9	सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	770—1,600	11
		योग ..	167

ध्यमिक शिक्षा से संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण दिवस की सूचना निम्नवत् है:—

अधिकारी के पद	शिक्षा संहिता का अनुच्छेद	निरीक्षण दिवस विवरण	विशेष विवरण
2	3	4	5
भागीय उपशिक्षा निदेशक	16(10)	कम से कम वर्ष में चार मास (120)	शिक्षा नि0 द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।
भागीय बालिका विद्यालय रीक्षिका	42(9)	वर्ष में चार महीने का दौरा	शि0 नि0 का स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।
ला विद्यालय निरीक्षक	20(5)	वर्ष में 6 से 10 सप्ताह तक बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण	संभागीय उपशि0नि0 की स्वीकृति प्राप्त की जाती है
	24	दो वर्ष में कम से कम एक बार बालकों के प्रत्येक मान्यता प्राप्त उ0 मा0 वि0 अनौपचारिक रूप से पूर्ण निरीक्षण जो तीन दिन का होना चाहिये	.. ..
	25	वर्ष में जनपद के प्रत्येक उ0 मा0 वि0 का एक बार नियमित रूप से उप निरीक्षण	..
रीक्षक संस्कृत पाठशालायें	53	60 दिन	..
सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें	54	150 दिन	...

जकीय माध्यमिक विद्यालय—

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
निवेतर	16,61,50	18,89,83	20,50,96
नागत	1,05,20	1,60,50	1,76,30

र्ष 1982–83 में मैदानी जिलों में 5 तथा पर्वतीय जिलों में 3 नये राजकीय हाई स्कूल असेवित क्षेत्रों में खोले गये । मैदानी तथा पर्वतीय जिले के 10 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर तक उच्चीकृत किया गया है ।

1983 को प्रदेश में राज0 उ0 मा0 वि0 की कुल संख्या 761 थी । इनमें बालकों के 570 तथा बालिकाओं के ालय हैं । मैदानी तथा पर्वतीय जिलों में स्थित रा0 उ0 मा0 वि0 की संख्या निम्नवत् है ।

	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		
	बालक	बालिका	योग
नी जिलों	132	143	275
य जिलों	438	48	486
योग ..	570	191	761

माध्यमिक शिक्षा विकास के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1983–84 में कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियों का विवरण नि वत् है—

वर्ष 1983–84 में उपल

योजना संख्या	योजना का नाम	पर्वतीय		मैदानी	
		कुल	बालिका	कुल	बालिक
1	2	3	4	5	6
60102003	राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का उच्चीकरण तथा नये राजकीय हाई स्कूलों का खोलना	3 वि0	..	2 वि0	1 वि0
60102004	राजकीय हाई स्कूलों का उच्चीकरण	5	1	..	..
60102005	राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश	17 पद	..	..	..
60102027	राजकीय विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिये सुविधायें	16 वि0	..	..	..

आवासी शिक्षा योजना—ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिये प्रदेश के 26 जनपदों में आवासीय शिक्षा योजना प्रारम्भ गई है । इस योजना में अध्यापकों द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत अध्यापन पर ध्यान दिया जा रहा है । इस योजना के अन्त कक्षा 9 से 12 के छात्र लाभान्वित होते हैं । आवासीय शिक्षा योजनान्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों में अनुसूचित जाति के छात्रों प्रवेश देने के लिये 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं ।

IV—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित व्यय	1984–8 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,33,76,29	1,58,10,72	1,45,59,
आयोजनागत	3,63,68	4,81,43	4,77,

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन महंगाई भत्ता तथा क्षतिपूर्ति आदि पर होने वाले व्यय के लिये अनुदान दिये जाते हैं । शीर्षक के अन्तर्गत बालक तथा बालिका विद्यालयों का आयोजनेत्तर पक्ष के प्राविधान से निम्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं ।

क—आवर्तक अनुदान—

(1) वेतन, महंगाई भत्ता मकान किराया, भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता

(2) असहायिक विद्यालयों के कक्षा 6 के शुल्क की क्षतिपूर्ति

(3) 450 रु0 तक वेतन पाने वाले बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को इण्टर स्तर तक शिक्षा शुल्क से मुवि

(4) निर्वाह निधि का राजकीय अंश

(5) आंग्ल भारतीय विद्यालयों को अनुदान

(6) 200 रु0 तक वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के बच्चों को अर्द्धशुल्क मुक्ति

(7) कक्षा 7 से 10 तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति

(8) रीजनल कालेज, अजमेर में अध्यापकों की प्रशिक्षण अवधि में प्रतिस्थानी की व्यवस्था

अनावर्तक अनुदान--

(1) साज-सज्जा काष्ठोपकरण ।

(2) भवन अनुदान ।

(3) पुनर्गठन अनुदान ।

(4) प्राकृतिक प्रकोप ग्रस्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान ।

(5) जमींदारी उन्मूलन अनुदान ।

प्रदेश में चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या, उनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या, की संख्या तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित सारणी में ये हैं--

शीर्षक	1981-82	1982-83	1983-84
मान्यता प्राप्त उ0 मा0 वि0--	4,598	4,788	4,818
1--लड़कों के	812	822	832
2--लड़कियों के			
उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की छात्र संख्या (9-12)			
1--लड़के	16,73,990	17,79,910	18,86,140
2--लड़कियां	3,78,117	4,40,327	5,02,000
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या--			
1--पुरुष	96,533	96,589	96,669
2--महिला	22,537	22,574	22,605

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को छठीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रकार के अनुदान देने एवं विद्यालयों के विकास की व्यवस्था की गई है--

(क) असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र के 6 तथा मैदानी क्षेत्र के 115 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया (वर्ष 3-84 में पर्वतीय क्षेत्र के 5 तथा मैदानी क्षेत्र के 200 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव है) 1984-85 में भी यह योजना संचालित रहेगी ।

(ख) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान की योजना में जिन विद्यालयों में छात्र संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई है उन्हें अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण तथा सज्जा के लिये अनावर्तक अनुदान दिया जाता है। 1982-83 में इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 20 पर्वतीय क्षेत्र के 7 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष अनुदान तथा मैदानी क्षेत्र के 40 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 12 विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1983-84 में मैदानी क्षेत्र के 138 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 19 विद्यालयों को कक्षा-कक्ष निर्माण तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपरण अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव वर्ष 1984-85 में भी इस परियोजना के संचालन का प्रस्ताव है ।

(ग) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पुस्तकालय सम्वर्द्धन हेतु अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को अच्छी पुस्तकें खरीदने तथा विद्यालय पुस्तकालय के सम्वर्द्धन के लिये अनुदान दिया जाता है वर्ष 1982-83 में पर्वतीय क्षेत्र के 10 तथा मैदानी क्षेत्र के 92 विद्यालयों को उक्त अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1983-84 में मैदानी क्षेत्र के 144 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 15 विद्यालयों को यह अनुदान देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1984-85 में भी योजनाओं को संचालित रखने हेतु आवश्यक प्राविधान करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(घ) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अभिनव प्रयोग के लिए अनुदान देने की योजना वर्ष 1980-81 चालित की गई है। इसके अन्तर्गत 1980-81 में 25 विद्यालयों, वर्ष 1981-82 में 25 विद्यालयों को एवं वर्ष 2-83 में 14 विद्यालयों को उक्त अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1983-84 में उक्त योजनान्तर्गत 30 विद्यालयों 1,50,000 रु० स्वीकृत करने का प्रस्ताव हैं। वर्ष 1984-85 में भी इस योजना को संचालित किये जाने प्रस्ताव हैं ।

(ङ) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत 1981–
मैदानी क्षेत्र में दो तथा पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों को दक्षता अनुदान दिया गया। वर्ष 1982–83 में उक्त योजनान्तर्गत
क्षेत्र में 5 विद्यालयों को दक्षता अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1983–84 में उक्त योजना को संचालित रखने हेतु
क्षेत्र के 30 विद्यालय तथा पर्वतीय क्षेत्र के 18 विद्यालयों को अनुदान देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1984–4–85
यह परियोजना संचालित रहेगी।

(च) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विज्ञान शिक्षण संचालित करने हेतु ऐसे विद्यालयों को
विज्ञान विषय की मान्यता नहीं है विज्ञानोपरण एवं काष्ठोपकरण अनुदान के साथ ही विज्ञान विषय की मान्यता का प्रदान
की योजना सम्मिलित की गई है। वर्ष 1982–83 में मैदानी क्षेत्र के 199 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 37 विद्यालयों को वे यह अन
दिया गया वर्ष 1983–84 में भी उक्त योजना को संचालित रखने हेतु मैदानी क्षेत्र में 20 लाख तथा पर्वतीतीय क्षे
3.25 लाख रुपया का प्राविधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 243 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 40 विद्यालयों
विज्ञान अनुदान देने का लक्ष्य है। वर्ष (1984–85) में भी यह योजना चालू रहेगी।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमें पढ़ रही बालिकाओं के लिये
सुविधा प्रदान करने की योजना 1979–80 में संचालित की गई। इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के उन्हीं बा
विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है, जिनमें बालिकायें भी शिक्षा प्राप्त कर रही है। वर्ष 1982–83 में इस योजना
मैदानी क्षेत्र के 13 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 5 विद्यालयों को अनुदान दिया गया है। वर्ष 1983–84 में भी इस योजना
संचालित रखने हेतु मैदानी क्षेत्र के 1.95 लाख रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र 0.75 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जि
अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 13 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 5 विद्यालयों को यह अनुदान दिया जा रहा है वर्ष 1984–85 में भी
योजना संचालित रहेगी।

(ज) मैदानी जनपदों के पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित बालिका विद्यालयों के विकास एवं उन्नयन हेतु सहायता प्रदान
हेतु वर्ष 1981–82 से एक योजना संचालित की गई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 1982–83 में भी 4 बालि
विद्यालयों को उक्त अनुदान दिया गया : वर्ष 1983–84 में उक्त योजना के अन्तर्गत 5 विद्यालयों को 5.5.69 ल
रु0 स्वीकृत किया गया। वर्ष 1984–85 में भी यह योजना संचालित रहेगी।

(झ) मैदानी जनपदों के सहायता प्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विकास अनुदान देने की एक नवीनीन योज
वर्ष 1981–82 से संचालित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में 3 उत्कृष्ट विद्यालयों को अ
दानित किया गया। वर्ष 1983–84 में भी 3 विद्यालयों को उक्त अनुदान देने का प्राविधान है। वर्ष 1984–
में भी यह योजना चालू रखी जायेगी।

1 अप्रैल, 1983 के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत/अध्यापकों, कर्मचारियों की संख्या वेतन क्रमानु
निम्नवत् है—

क्रमांक	पद	संख्या	वेतनक्रम
1	2	3	4
1	प्रधानाचार्य (इण्टर कालेज) चयन वेतनमान	..	1,300–1,900
2	प्रधानाचार्य (इण्टर कालेज)	2,236	850–1720
3	प्रधानाध्यापक (हाई स्कूल)	1,774	770–1,600
4	प्रवक्ता (चयन वेतनमान)	145	960–1,480
5	प्रवक्ता	19,427	650–1,280
6	सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक) चयन वेतनमान	469	740–1,090
7	सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (इण्टर कक्षाओं के विज्ञान प्रदर्शक सहित)	30,731	540–910
8	सहायक अध्यापक (चयन वेतनमान) (प्रशिक्षित इण्टर)	88	620–820
9	सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित इण्टर)	39,465	450–720
10	सहायक अध्यापक प्रशिक्षित (हा0 स्कूल)	5,684	400–620
11	सहायक अध्यापक प्रशिक्षित हाई स्कूल (संलग्न प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये)	1,175	365–555
12	सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित जू0 हा0 स्कूल) जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं एवं प्राइमरी कक्षाओं हेतु)	210	350–500
13	अप्रशिक्षित अध्यापक	23	335–नियत

2	3	4
प्रधान कार्णिक (इ0 कालेज)	12,563	430–685
वर्णिक	7,117	314–550
दफतरी	2,659	315–440
चपरासी	34,554	305–390

छात्रवृत्ति/छात्रवेतन (हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	95,83	97,87	97,87
आयोजनागत	64,04	23,10	23,10

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6—8 व 9—12 में विभिन्न प्रकार की योग्यता छात्रवृत्तियां मेधावी छात्र/छात्राओं प्रोत्साहन देने तथा उनके अध्ययन हेतु प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों की दयनीय आर्थिक को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहायता देने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 1984–85 में शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने की व्यवस्था है:—

छात्रवृत्तियों के नाम	1982–83 वास्तविक व्यय (हजार रुपये में)	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
2	3	4	5	6
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना	60,29	27,50	27,50	माध्यमिक स्तर पर 2930 छात्रवृत्तियां 60 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्र को 100 रु0 प्रतिमाह की दर से दी जाती है।
हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर दी जाने वाली इंटर में मिलने वाली योग्यता छात्र-वृत्तियां (दरों में वृद्धि सहित)।	24,40	16,25	16,25	2985 छात्रवृत्तियां 40 रु0 प्रतिमाह। इसके अतिरिक्त मैदानी जिलों में 1421 व पहाड़ी जिलों में 158 छात्रवृत्तियां आयोजनागत प्राविधान से भी दी जा रही है।
माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 9—12) अतिरिक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था।	1,59	1,60	1,60	2376 छात्रवृत्तियां कक्षा 9–10 में 15 रु0 की दर से तथा 11–12 में 25 रु0 प्रतिमाह की दर से।
प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था।	15,09	15,11	11,11	5210 हाईस्कूलों में दो छात्रवृत्तियां 15 रु0 की दर से तथा 2978 इंटर कालेजों में प्रत्येक में एक छात्रवृत्ति 16 रु0 प्रतिमाह की दर से।
केंद्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति।	1,20	1,20	1,20	हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर 102 छात्रवृत्तियां 50 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी को 75 रु0 प्रतिमाह।

1	2	3	4	5	6
6	ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9–10) के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां।	20,17	24,68	24,68	4497 छात्रवृत्तियां तथा 9—10 में 50 रुपया तथा कक्षा 11–12 में 60 रुपया प्रतिमाह की दर से तथा जो छात्र अनुमोदित विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश लेते हैं उन्हें 100 रु0 प्रतिमाह की दर से।
7	अवर उच्च विद्यालयों की कक्षा 7–8 पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।	79	1,80	1,80	1567 छात्रवृत्तियां 5 रु0 प्रतिमाह।
8	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवेतन।	2,78	2,85	2,85	प्राविधान के अन्तर्गत कक्षा 6—8 में 5 रु0 प्रतिमाह कक्षा 9–10 में 10 रु0 प्रतिमाह तथा कक्षा 11–12 में 15 रु0 प्रतिमाह।
9	प्रदेश के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिये प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना।	61	61	61	15 छात्रवृत्तियां कक्षा 9–10 में 50 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासी छात्रों को 100 रु0 प्रतिमाह तथा 11–12 में 75 रु0 प्रतिमाह तथा छात्रावासियों को 150 रु0 प्रतिमाह।
10	माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल/इण्टर परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को विशेष शैक्षिक सुविधायें।	90	20	20	(1) हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को आगे दो वर्ष तक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में शुल्क से मुक्ति (2) पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था हेतु क्रमशः 200 रु0 तथा 300 रु0।
11	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्तियों तथा पुस्तकीय सहायता देने के लिये व्यवस्था।	1,42	1,42	1,42	जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में 130 छात्रवृत्तियां (दर कक्षा) 6, 7, व 8 में क्रमशः 4, 5, 6 रु0 प्रति माह तथा 606 पुस्तकीय सहायता (15 रु0 प्रति छात्र) हाई स्कूल कक्षाओं में 153 छात्रवृत्तियां 10 रु0 मासिक तथा 500 पुस्तकीय सहायता 20 रु0 प्रति छात्र, इंटर कक्षाओं में 125 छात्रवृत्तियां 16 रु0 प्रतिमास एवं 250 पुस्तकीय सहायता 25 रु0 प्रति छात्र।
12	सीमान्त क्षेत्रों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0पी0 पी0ए0 सी0 के जवानों तथा सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता।	12	12	12	क्रम 11 में अंकित दरों पर प्रत्येक मंडल के जूनियर हाई स्कूल और इंटर स्तर के एक बालक तथा एक बालिका को छात्रवृत्ति एवं एक बालक तथा एक बालिका को पुस्तकीय सहायता।
13	वीरचक्र श्रृंखला विजेताओं के बच्चों को शैक्षिक सुविधायें।	35	36	36	समस्त शैक्षिक शुल्कों से मुक्ति तथा सामूहिक पोशाक हेतु धनराशि।

1	2	3	4	5	6
14	सन् 1962 तथा 1965 के युद्धों में मारे गये अथवा अस्थायी रूप से अपंग तथा 1971 के युद्ध बन्दियों व लापता घोषित प्रतिरक्षा कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं को शैक्षिक सुविधायें।	12	20	20	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत क्रम 11 में अंकित दरों पर।
15	सन् 1965 तथा 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके बच्चों तथा आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें।	16	20	20	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर कक्षा 1—5 में 3 रु0 तथा कक्षा 6 में 4 रु0 कक्षा 7 में 5 रु0 तथा कक्षा 8 में 6 रु0 कक्षा 9 व 10 में 10 रु0 कक्षा 11 व 12 में 15 रु0 प्रतिमाह पुस्तकीय सहायता क्रमशः कक्षा 1—5 में 10 रु0 कक्षा 6—8 में 15 रु0 कक्षा 9—10 में 20 रु0 कक्षा 11-12 में 25 रु0।
16	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां	1,09	1,10	1,10	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर कक्षा 9—10 में 10 रु0 प्रतिमाह तथा कक्षा 11-12 में 15 रु0 प्रतिमाह।
17	उत्तराखण्ड स्थित संस्कृत संस्थाओं के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिये विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था।	29	30	30	स्वीकृत प्राविधान के अनुसार प्रवेशिका, प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्य स्तर पर क्रमशः 8, 10, 15, 20 और 25 रु0 प्रतिमाह की दर से क्रमशः 17, 37, 56, 10 और 6 छात्रवृत्तियां।
18	पर्वतीय क्षेत्र में स्थित संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति।	12	12	12	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत कक्षा 7, 8, 9-10, 11-12 में क्रमशः 5 रु0, 10 रु0 तथा 15 रु0 के बीच छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।
19	उत्तराखंड स्थित विद्यालयों में कक्षा (7-12) के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति।	3,10	3,10	3,10	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत कक्षा 7-8 में 5 रु0 कक्षा 9—10 में 10 रु0 तथा कक्षा 11-12 में 15 रुपया।
20	सुदूर सीमान्त क्षेत्रों (जिलों) में छात्रों को शैक्षिक सुविधायें।	2,82	1	1	स्वीकृत प्राविधान के आधार पर जूनियर हाई स्कूल स्तर पर 15 रु0 प्रतिमाह हाईस्कूल तक कक्षा 9-10 में 30 रु0 प्रतिमाह तथा इंटर कालेज 11-12 में 25 रु0 प्रतिमास की दर से स्वीकृत की जाती हैं।
21	कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर दी जा रही छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि।	2,85	2,85	2,85	क्रम 3 के अनुसार।
22	स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्तियां।	6,23	6,25	6,25	जूनियर हाईकूल, हाई स्कूल व इंटर स्तर पर क्रमशः 8, 15 व 25 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां क्रमशः 50, 75 व 100 रु0 प्रति छात्र को पुस्तकीय सहायता।

1	2	3	4	5	6
23	चम्बल घाटी के आत्मसमर्पणकारी डाकुओं के बच्चों आदि को शैक्षिक सुविधायें ।	1,15	1,80	1,80	इस श्रेणी के बच्चों को प्राइमरी, जूनियर माध्यमिक स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में क्रमशः 35, 40, 50 तथा 75 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रावासी होने की दशा में दरें क्रमशः 60, 60, 65, 75 व 100 रु० प्रतिमाह होगी ।
24	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ।	..	4	4	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर अनावासिक छात्रों को पुस्तकीय सहायता (जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इंटर स्तर पर क्रमशः 30, 40 तथा 50 रु० प्रति छात्र) तथा छात्रावासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल व इंटर तीनों स्तर पर 50 रु० प्रतिमाह)
25	बंगला देशनएके विस्थापितों केहें, बच्चों को, जो शिविरों के बाहर रह रहे हैं केन्द्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता ।	..	3	3	स्वीकृत प्राविधान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों के आधार पर अनावासिक छात्रों को पुस्तकीय सहायता (जूनियर स्तर पर 10 छात्रों को 30 रु० प्रतिछात्र, हाई स्कूल स्तर पर 75 छात्रों को 45 रु० प्रतिछात्र तथा इण्टरस्तर पर 50 छात्रों को 50 रु० प्रतिछात्र, तथा छात्रावासी छात्रों (हाई स्कूल स्तर पर 50 छात्रों को 40 रु० प्रतिमाह और इण्टर स्तर पर 30 छात्रों को 50 रु० प्रतिमाह) छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।
26	डफरिन तथा मैरिना कालेज कलकत्ता के प्रशिक्षार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां ।	50	50	50	क्रमश : 10 व 20 छात्रवृत्तियां 75 रु० प्रतिमाह की दर से ।
27	हाई स्कूल तथा इंटर छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि ।	1,073	10,76	10,76	हाई स्कूल /इंटर छात्रवृत्तियां क्रमशः 10 रु० तथा 16 रु० प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती रही हैं। इनकी दरें बढ़ाकर 10 रु० के स्थान पर 15 रु० तथा 16 रु० के स्थान पर 25 रु० प्रतिमाह की दर से की गई है ।

VI—शिक्षकों का प्रशिक्षण:—

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनेत्तर	1,71,60	1,93,48	2,07,23
आयोजनागत	18,56	30,07	32,70

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकायें सुलभ कराने हेतु प्रदेश में कुल 12 एल0 टी0 प्रशिक्षण कालेज है जिनमें से 5 राजकीय, 7 अशासकीय हैं। इसके अतिरिक्त 3 शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी हैं, इसमें दो राजकीय तथा एक अशासकीय विद्यालय है। राजकीय कालेज निम्नलिखित हैं:—

(क) राजकीय—

(1) राजकीय केन्द्रीय अध्यापक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।
(2) राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
(3) राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी ;
(4) राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर।
(5) राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
(6) राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
(7) राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

(ख) अशासकीय—

(1) क्रिश्चियन प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
(2) किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती।
(3) दिग्विजय नाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर।
(4) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
(5) काली प्रसाद प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
(6) डी0 ए0 वी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
(7) किशोरी रमण प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
(8) क्रिश्चियन कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, लखनऊ।

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों की प्रवेश संख्या परीक्षार्थियों की संख्या एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की संख्या का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित की गई है:—

	विद्यालय की संख्या		प्रवेश संख्या		सम्मिलित		वर्ष 1983 का परीक्षाफल उत्तीर्ण	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) एल0 टी0 (सामान्य रूप)	8	1	780	100	569	230	501	213
(ख) एल0टी0(बेसिक)	1	..	60	60	48	47	47	40
(ग) एल0टी0(रचनात्मक)	1	..	175	..	97	56	87	55
(घ) एल0टी0(गृह विज्ञान)	..	1	..	30	..	22	..	20
(ङ) डी0पी0एड0	2	1	80	25	178*	24	154	24

नोट:— (1) राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ में एल0टी0(रचनात्मक) एल0टी0(कृषि) एल0 टी0 (विज्ञान) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(2) अध्यापक छात्र अनुपात राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा अशासकीय शिक्षण महाविद्यालयों में 1:10 का है।

(3) पुरुष एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय में महिलाओं का भी प्रवेश होता है, किन्तु उनके लिये कोई स्थान निर्धारित नहीं है।

(4) *आंशिक परीक्षार्थी भी सम्मिलित हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग

राजकीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद

अध्यापक प्रशिक्षण शैक्षिक शोध, नये शैक्षिक विचारों से शिक्षा जगत को जानकारी कराना, बाल साहित्य की रचना तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करना आदि शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को करने के लिये आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1939) की संस्तुति के आधार पर राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद को वर्तमान स्वरूप (1948) मिला । नवम्बर, 1981 से यह संस्थान राज्य में प्रशिक्षण और शैक्षिक शोध को और गतिशील बनाने के लिये नव गठित संस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में परिषद् की इकाई के रूप में अब कार्यरत है । यद्यपि अपने स्थापना काल से ही यह संस्थान शैक्षिक शोध के क्षेत्र में योगदान करता आ रहा है, परन्तु परिषद् की इकाई के रूप में इसके कार्य कलापों में अपेक्षाकृत प्रगति हुई है । संस्थान के विभिन्न क्रिया कलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(क) प्रशिक्षण—

(i) पूर्व सेवारत प्रशिक्षण—

संस्थान एल0टी0परीक्षा हेतु पूर्व सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करता है । वर्ष 1983 के एल0टी0 परीक्षा में 71 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए । परीक्षा का फल शत प्रतिशत रहा । इस वर्ष दो प्रशिक्षणार्थियों को सैद्धांतिक विषयों में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई । 68 प्रशिक्षणार्थियों ने उपचारात्मक शिक्षा में विशेष दक्षता प्राप्त किया । 1983–84 में 80 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । जुलाई, 1983 से एल0टी0 का नया पाठ्यक्रम लागू हो चुका है ।

(ii) सेवारत प्रशिक्षण (माध्यमिक शिक्षकों के लाभार्थ)

10 वर्षीय सामान्य शिक्षा (जुलाई, 1982 से लागू) के पाठ्यक्रम मूल्यांकन तथा शैक्षिक जगत में होने वाले नवीन परिवर्तनों, दिशाओं तथा शैक्षिक स्तरोन्नयन के लिये चलाये जा रहे योजनाओं और कार्यक्रमों से अध्यापकों को परिचित कराने के लिये संस्थान में वर्ष 1982–83 में सतत शिक्षा एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाये गये ।

सतत शिक्षा कार्यक्रम (संध्या कालीन और अवकाश के दिनों में) के अन्तर्गत हाई स्कूल कक्षाओं में विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विषय पढ़ाने वाले 289 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है । इसमें इलाहाबाद और झांसी मण्डल के अध्यापक थे । वर्ष 1983–84 में 450 अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है ।

पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण के अन्तर्गत 59 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया । चालू वर्ष में 200 अध्यापकों को पुनर्बोधन का लक्ष्य है ।

(ख) शोध कार्य—

वर्ष 1982–83 में अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम रचना आदि विषयों में 6 शोध अध्ययन पूरे किये गये । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना का कार्य भी पूरा कर लिया है ।

(1) उपचारात्मक शिक्षा
(2) दस वर्षीय नये पाठ्यक्रम में आन्तरिक मूल्यांकन
(3) कमजोर छात्रों के संदर्भ में जूनियर हाई स्कूल के लिये सामाजिक विषयों में निदानात्मक–परीक्षण का निर्माण ।
(4) राष्ट्रीय एकता और शिक्षा
(5) अन्तराष्ट्रीय सद्भावना के लिये शिक्षा
(6) सामाजिक विज्ञान की संकल्पना और शिक्षण विधि,

उपर्युक्त के अतिरिक्त शैक्षिक शोध पाठ्यक्रम की रचना तथा एल0टी0 के पाठ्यक्रम का संशोधन भी किये गये ।

इस वर्ष शोध/अध्ययनों और सदर्शिकाओं का निर्माण सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है:—

अनुसंधान/अध्ययन—

निम्नलिखित अनुसंधान/अध्ययन किये गये:—

1—माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमीय भार का अध्ययन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के शोध अध्ययन का अनुसरण ।

2—जिला स्तरीय बेसिक शिक्षा के प्रशासन से सम्बन्धित कर्तव्यों का इस दृष्टि से अध्ययन कि प्रबन्ध सम्बन्धी लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में असन्तुलनों/अक्षमताओं तथा निर्बलताओं का पता लगाया जा सके, उन्हें आंका जा सके और सुधार हेतु सुझाव दिया जा सके ।

3—माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा सुविधाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन (वर्ष 1982–83 में किये गये अध्ययन के अनुक्रम में) ।

4—हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षाफल प्रतिशत की अत्याधिक न्यूनतम के कारणों का अध्ययन एवं उपचारार्थ सुझाव प्रस्तुत करना ।

(शासन स्तरीय अध्ययन)

5—प्रशिक्षणार्थियों के अकादमिक योग्यता के संदर्भ में एल0टी0 के पूर्व प्रचलित (1975 तक) तथा वर्तमान प्रवेश नियमों का तुलनात्मक अध्ययन

6—नैतिक मूल्यों की शिक्षा सम्बन्धी परिचयात्मक पुस्तिका का विकास ।

7—प्राथमिक जूनियर स्तर पर गणित, हिन्दी एवं विज्ञान में निदान सूचक परीक्षणों की रचना ।

8—बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों/शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा उपलब्ध संसाधनों (भौतिक तथा मानवीय) का अध्ययन ।

9—शिक्षक प्रशिक्षण में चल-चित्रों की उपयोगिता ।

प्रकाशन सामग्री

निम्नलिखित शैक्षिक सामग्री की रचना की गयी ।

1—मानवीय मूल्यों की शिक्षा

2—एल0टी0 पाठ्यक्रम–सैद्धान्तिक ज्ञान का क्षेत्र ।

3—एल0टी0 पाठ्यक्रम शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधियां एवं कक्षा शिक्षण अभ्यास का क्षेत्र ।

4—एल0टी0 पाठ्यक्रम समुदाय में कार्य का क्षेत्र ।

5—प्रशिक्षणरत शिक्षकों के लिये शिक्षा में अभिनय प्रवृत्तियों एवं नवाचारों से सम्बन्धित पदों की विवरणिका ।

अन्य कार्य:—

उपर्युक्त के अतिरिक्त संस्थान द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

(1) उपचारात्मक शिक्षा इकाई के कार्य:—

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए छात्रों के अध्ययन करने विभिन्न विषयों के अध्ययन विधियों में सुधार करने तथा पूर्व सेवारत तथा सेवारत प्रशिक्षणार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण में विशेष दक्षता प्रदान करने की दृष्टि से इस संस्थान में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना म (1969–70) उपचारात्मक शिक्षा इकाई की स्थापना की गयी । इस योजना के अन्तर्गत 1971–72 से लेकर 1982–83 तक 1006 प्रशिक्षणार्थियों को विशेष दक्षता, 1455 अध्यापकों को पुर्नबोधन 31 निदान सूचक परीक्षणों की रचना तथा 12 शोध अध्ययन के कार्य हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त 5338 छात्रों को भी लाभ मिल चुका है । वर्ष 1982–83 में इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण/शोध तथा प्रसार के कार्य हो रहे हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस इकाई के कार्यों से सन्तुष्ट होकर इसके अन्तर्गत सृजित 7 अस्थायी पदों को 1 मार्च, 1983 से स्थायी कर दिया है और इस प्रकार इस इकाई को संस्थान का अभिन्न अंग बना दिया गया है ।

गोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन:—

इस संस्थान में राज्य तथा राष्ट्र स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन होता रहा है । वर्ष 1982 में एन0सी0ई0आर0टी0 के तत्वाधान में विभिन्न विषयों पर 4 गोष्ठियां एवं कार्यशालायें आयोजित हुई । इसके अतिरिक्त बी टी0सी0 पाठ्यक्रम पर विभाग द्वारा भी एक गोष्ठी आयोजित की गई । वर्ष 1983–84 में राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संगीत अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिये 10 दिवसीय (6 जुलाई से 15 जुलाई) सिंगिंग कैम्प आयोजित किया गया ।

सामुदायिक गायन:—

राष्ट्रीय सद्भावना के दृष्टि कोण से एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्रस्तुत व विभिन्न भाषाओं के राष्ट्रीय गायन में संगीत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया गया ।

प्रोन्नत प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण:—

इस वर्ष प्रोन्नत प्रधानाचार्यों (राजकीय) के प्रशासनिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण की योजना को प्रारम्भ किया गया ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का विज्ञान तथा गणित विभाग

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान

यह संस्थान मुख्यतः नये पाठ्यक्रमों के निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, तथा विज्ञान शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य सामग्रियों को तैयार करने, नवीन दस वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान अध्यापकों की दक्षता बढ़ाने हेतु सेवारत प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रदेश में विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु नीति निर्धारण एवं उनके कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों शोध, अध्ययन तथा व्यवहारिक उपयोगिता सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है ।

2—प्रदेश में चल रहे सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यक्रम इस संस्थान द्वारा वर्ष 1983–84 में किये गये ।

(क) परियोजनायें—

(1) एल0टी0(स्नातक स्तरीय शिक्षण डिप्लोमा) स्तर पर विज्ञान शिक्षणहेतु अध्यापकों द्वारा फिल्मों का उपयोग ।

(2) लखनऊ जनपद के जूनियर हाई स्कूलों के विज्ञान अध्यापकों का सघन सेवारत प्रशिक्षण ।

(3) इण्टर स्तरीय इलेक्ट्रानिक किट का निर्माण ।

(4) नये प्राइमरी विज्ञान किट हेतु संदर्शिका का निर्माण ।

(ख) शोध/अध्ययन

(1) प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में संशोधन/ परिवर्धन हेतु मानकों का विकास ।

(2) पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संदर्भ में जूनियर हाई स्कूल स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का उनकी कमियों के निवारण हेतु विश्लेषण ।

(3) उद्देश्य निष्ठ प्राइमरी स्तरीय विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षण विधियां ।

(4) नवीन दस वर्षीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में कक्षा 1 से 8 तक के विज्ञान पाठ्यक्रम का नवीनीकरण ।

(5) इण्टर स्तरीय विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य में सुधार ।

(ग) प्रकाशन—

(अ) 1, 3 तथा 4 और (ब) 1, 3 तथा 5 की पुस्तिकाओं के अतिरिक्त एक त्रैमासिक पत्रिका "विज्ञान शिक्षा" का प्रकाशन प्रस्तावित है जिसके प्रथम संस्करण में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल स्तरीय विज्ञान शिक्षण सम्बन्धी लेख होंगे ।

(घ) विद्यार्थी विज्ञान सेमिनार—

(7) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के तत्वाधान में अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है । उक्त प्रतियोगिता के लिये प्रदेश से दो उत्कृष्ट प्रतिभागियों के चयन हेतु जिला स्तरीय सेमिनार प्रदेश स्तर पर 12 अगस्त, 1983 से तथा राज्य स्तरीय सेमिनार, 3 सितम्बर, 1983 को राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में आयोजित की गयी है ।

(ङ) राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, 1983 का आयोजन—

इस प्रदर्शनी का सुनियोजित आयोजन देश में प्रथम बार जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1971 में तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली में किया गया था । इन प्रदर्शनियों के माध्यम से स्कूलों के छात्र/छात्राओं को अपनी अन्वेषणात्मक एवं सृजनात्मक क्षमताओं के विकास का अवसर मिलता है । तेरहवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में 10 से 16 नवम्बर, 1983 को आयोजित किया गया ।

इसमें मुख्य विषयतत्व "उत्पादकता हेतु विज्ञान और टेक्नालाजी" था और उप विषय तत्व निम्नवत् थे:—

1—ऊर्जा की बचत युक्तियां ।

2—अवशिष्ट पदार्थ का पुनर्चक्रण और प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सुरक्षित प्रबन्ध ।

3—खाद्य पदार्थ का उत्पादन तथा उसे सुरक्षित रखना ।

4—प्राकृतिक तथा मानव निर्मित रेशे ।

5—ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपर्युक्त तकनीक ।

प्रदर्शनी में देश के सभी राज्यों से छात्र/छात्राओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन सामग्री का प्रदर्शन किया ।

(च) विज्ञान अध्यापकों का पुनर्शिक्षण--

नये दस वर्षीय पाठ्यक्रम के समुचित अध्ययन के लिये शासन की नई योजना के अन्तर्गत श्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण कराया गया । ये प्रशिक्षण अध्यापक प्रत्येक जिले के उच्चतर माध्यमिक विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना

(हजार रूपयों में)

नाम	1982-83 का वास्तविक व्यय	1983-84 का पुनरीक्षित व्यय	1984-85 का आय-व्ययक अनुमान
आयोजनागत	187	803	1062

भारत सरकार के सुझाव पर इस प्रदेश में सितम्बर, 1981 से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया गया है । निम्नलिखित इकाइयों संस्थाओं के होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से शोध, नवीन कार्य विधियां, पर्याप्त स्तर के सेवारत प्रशिक्षण, जो पाठ्यक्रम के पुनर्गठन तथा शिक्षा के प्रबन्ध से सम्बन्धित हो, इस राज्य में नहीं हो पाये थे:-

(1) राज्य अध्यापन विज्ञान संस्थान ।
(2) मनोविज्ञान शाला ।
(3) राज्य शिक्षा संस्थान ।
(4) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ।
(5) अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान ।
(6) राज्य हिन्दी संस्थान ।
(7) शिक्षा प्रसार विभाग ।
(8) पाठ्यपुस्तक कार्यालय ।
(9) शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ ।

2--इसके अतिरिक्त इन्सैट की सहायता से शैक्षिक तकनीकी के कार्यक्रमों की प्रारम्भिक समस्याओं को सुलझाने के लिये कोई उपयुक्त संगठन न था, यद्यपि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1984 में ही उपलब्ध हो जाने की आशा है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों से 1974 में ही अनुरोध किया था कि वे तत्काल इस विषय में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से कार्यवाही करें और भी कई चालू कार्यक्रम थे । जिनमें से कई यूनिसेफ की सहायता से है, जिन्हें दक्ष शैक्षिक निर्देशन तथा समन्वय की आवश्यकता थी। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए सितम्बर 1981 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया जाय जिससे लाभप्रद और व्यवहारिक शोध सेवारत अध्यापक, प्रशिक्षण अध्यापक, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकें।

3--परिषद् का संगठन निम्नवत् है :--

(1) शिक्षा मन्त्री	अध्यक्ष
(2) शिक्षा सचिव	उपाध्यक्ष
(3) वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(4) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि	सदस्य
(5) राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
(6) शिक्षा निदेशक	सदस्य
(7) श्री श्रीनिवास शर्मा, सेवा निवृत्त शिक्षा निदेशक, सी-46, निराला नगर	सदस्य
(8) श्रीमती शान्ति तनखा, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्या, चांइना गेट (अमेरिकन लाइब्रेरी के सामने), लखनऊ	सदस्य
(9) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

4—राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के कार्य में निम्नलिखित की संकल्पना की गई थी :—

(क) शिक्षा में स्वयं अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वय करना तथा उनको प्रोत्साहित करना।

(ख) सेवा-पूर्व और सेवारत मुख्यतः उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ग) ऐसी संस्थाओं को परामर्श सेवा प्रदान करना जो शैक्षिक अनुसंधान/प्रशिक्षण में विद्यालयों के विस्तार सेवा में कार्यरत हों।

(घ) उन्नत शैक्षिक विधियों और कार्यक्रमों से विद्यालयों तथा प्रशासकों को अवगत कराना।

(च) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ कार्य करना अथवा उन्हें सहायता देना।

(छ) विद्यालय स्तरीय शिक्षा सम्बन्धी उन्नत विचारों तथा सूचनाओं का एकत्रीकरण और प्रसारण।

(ज) राज्य प्रशासन को तथा अन्य संगठनों को विद्यालय स्तरीय शिक्षा के स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में परामर्श देना।

(झ) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक पुस्तकों, सामग्री पत्रिकाओं तथा अन्य साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन।

(ट) ऐसे सभी कृत्यों का करना, जो परिषद् अपने प्रमुख उद्देश्यों के लिए आवश्यक, अनिवार्य या लाभप्रद समझे, शैक्षिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना, शैक्षिक कार्यकर्ताओं को उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण और विद्यालयों में विस्तार सेवा की सुविधा देना है।

(ठ) राज्य सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादित करना।

5—परिषद् के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यह नीति रखी गई है कि शैक्षिक अनुसंधान नीति निर्धारण स्कूलों म अध्यापन तथा शैक्षिक प्रशासन और नियोजन में गुणता, उन्नति और सुधार के उपयोग से सम्बन्धित होंगे। मूल अनुसंधानों विश्वविद्यालयों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या अन्य संस्थाओं को सहयोग देने और सहकारिता के आधार पर सम्बद्ध होने तक सीमित रहेगा। अनुसंधानों में कार्यरत शोध (ऐक्शन रिसर्च) को भी प्रमुखता दी जायगी जिसमें कार्यरत अध्यापकों और विद्यालयों को भी उन्नत विधियां विकसित करने में प्रोत्साहन मिले। प्रशिक्षण के क्षेत्र मुख्यतः सेवारत प्रशिक्षण के कार्यक्रम लिए जायेंगे। जिसमें अध्यापकों के अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासकों तथा नियोजकों का प्रशिक्षण भी सम्मिलित होगा।

6—विभिन्न इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण इस आय-व्ययक में प्रासंगिक स्थलों में दिया गया है। अनुसंधान कार्यों को पुष्ट करने के लिए परिषद् के अधिकारियों को शोध-विधियों का प्रशिक्षण एन० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से दिलाया गया।

7—सूचित शोध पत्र को तथा शिक्षक निर्देशिकाओं की सूची नीचे दी जा रही है :—

(1) कक्षा 8 के प्रतिभावान छात्रों के चयन के परीक्षण तथा उनकी उच्चतर शिक्षा में परीक्षाफल के सहसम्बन्ध का अध्ययन।

(2) इण्टरमीडिएट भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान की न्यूनतम उपकरण/सामग्री की प्रस्तावित सूची।

(3) सामाजिक विज्ञान की संकल्पना और शिक्षण विधि (दस वर्षीय पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में)।

(4) माध्यमिक स्तरों पर हिन्दी वर्तनी की अशुद्धियों का संकलन वर्गीकरण तथा उसके सुधार के उपाय।

(5) छात्रों के लिए उपयोगी अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण संदर्भों का संकलन।

(6) शैक्षिक तकनीकी—परिचयात्मक पुस्तिका।

(7) शैक्षिक तकनीकी के उपयोग का व्यवहारिक रूप।

(8) कक्षा 6 तथा 8 में लिखित कार्य में की गई त्रुटियों का विश्लेषण तथा उपचार।

(9) अंग्रेजी उच्चारण में सुधार हेतु टेप सामग्री।

(10) अंग्रेजी में भारतीय लेखकों की कृतियों का संकलन, भाग—2।

(11) राष्ट्रीय एकीकरण हेतु श्रोत पुस्तक (अंग्रजी)।

(12) जूनियर स्तर पर अंग्रेजी व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान में सुधार के लिए सुझाव, भाग—2।

(13) जूनियर हाई स्कूल स्तर के छात्रों की वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियों के विश्लेषण।

(14) इण्टर स्तरीय विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य में सुधार।

(15) प्राथमिक स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियां।

(16) माध्यमिक स्तर पर वर्तनी की अशुद्धियां।

(17) हिन्दी गद्य शिक्षण।

(18) हिन्दी पद्य शिल्प।

(19) अन्य भाषायी प्रदेश और हिन्दी।

(20) उचित व्यवसायों का चयन।
(21) छात्रों के लिए शैक्षिक निर्देशन।
(22) उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु सर्वेक्षण एवं सुझाव।
(23) उत्तर प्रदेश में परीक्षा सुधार।
(24) मूल्यों के लिए शिक्षा।
(25) अध्यापक-प्रशिक्षण में फिल्मों का प्रयोग।
(26) "वाणी" पत्रिका का—राष्ट्रीय एकीकरण और हिन्दी विशेषांक।
(27) "वाणी" पत्रिका का क्षत्रीय बोलियां विशेषांक।
(28) जनसंख्या शिक्षा-परिचायिका।
(29) अध्यापक और जनसंख्या शिक्षा-निर्देशिका।
(30) शिक्षा में आन्तरिक मूल्यांकन।
(31) एल0 टी0 पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की उपलब्धियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
(32) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा (प्रथम भाग)।
(33) शैक्षिक तकनीकी के उपयोग का व्यवहारिक रूप।
(34) सुबह का भूला (नवसाक्षर साहित्य)।
(35) छुआछूत (नवसाक्षर साहित्य)।
(36) वन सम्पदा (नवसाक्षर साहित्य)।
(37) नेकी की राह चलो (नवसाक्षर साहित्य)।

VII—अन्य व्यय

(हजार रुपयों में)

	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 पुनरीक्षित अनुमान	1984-85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनेतर	6,92,15	7,22,45	7,14,33
आयोजनागत	67,82	74,92	1,34,09

उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मनोविज्ञानशाला, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन के कार्य, शैक्षिक संग्रहालय एवं प्रकीर्ण व्यय का प्राविधान सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(हजार रुपयों में)

	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 पुनरीक्षित अनुमान	1984-85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोनेतर	6,64,59	6,92,72	6,82,00
आयोजनागत	4,92	7,68	9,62

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिससे परिषद् के कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा इसमें जटिलताएं भी आ रही हैं। अतः कार्य में गति लाने के उद्देश्य से परिषद् के कार्यों का विशेषतया परीक्षा सम्बन्धी कार्यों का विकेन्द्रीकरण करके मेरठ, वाराणसी एवं बरेली में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना क्रमशः 1972, 1978 एवं 1981 में की जा चुकी है। परिषद् का चौथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

वर्ष 1982 की परीक्षाओं में कुल 16,15,229 एवं 1983 की परीक्षाओं में 18,49,220 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। वर्ष 1982 एवं 1983 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या निम्नवत् है :

परीक्षा वर्ष	पंजीकृत परीक्षार्थी	पूरक परीक्षार्थी	कुल परीक्षार्थियों की पंजीकृत संख्या
1	2	3	4
1982	14,01,315	2,13,914	16,15,229
1983	16,73,288	1,75,932	18,49,220

इसी क्रम में ज्ञातव्य है कि परीक्षा पद्धति में सुधार लाने तथा परीक्षा कार्य को सुगम एवं सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से शासन ने कई योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

1981 की परीक्षाओं से संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाओं का संचालन अलग-अलग किया जा रहा है तथा परीक्षाफल भी कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराया जा रहा है। 1983 की पूरक परीक्षाओं का परीक्षाफल भी प्रथम बार कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया है। परिषद् की 1984 की हाई स्कूल परीक्षाओं का आयोजन प्रथम बार दस वर्षीय अनिवार्य पाठ्यक्रम पद्धति से किया जा रहा है। किन्तु 1983 की हाई स्कूल परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा देने की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है।

3—1983 में इण्टर साहित्यक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन सीधे न कर पत्राचार पाठ्यक्रम पद्धति से किया जा रहा है।

4—परीक्षार्थियों की सुविधा एवं परीक्षकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस वर्ष छः विषयों की विश्लेषण पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है। नवीन पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श प्रश्न-पत्रों के निर्माण की भी योजना है। प्रतिभाप्रसून नामक पुस्तिका का निर्माण एवं प्रकाशन कर समस्त विद्यालयों को प्रेषित किया जा चुका है। पाठ्यक्रमों में संशोधन एवं परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए इण्टर में अनेक विषयों में परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है जिससे दसवर्षीय सामान्य शिक्षा की विषयवस्तु से आगे के पाठ्यक्रम का तालमेल बना रहे। मूल्यांकन में भी सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। प्रश्न-पत्र निर्माताओं एवं परिसीमन कर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही इस कार्यालय के मूल्यांकन एवं शोध अनुभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

5—1983 की परीक्षाओं में 56 संकलन केन्द्र तथा 43 उपकेन्द्र तथा 132 मुख्य परीक्षा एवं 16 पूरक परीक्षा मूल्यांकन केन्द्रों द्वारा उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य कराया गया। वर्ष 1983 में परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या 5,007 थी। 1983 की परीक्षाएं संस्थागत 1984 तथा व्यक्तिगत 899 परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से आयोजित कराई गई।

6—पाठ्य-पुस्तक राष्ट्रीयकरण अनुभाग द्वारा 1982 में 15 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का निर्माण कराया गया। दसवर्षीय सामान्य शिक्षा लागू कर देने के परिणामस्वरूप छः अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रणयन किया गया है।

12 अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें अगले वर्ष तक तैयार होकर उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार हाई स्कूल में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित 1 तथा 2, सामाजिक विज्ञान भाग-1 तथा 2, विज्ञान 1 तथा 2 तथा इण्टर में हिन्दी की पुस्तकों का प्रणयन अब तक हो चुका है।

परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

वर्ष	हाई स्कूल			इण्टरमीडिएट			महायोग
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	1,790	275	2,065	2,181	385	2,566	4,631
1981	1,764	276	2,040	2,386	416	2,802	4,842
1982	1,755	276	2,031	2,464	417	2,881	4,912
1983	1,805	277	2,082	2,506	419	2,925	5,007

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(हजार रुपए में)

	1982–83 का वास्तविक व्यय	1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	..	..	..
आयोजनागत	9,20	31,00	31,00

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन एवं परीक्षा पद्धति के अभिनवीकरण हेतु पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (इन्स्टीट्यूट आफ करेसपांडेन्स एजूकेशन) की स्थापना शासन द्वारा वर्ष 1980–81 में की गई है। प्रथम चरण में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा (साहित्यिक वर्ग) हेतु वर्ष 1984 के लिए छात्रों का पंजीकरण करके उनके पत्राचार–शिक्षण की व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। सम्प्रति 1984 की परीक्षा के लिए इण्टर–मीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा (साहित्यिक वर्ग) के 5,056 परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1985 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा (साहित्यिक वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है जिनकी संख्या लगभग 20 हजार तक होने का अनुमान है।

वर्तमान समय में पत्राचार शिक्षा संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :—

क्रम–संख्या	पद नाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा)	1,840–2,400	1
2	सहायक शिक्षा निदेशक (शैक्षिक)	1,250–,2050	1
3	सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा)	850–1,720	1
4	लेखाधिकारी	850–1,720	1
5	पत्राचार अधिकारी	770–1,600	2
6	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–1	625–1,360	1
7	प्रवक्ता	650–1,280	12
8	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	570–1,100	2
9	वरिष्ठ सहायक	515–860	10

1	2	3	4
10	आशुलिपिक	515–860	3
11	लेखा लिपिक	470–735	2
12	वरिष्ठ लिपिक	430–685	4
13	स्टोर कीपर	400–615	1
14	कनिष्ठ लिपिक	354–550	8
15	ड्राइवर	330–495	1
16	दफ्तरी	315–440	1
17	मशीनमैन	315–440	1
18	अर्दली/चपरासी	305–390	11
		योग ..	63

सम्प्रति माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट (साहित्यिक वर्ग) की व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष 1984 से सम्बन्धित सभी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार शिक्षण व्यवस्था का अनुसरण अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के विनियमों में इस आशय का उल्लेख करते हुए आवश्यक संस्थान भी किया जा चुका है। कालान्तर में पत्राचार शिक्षा संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् की व्यक्तिगत परीक्षा के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेगा।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक निर्देशन विभाग

मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	11,04	12,93	14,15
आयोजनागत	63	70	80

इलाहाबाद में स्थापित मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संस्था है। यह मुख्यतः शैक्षिक, वैयक्तिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का कार्य करती है। निर्देशन में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण तथा तत्सम्बन्धित शोध कार्य भी यहां होता है। प्रदेश की मनोवैज्ञानिक सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर वांछित स्तर के अनुकूल मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा विधियों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि हेतु यहां निर्देशन मनोवैज्ञानिक प्रमाण-पत्र का एक पूर्ण सत्रीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रति वर्ष अधिकतम 15 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।

2—वर्ष 1976–77 से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिये आवासीय छात्र योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत कुछ विशिष्ट विद्यालयों में छात्रों के लिये विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इन विशिष्ट छात्रों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्देशन तथा परामर्श का पूरा दायित्व मनोविज्ञानशाला तथा इसके सुदृढीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक मण्डल में स्थापित मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों को है, ऐसे आवासीय विद्यालयों में जहां परामर्शदाता नियुक्त है यह कार्य उनके द्वारा इस संस्था के निर्देशन में सम्पन्न होता है।

3—उत्तर प्रदेश में कार्यरत इण्टरमीडिएट कक्षाओं में मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं को यहां प्रति वर्ष बुलाकर इन विषयों की आधुनिक प्रवृत्तियों तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में प्रशिक्षित भी किया जाता है, ताकि अपने सम्बन्धित ज्ञान से छात्र/छात्राओं को विशेष लाभान्वित कर सके। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के विशेषज्ञों को यहां समय-समय पर बुलाकर मनोविज्ञान विधियों में प्रेशिक्षित किया जाता है।

4—मनोविज्ञान शाला द्वारा बी० टी० सी०, मुरादाबाद तथा सीतापुर, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ तथा स्पोर्टस कालेज की प्रवेश परीक्षाओं के चयन में सहायता प्रदान की जाती है।

5--मनोविज्ञान शाला के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य शैक्षिक निर्देशन है । इसकी विधियों तथा परीक्षणों के निर्माण का कार्य भी मनोविज्ञान शाला की देख-रेख में होता है ।

अनुसंधान/अध्ययन

इस वर्ष निम्नलिखित विषयों पर शोध कार्य किये गये :—

(1) स्टेनेफर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का मानकीकरण ।

(2) रोशा व्यक्तित्व परीक्षण के प्रति उत्तर प्रदेश के वयस्कों की अनुक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।

(3) विभिन्न आयु-वर्ग के बालकों की खेल में रुचि का अध्ययन ।

(4) आयु वर्ग 5–10 वर्ष के बच्चों के लिये एक व्यक्तिगत निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण ।

(5) चिल्ड्रेन्स एपरशेप्शोन्स टेस्ट के प्रति उत्तर प्रदेश के बालकों की प्रति क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।

(6) अध्यापन क्षमता के परीक्षण का निर्माण ।

(7) उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की व्यावसायिक रुचि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।

(8) बालकों के शैक्षिक निदेशन हेतु अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिये कुछ सुझाव ।

(9) विद्यार्थियों के व्यावसायिक मार्ग दर्शन हेतु अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिये उपयोगी सुझाव ।

(10) आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत चुने गये छात्रों के इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्तांकों का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।

(11) बालकों के नैतिक चरित्र के विकास के सम्बन्ध में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन ।

(12) उच्चतर माध्यमिक स्तर के बालकों में सृजनात्मकता का अध्ययन ।

निम्नलिखित के प्रकाशन भी किये गये :—

छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक सेवा की सुविधा ।

उपयुक्त व्यवसाय का चयन ।

छात्रों को शैक्षिक निर्देशन ।

(iii) केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आवोजनेत्तर	8,10	7,08	7,90

इलाहाबाद स्थित राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय एक अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण संस्था है । इसकी स्थापना सन् 1949 में की गयी थी । इसमें प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित प्रायः प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति संग्रहीत है । इस प्रकार कापीराईट संग्रह की लगभग एक लाख पुस्तकें संग्रहीत की जा चुकी हैं । इनमें से कुछ पुस्तकें अत्यन्त दुर्लभ बहुमूल्य तथा शोध एवं अनुसंधान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद हैं ।

वर्ष 1982–83 के अन्त तक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली तथा संस्कृत भाषा की लगभग 48,725 पुस्तकों का नवीनतम् संग्रह है। पंजीकृत गृहीताओं की संख्या 7,072 हो चुकी है। 53,210 पाठकों ने पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में पुस्तकों, दैनिक पत्र एवं पत्रिकाओं का संदर्भ एवं सामान्य अध्ययन के लिये प्रयोग किया।

केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय के नये भवन के निर्माण हेतु 14,90,000 रुपये की स्वीकृति गत वर्ष दी गई थी जिससे नवा भवन बन कर लगभग पूरा होने वाला है।

राजकीय जिला पुस्तकालय

मैदानी क्षेत्र में आठ तथा पर्वतीय क्षेत्र में छः पुस्तकालय हैं। यह सभी पुस्तकालय अपने-अपने जनपदों में जन साधारण को स्वाध्यायों की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रत्येक जिला पुस्तकालय में लगभग बारह हजार पुस्तकों का संग्रह है। वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में मुरादाबाद, बिजनौर, बांदा, बस्ती, उन्नाव तथा सीतापुर जनपद में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं। वर्ष 1984–85 में 9 अन्य जनपदों में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पुस्तकालय नीति एवं पद्धति का विकास

(हजार रुपये में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनागत	1,90	2,00	2,25

सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय कोष्ठक की स्थापना वर्ष 1980–81 में की गई थी। इस कोष्ठक को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह प्रदेश में एक आधुनिक पुस्तकालय पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनायें बनाने और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य करें। सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन योजना, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा पुस्तकालय विकास प्रशिक्षण आदि विषयक, जो कार्य शिक्षा निदेशालय में होता था वह इस कोष्ठक को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

पुस्तकालयों को अनुदान

इस शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983–84 में सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान देने हेतु धनराशि उपलब्ध थी। वर्ष 1984–85 में सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान नामक योजना के अन्तर्गत 10.91 लाख रु० प्रस्तावित किया गया है।

(VI) स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की स्रोत, सामग्रियों का संकलन एवं प्रकाशन :—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,45	1,61	1,81

चालू वित्तीय वर्ष 1984–85 में इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल 20 हजार की वृद्धि हुई है जो वास्तविकता के आधार पर है ।

(VII) शैक्षिक संग्राहालय— (हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,13	95	1,11

शिक्षा विभाग के आधीन प्रदेश के चार जिले मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, देवरिया और इटावा में शैक्षिक संग्रहालय की व्यवस्था की गई है जिसमें कला, शिल्प, दस्तकारी आदि की शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त छात्रों द्वारा बनाये गये विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है । इसकी देख-भाल सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जाती है ।

(XIV) प्रकीर्ण व्यय (हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	5,84	7,16	7,36
आयोजनागत	47,94	30,69	87,46

इस शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को उनके कार्य-कलापों को सम्पादित करने हेतु अनेक प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं । ये अनुदान आवर्तक/अनावर्तक रूप से आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत आय–व्ययक में व्यवस्थित प्राविधानों से स्वीकृत किये जाते हैं ।

अध्यापकों को राज्य पुरस्कार—

वर्ष 1958 से अध्यापकों की विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारम्भ हुई थी । इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष विभिन्न प्रदेशों के चुने हुए प्रारम्भिक पूर्व माध्यमिक स्तर के अध्यापकों तथा संस्कृत पाठशालाओं तथा अरबी, फारसी मदरसों के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है । वर्ष 1964 से ऐसे शिक्षकों को राज्य पुरस्कार भी प्रदान करना प्रारम्भ किया गया । इस योजना में चुने गये अध्यापकों को 1,000 रु0 नकद तथा एक ऊनी शाल, मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाता है । वित्तीय वर्ष 1983–84 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 23,000 रु0 का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त पुरस्कृत अध्यापकों को दो वर्षों की सेवा विस्तरण किये जाने का भी प्राविधान है ।

गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है :

क्रम–संख्या	वर्ष	पूर्व माध्यमिक/ माध्यमिक	प्रारम्भिक	संस्कृत	अरबी फारसी	शिक्षक प्रशि0	शिशु शि0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1981–82	7	13	..	..	..	..	20
2	1982–83	4	8	3	2	2	..	19
3	1983–84	6	10	3	2	2	2	25

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का शैक्षिक तकनीकी विभाग

राज्य शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ

राज्य शैक्षिक तकनीकी कोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यक्षेत्र में जन संचार माध्यमों में से अभी तक केवल रेडियो माध्यम के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही लखनऊ आकाशवाणी के रेडियो स्कूल ब्राडकास्टों के सम्बन्ध में वांछित सत्परामर्श एवं सहयोग देना ही रहा है। इस कोष्ठ द्वारा इन प्रसारणों को ग्राह्य एवं रूचिकर बनाने हेतु यथावश्यक सद्प्रयास किये जाते हैं। विद्यार्थियों को नियमित रूप से इन प्रसारणों को विद्यालयों में सुनवाने के लिये इस कार्यालय द्वारा प्रधानाचार्यों को सदुप्रेषित किया जाता है। इस वर्ष 1983–84 में भी माह जुलाई, 1983 से मार्च, 1983 तक स्कूल प्रसारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिये आकशवाणी से प्रतिदिन 12.00 से 12.30 तक नियमित प्रसारण किये जाते हैं।

इस वर्ष से इस कोष्ठ के सदुप्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये सप्ताह में एक दिन शनिवार को निश्चित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सामान्य ज्ञान, अच्छी आदतें, व्यक्तित्व विकास आदि से सम्बन्धित विषयों पर होने वाले रुचिकर प्रसारणों से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

इस वर्ष 1983–84 के लिये इस कोष्ठ के समक्ष उत्तर प्रदेश में शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम की वृहत् योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन करना है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में भारत सरकार की इनसेट परियोजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रदेश में तीन जिलों गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ में इनसेट 1–बी द्वारा 600 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के हेतु प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। इस कोष्ठ के निशातगंज परिसर में शैक्षिक टेलीविजन प्रोडक्शन सेण्टर के निर्माण की योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है। इस "इनसैट" परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण व्यवस्था सम्बन्धी निम्न दो भाग हैं:—

(क) शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों का निर्माण करना और उन्हें प्रसारण के लिये समय से दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को उपलब्ध कराना।

(ख) प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को "इनसैट" परियोजना सेवित जिलों में बच्चों के सुनवाने, दिखलाने की पूर्ण व्यवस्था आदि करना।

भवन निर्माण कार्य पूरा न होने की स्थिति में अस्थायी रूप से कार्य चलाया गया। एक राष्ट्रीय कार्यशाला, एन0सी0 ई0आर0टी0 नई दिल्ली में मार्च/अप्रैल, 1983 में ही हो चुकी है तथा अन्य कई बैठकों को आयोजित करके शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत रूप रेखा तैयार की जा चुकी है और सी0ई0टी0 नई दिल्ली में कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं, जिन्हें अन्य "इनसैट" प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी जुलाई, अगस्त, 1984 से प्रसारित किया जायेगा।

उक्त "इनसैट" परियोजनान्तर्गत शैक्षिक टेवीविजन प्रसारण प्रारम्भ किये जाने के यथेष्ठ पूर्व निम्न व्यवस्थाओं का किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

(1) प्रदेश के "इनसैट" जिलों में प्राइमरी विद्यालयों का चुनाव जहां पर बिजली, पक्का भवन तथा आने-जाने का मार्ग उपलब्ध हो।

(2) भारत सरकार से टेलीविजन उपलब्ध हो जाने पर इनको सुरक्षित रखने व चलाने वाले अध्यापकों, कस्टोडियनों को प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(3) टेलीविजन सेटों के रख-रखाव आदि के लिये आन्तरिक प्रबन्धतंत्र की स्थापना।

(ग) विशेष शिक्षा

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	16,74	13,30	14,10
आयोजनागत	2,39,59	4,22,42	7,07,74

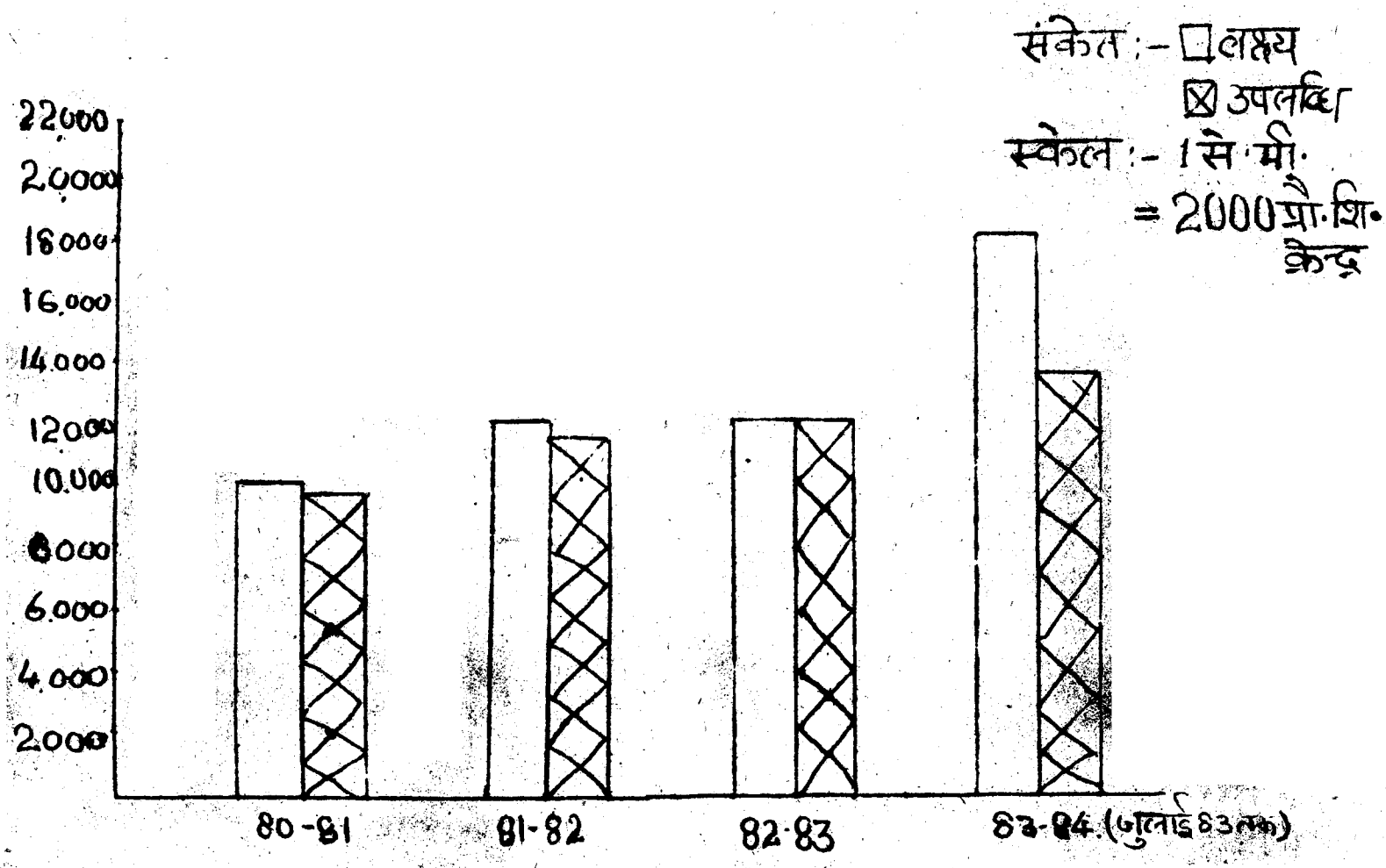

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ
(शासकीय परियोजनाओं के अन्तर्गत)

1	2	3	4
		रु0	
7	लेखाधिकारी (बजट)	850–1720	1
8	लेखाधिकारी (सम्प्रेक्षण)	850–1720	1
9	शोध अधिकारी	850–1720	1
10	सहायक शोध अधिकारी	770–1680	1
11	सहायक लेखाधिकारी	690–1420	1
	जनपद स्तर		
1	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	1250–2050	34
	परियोजना स्तर पर		
1	परियोजना अधिकारी	850–1720	59
2	सह परियोजना अधिकारी	690–1420	48

इस कार्यक्रम को उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त 513 पर्यवेक्षकों तथा 17,500 अनुदेशकों के माध्यम से केन्द्रों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है तथा विभिन्न स्तर पर कार्यालयी स्टाफ भी उपलब्ध कराया गया है।

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अनुदेशकों के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य है तथा जिन्हें प्राप्त कर लिया गया है और प्राप्त किया जाना है उनके वर्ष वार विवरण निम्नवत् है :

क्रम-संख्या	1979–80 (आधार वर्ष)	छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 1980–85	उपलब्धि 1980–81	1981–82	1982–83	वर्ष 83–84 की उपलब्धियों का अनुमान	वर्ष 84–85 का अनुमानित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रौढ़ शिक्षा						
	(1) खोले गये केन्द्रों की संख्या						
(अ)	केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत	3,655	75,900	5,908	9,838	9,600	13,500	19,600
(ब)	प्रदेशीय कार्यक्रम के अन्तर्गत	..	28,600	..	1,652	2,000	4,900	9,800
(स)	स्वैच्छिक संस्थायें	792	9,600	90	..	60	850	3,100
(द)	नेहरू युवक केन्द्र	502	6,000	533	811	628	..	1,000
(घ)	विश्वविद्यालय महाविद्यालय	278	3,400	130	476	494	..	1,000
	(2) पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या							
(अ)	केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल	91,865	22,77,000	1,60,341	2,77,234	28,359	4,05,000	5,88,000
	महिला	25,802	11,38,500	55,752	1,04,392	11,515	2,02,500	2,94,000
(ब)	प्रदेशीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल	..	8,58,000	..	45,865	58,916	1,20,000	2,94,000
	महिला	..	4,29,000	..	16,137	20,447	60,000	1,47,000
(स)	स्वैच्छिक संस्थायें कुल	22,257	2,88,000	2,737	..	1,800	25,500	93,000
	महिला	6,085	1,44,000	360	..	778	12,750	66,500

1	2	3	4	5	6	7	8
(द) नेहरू युवक केन्द्र							
कुल	15,392	1,80,000	16,556	25,032	14,224	..	30,000
महिला	5,856	90,000	5,812	7,974	6,597	..	15,000
(य) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय							
कुल	8,361	1,02,000	3,787	13,777	13,742	..	30,000
महिला	1,821	51,000	1,662	5,489	5,050	..	15,000
कुल (अ से य तक)							
कुल	1,37,875	37,06,000	1,83,421	3,61,908	3,73,041	5,50,500	10,35,000
महिला	39,564	18,52,500	55,752	1,34,012	1,44,597	2,25,250	5,17,500

प्रशिक्षण

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की सफलता में शिक्षण का प्रमुख स्थान है । पहले इस कार्यक्रम के संचालनार्थ अनुदेशकों को 21 दिवस का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है । इसी के साथ-साथ प्रत्येक पर्यवेक्षक को 15 दिन का विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिये जाने का विधान है । प्रशिक्षण की कार्य कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से न केवल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है वरन कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण कराया जाता है । लेखा कार्यों में कठिनाइयां न हो और अनियमितता न हो, इस उद्देश्य से जनपद, परियोजना एवं निदेशालय स्तर के कर्मचारियों को भी लेखा एवं वित्तीय नियमों सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा चुका है । प्रशिक्षण मद पर अब तक 47.10 लाख रु0 व्यय हो चुका है और 1983–84 में 34.41 लाख रु0 व्यय होना अनुमानित है । साथ ही वर्ष 1984–85 में सभी को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य पूर्ण करने हेतु लगभग 50.00 लाख रु0 की धनराशि की व्यवस्था कराया जाना अनुमानित है ।

वित्तीय नियंत्रण हेतु आडिट इकाई की व्यवस्था—

वर्ष 1981–82 में निदेशालय स्तर पर वित्तीय नियंत्रण एवं स्वयंभिस्त करने हेतु एक आडिट इकाई स्थापित की गयी, जिसमें एक लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, तथा तीन वरिष्ठ एवं छः कनिष्ठ सम्प्रेक्षक कार्यरत हैं । इनका उद्देश्य जनपद एवं परियोजना कार्यालयों के लेखाओं का सामयिक निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक मार्ग निर्देशन देना है और उद्घाटित अनियमितताओं के निस्तारण हेतु निर्देश भी उनके द्वारा दिया जाता है । छोटी-मोटी अनियमितताओं को जनपद स्तर पर निस्तारित कर देते हैं, वहीं इस इकाई के सहयोग से भारी गम्भीर एवं घातक हानियों एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये इनका विशिष्ट प्रयास रहा है । वित्तीय वर्ष 1983–84 के अन्त तक इस विभागीय आडिट इकाई ने सभी जनपदों/परियोजना कार्यालयों के अद्यावधिक सम्प्रेक्षण कर लेने का लक्ष्य जो बनाया था, वह पूरा हो जायेगा । समय-समय पर सम्प्रेक्षण में पायी गयी त्रुटियों को सुधारने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिये जाते रहे हैं ।

प्रचार प्रसार

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रसार हेतु अब तक निम्न प्रकाशन किये जा चुके हैं जिनको देखने से स्वतः स्पष्ट होगा कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जनसाधारण में लोकप्रिय बनाने के लिये सीमित साधनों में हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के प्रकाशनों की तालिका

1—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ।
2—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं सिंहावलोकन ।
3—राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश—महत्वपूर्ण परिपत्रों का संकलन ।
4—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति के दो वर्ष ।
5—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम—प्रगति आंकड़ों में ।
6—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा 1980–81 ।
7—महत्वपूर्ण परिपत्रों का संकलन (द्वितीय खण्ड) ।
8—मूल्यांकन एवं प्रगति पंजिका ।
9—पर्यवेक्षक की क्षेत्र पंजिका (प्रथम पंजिका) ।
10—पर्यवेक्षक की क्षेत्र पंजिका (द्वितीय पंजिका) ।
11—फोल्डर योजना एवं प्रगति ।
12—राज्य स्तरीय सम्पर्क अधिकारियों की संगोष्ठी ।
13—आख्या—मण्डलीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन ।

14—अधिकारियों के दायित्व, प्रथम खण्ड ।

15—पर्यवेक्षक के दायित्व ।

16—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम—एक परिचय ।

17—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तीन वर्ष ।

18—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (प्रयास एवं प्रगति आंकड़ों में) ।

19—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा—नया रूप नई रेखायें ।

20—उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा पोस्टर ।

21—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम—ब्रोशयोर ।

22—महत्वपूर्ण परिपत्रों का संग्रह—प्रेस में ।

23—पट कथाएं एवं गणितों का संग्रह ।

24—आंखों देखी कानो सुनी ।

25—अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (1983) पर फोल्डर ।

26—अनुदेशक प्रशिक्षण सेंदर्शिका ।

27—प्रतिभागी मूल्यांकन कार्यशाला ।

28—विकेन्द्रित पाठ्यक्रम निर्माण कार्यशाला ।

29—अभिनव प्रयोगशाला ।

III—संस्कृत तथा अन्य प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता—

(हजार रुपयों में)

	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 पुनरीक्षित अनुमान	1984-85 आगणक अनुमान
अयोजनेतर	4,17,41	4,68,45	4,94,68
आयोजनागत	43,08	34,24	47,95

उत्तर प्रदेश में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यताप्राप्त एवं सहायता प्राप्त एवं सरकारी गैर-सरकारी 1,419 संस्कृत पाठशालायें हैं, जिनकी स्थिति निम्नांकित है :

वर्ष 1982-83 तक वर्गीकृत पाठशालाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

सहायता प्राप्त ..	प्रथम श्रेणी	152
	द्वितीय श्रेणी	58
	तृतीय श्रेणी	8
	चतुर्थ श्रेणी	882
	योग ..	1,100
असहायता प्राप्त		319
	योग ..	1,419

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है । ये विद्यालय प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों में वर्गीकृत हैं । वर्ष 1982-83 में 25 संस्कृत पाठशालाओं को प्रथम श्रेणी में तथा 16 को द्वितीय श्रेणी में एवं तीन को तृतीय श्रेणी में शासन द्वारा वर्गीकृत किया गया है । प्रदेश की प्रथम श्रेणी की 117 सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं में अप्रैल, 1982 से एक लिपिक तथा एक चपरासी के पद का सृजन किया गया है ।

वर्ष 1982-83 में असहाय परिस्थितियों में पड़े प्रख्यात पंडितों व उनके मरणोपरान्त उनके आश्रितों को आर्थिक सहायक केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजन के अन्तर्गत प्रदेश के 96 संस्कृत पंडितों को शासन ने 2,57,260 रुपय स्वीकृत किया है । संस्कृत पाठशालाओं के कर्मचारियों को लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेन्शन आदि से लाभान्वित किया गया है :

उत्तर प्रदेश में स्थित पाठशालाओं का निरीक्षण, निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है । इसके अधीन सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें तथा मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशकों के नियंत्रण में रखे गये हैं ।

अशासकीय संस्कृत पाठशालाओं एवं अन्य प्राच्य संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान निम्नवत् हैं:—

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
1—संस्कृत तथा अरबिक पाठशालाओं को सहायक अनुदान	4,02,72	4,54,17	4,80,00
2—संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जाना	25,66	20,64	30,45
3—संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण	7	7	7
4—लब्ध प्रतिष्ठ संस्कृत पंडितों को सहायता	1,00	1,00	1,00
5—संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान	5,42	4,70	8,50
6—राज्य सहायता प्राप्त एवं शासन द्वारा वर्गीकृत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पाठशालाओं में लिपिक तथा चपरासियों के पदों का सृजन	8,00	8,90	9,00
7—उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी को सहायक अनुदान	7,50	7,50	7,50
8—संस्कृत के ख्यातिप्राप्त मूर्धन्य विद्वान के उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार	1,00	1,00	1,00
9—उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, लखनऊ को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु, अनुदान	1,42	1,42	1,42

प्रदेश में असहायिक मान्यताप्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की कार्मिक स्थिति को सुधारने एवं संस्कृत शिक्षा प्रसार के लिये प्रारम्भिक अनुदान योजना के माध्यम से वर्ष 1982–83 में 32 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया तथा वर्ष 1983–84 में 74 पाठशालाओं को प्रारम्भिक अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश की सहायिक संस्कृत पाठशालाओं को विकास हेतु योजना के माध्यम से विकास अनुदान दिये जाते हैं । वर्ष 1982–83 में मैदानी क्षेत्र के 18 संस्थाओं को तथा पहाड़ी क्षेत्र के 1 संस्था को विकास अनुदान दिया गया । वर्ष 1983–84 में भी संस्थाओं को विकास अनुदान दिया गया ।

iv—अन्य भाषाओं की शिक्षा—

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	..	..	..
आयोजनागत	14,34	37,97	40,05

वित्तीय वर्ष 1984–85 के आय–व्ययक से इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित अनुदान देने की व्यवस्था की गई है :

(हजार रुपयों में)

शीर्षक/मदें	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
1—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायता	1	4	4
2—अरबिक मदरसों के विकास एवं प्रारम्भिक अनुदान	14,33	37,93	40,01

उच्च शिक्षा

घ—विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा—

राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की प्रगतिकारिणी योजनायें बनाई गई हैं, जिनमें नवयुवकों के मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकासार्थ पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं को खोले जाने तथा पुरान वर्तमान पुस्तकालयों वाचनालयों, एवं प्रयोगशालाओं को विभिन्न प्रकार के अनुदान देकर नवयुवकों एवं पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार उच्च शिक्षा का उन्नयन और विकास व्यक्ति और राष्ट्र के लिये अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवार्य होने के कारण ही विश्व के प्रगतिशील देश अपनी विभिन्न विकास योजनाओं में उच्च शिक्षा के कलात्मक, वाणिज्यिक एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर विशेष बल दे रहे हैं।

I—निदेशन और प्रशासन—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर (मतदेय)	33,03	19,37	20,87
(भारित)	..	1	1
आयोजनागत	5,65	20,48	13,90

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के समस्त राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन सीधे उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के आदेशों का अधीनस्थ महाविद्यालयों में अनुपालन कराने का कार्य भी उच्च निदेशालय द्वारा सम्पादित होता है। अशासकीय महाविद्यालयों का अनुरक्षण एवं विभिन्न प्रकार के विकास अनुदान उनके पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं को विकास अनुदान देना, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनशील छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न प्रकार के सामान्य एवं शोध छात्रवृत्तियां प्रदान करना, सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय महाविद्यालयों को शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत करना, राजकीय महाविद्यालयों के सरकारी भवनों की मरम्मत एवं उनका अनुरक्षण तथा नवीन भवनों एवं कक्षों के निर्माणार्थ आवश्यकतानुसार धन स्वीकृत करने का कार्य भी उक्त निदेशालय द्वारा सम्पादित होता है। साथ ही नये महाविद्यालयों को खोलने उनके नवीन संकायों तथा पदों का सृजन करने एवं नवीन भवनों के निर्माणार्थ शासन को प्रस्ताव भेजने का कार्य भी इसी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

राजाज्ञा संख्या 8320/15(1)/23(2)–1978, 1 दिसम्बर, 1980 द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत मुख्यालय, इलाहाबाद हेतु महाविद्यालय विकास अधिकारी, उप निदेशक (सांख्यिकीय) एवं सांख्यिकीय रिसर्च आफीसर के तीन पद सृजित किये गये। इन अधिकारियों का कार्य महाविद्यालयों के संबंध में छात्रों के प्रवेश छात्रवृत्ति/नर्सरी, परीक्षा परिणामों, शैक्षिक कार्य संबंधी प्रवृत्तियों, विद्यालयों की खपत, महाविद्यालयों की प्रशासनिक प्रबन्धकीय समस्याओं के बारे में सूचनायें और सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना तथा उसे संकलित करना, इन सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री प्रस्तुत करना है। ये उच्च शिक्षा समस्याओं के प्रसंग में क्षेत्रीय असन्तुलन आदि का आकलन शासकीय अनुदानों के लिये विशेष रूप से अर्ह और अनर्ह महाविद्यालयों की सूची बनाने, अशासकीय महाविद्यालयों की सूची तथा उनमें अध्यापकों, कर्मचारियों व छात्रों के जनपदवार आंकड़े (क्लीयरेन्स) सेवानिवृत्त होने वालों की सूची आदि का कार्य भी देखते हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रम-संख्या	अधिकारियों के पद	वेतनक्रम	संख्या
1	2	3	4
		रु0	
1	शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)	2700–3000	1
2	संयुक्त शिक्षा निदेशक	1660–2300	1
3	उप शिक्षा निदेशक	1360–2125	1
4	सहायक शिक्षा निदेशक	1250–2050	2

उच्च शिक्षा पर वर्षवार होने वाले व्यय का विवरण (लाख रु० में)

(पैमाना : एक इंच 10 करोड़ रु०)

(पैमाना : एक इंच = 1 वर्ष)

उच्च शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक ढाँचा

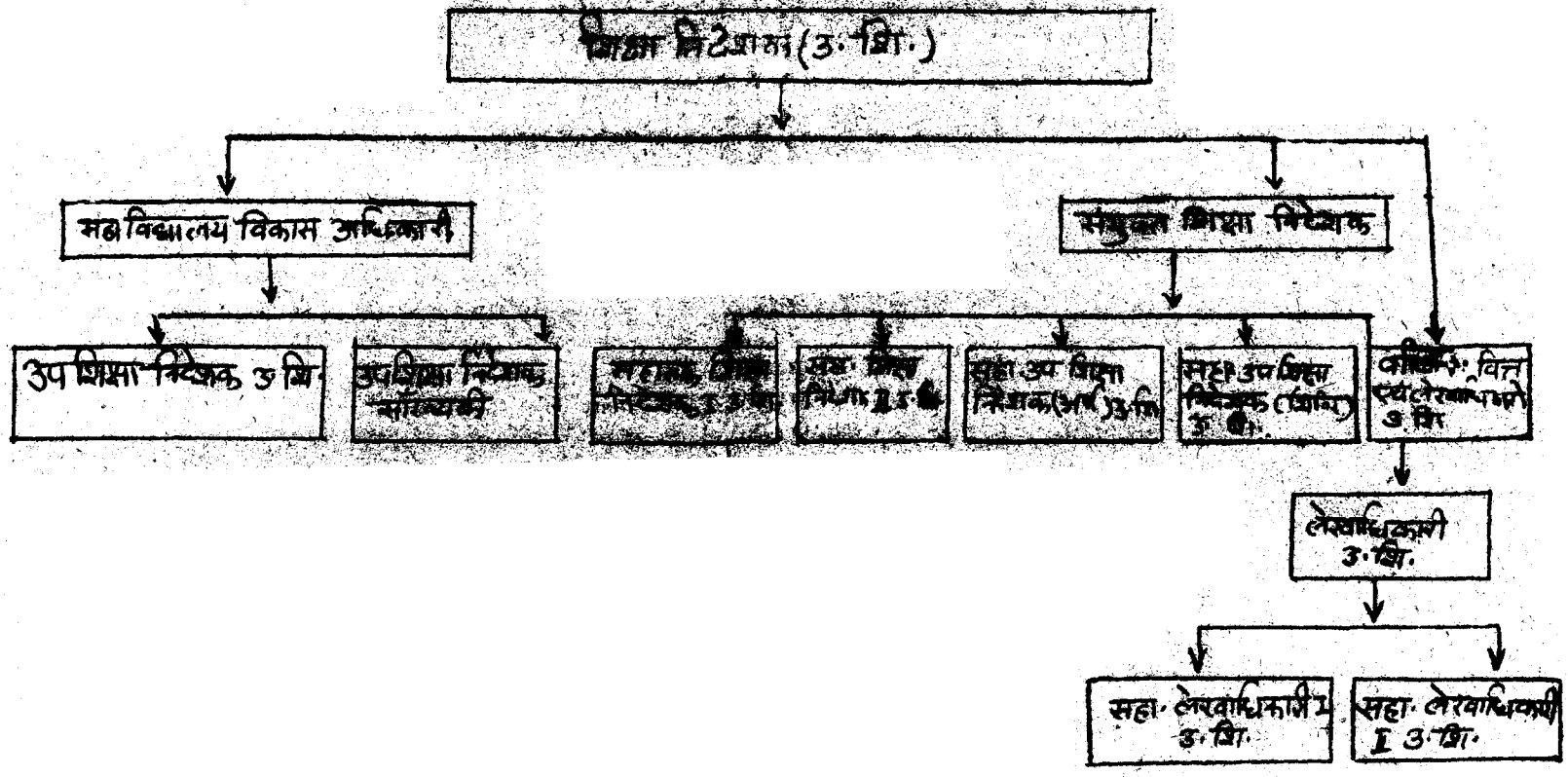

1	2	3	4
		रु०	
5	ज्येष्ठ लेखाधिकारी	1,250–2,050	1
6	लेखाधिकारी	850–1,720	1
7	सहायक [illegible] शिक्षा निदेशक	850–1,720	2
8	सहायक लेखाधिकारी	690–1,420	2
9	अधीक्षक, ग्रेड–1	625–1,360	1
10	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	570–1,100	5
11	अधीक्षक, ग्रेड–2	570–1,100	10
12	आशुलिपिक	515–860	11
13	वरिष्ठ सहायक	515–860	28
14	लेखा परीक्षक	470–735	10
15	वरिष्ठ लिपिक	430–685	29
16	कनिष्ठ लिपिक	354–550	28
17	सवेतन उम्मीदवार	350 नियत	5
18	ड्राइवर	330–495	1
19	चपरासी/अर्दली	305–390	16
20	दफ्तरी	315–440	2
		योग ..	157

राजाज्ञा संख्या 8320/15(1)–23(2)–1978, दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 द्वारा "क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना" नामक योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालय, इलाहाबाद को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित पद स्वीकृत किये गये हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों के पद	संशोधित वेतनक्रम	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	महाविद्यालय विकास अधिकारी	1,500–2,500	1
2	प्रदेश सांख्यिकीय अधिकारी/उपनिदेशक (सांख्यिकीय)	1,250–2,050	1
3	सांख्यिकीय रिसर्च अधिकारी	850–1,720	3
4	आशुलिपिक	515–860	2
5	वरिष्ठ लिपिक	430–685	1
6	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	354–550	3
7	अर्दली/चपरासी/चौकीदार	305–390	4
		योग ..	15

II—विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिये सहायता:—

(हजार रुपयों में)

		1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	..	8,01,68	8,68,61	9,77,50
आयोजनागत	..	5,33,94	40,00	40,00

प्रदेश में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा विधि एवं कला संकायों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये वर्तमान समय में 19 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। जिनमें से 13 विश्वविद्यालय मैदानी क्षेत्र में तथा दो विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्र में और 4 विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त दो डीम्ड विश्वविद्यालय भी हैं इनका विवरण निम्नवत् हैः—

मैदानी क्षेत्र के विश्वविद्यालय

1—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2—अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3—गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5—सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6—काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी।
7—इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
8—कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।
9—बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी।
10—आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।
11—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
12—मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ।
13—रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली।

प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

14—आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
15—चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
16—रुड़की इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
17—पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, नैनीताल।

पर्वतीय क्षेत्र के विश्वविद्यालय

18—कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
19—गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल।

डीम्ड विश्वविद्यालय

1—दयालबाग एजूकेशन इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा।
2—गरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

समस्त अप्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों का प्रसार एवं नियंत्रण तथा उनके अनुरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान स्वीकृत करने का कार्य शासन के शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपर्युक्त कार्य कृषि विभाग द्वारा किये जाते हैं। पवतीय क्षेत्र के विश्वविद्यालयों का प्रसार नियंत्रण एवं उनके अनुरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान स्वीकृत करने का कार्य पर्वतीय विकास अनुभाग द्वारा किया जाता है।

3—राजकीय महाविद्यालय (हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	2,20,42	2,18,58	2,33,48
आयोजनागत	38,29	49,62	55,17

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में कुल 48 राजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं इनमें से मैदानी क्षेत्र में 26 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 22 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनका विवरण निम्नवत् हः—

राजकीय महाविद्यालयों का विवरण

1	2
पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय	मैदानी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय ।
1—फखरूद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर	1—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर, नैनीताल
2—राजकीय महाविद्यालय, हरदोई	2—प्यारे लाल नन्द किशोर गलवलिया राजकीय महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल) ।
3—राजकीय महाविद्यालय, ऊंचाहार (रायबरेली)	3—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (नैनीताल) ।
4—राजकीय महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद, गोहाना (आजमगढ़)	4—मोतीराम बाबू राम राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल ।
5—राजकीय महाविद्यालय, चकिया, वाराणसी	5—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा ।
6—राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली (वाराणसी)	6—राजकीय महाविद्यालय स्यालदे, अल्मोड़ा :
7—राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी	7—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर, अल्मोड़ा ।
8—काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी	8—राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़ ।
9—राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी	9—स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट, पिथौरागढ़ ।
10—राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी (मिर्जापुर)	10—राजकीय महाविद्यालय, बेरीना (पिथौरागढ़) ।
11—राजकीय महाविद्यालय, ओबरा (मिर्जापुर)	11—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर, चमोली ।
12—राजकीय महाविद्यालय, जालौन	12—राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, चमोली ।
13—राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर	13—श्री अनसुइया प्रसाद बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय, अगस्तमुनि, चमोली ।
14—राजकीय महाविद्यालय, चरखारी, हमीरपुर	14—राजकीय महाविद्यालय, वेदीखाल (पौड़ी–गढ़वाल) ।
15—राजकीय महाविद्यालय, महोबा, हमीरपुर	15—राजकीय महाविद्यालय, गेहरीखाल, लैन्सडाउन ।
16—राजकीय महाविद्यालय, ललितपुर	16—डाक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल हिमालय राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार, गढ़वाल
17—राजकीय महाविद्यालय, नोयड़ा (गाजियाबाद)	17—राजकीय महाविद्यालय, चौबटाखाल (पौड़ी गढ़वाल)।
18—राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय (रामपुर)	18—राजकीय महाविद्यालय, चम्बा, टेहरी
19—राजकीय महाविद्यालय, बीसनापुर (पीलीभीत)	19—राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
20—राजकीय महिला महाविद्यालय, देवरिया	20—पंडित ललितमोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश (देहरादून) ।
21—राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर	21—राजकीय महाविद्यालय नारायननगर (पिथौरागढ़) ।
22—राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा	22—राजकीय महाविद्यालय, द्वार।हाट, अल्मोड़ा ।
23—राजकीय महिला महाविद्यालय, कांधला (मुजफ्फरनगर)	
24—राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर	
25—राजकीय महाविद्यालय, देवबन्द, सहारनपुर	
26—राजकीय महाविद्यालय, जलेसर, एटा	

उपर्युक्त राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच महाविद्यालय संघटक महाविद्यालय के रूप में हैं ।

कुमायूं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में	गढ़वाल विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में
1—राजकीय डी0ए स0वी0 डिग्री कालेज, नैनीताल	1—बिड़ला डिग्री कालेज, श्रीनगर, गढ़वाल ।
2—डिग्री कालेज, अल्मोड़ा	2—स्वामी रामतीर्थ डिग्री कालेज, टिहरी–गढ़वाल ।
	3—वी0 गोपाल रेड्डी कालेज, पौड़ी

प्रदेश के राजकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में श्रेणीवार अध्यापकों की संख्या एवं उनके वेतनमान का विवरण निम्नवत् है—

पदों का नाम	वेतनक्रम	राजकीय	अशासकीय
1	2	3	4
1—प्राचार्य	1,500–2,500	18	144
2—प्राचार्य	1,200–1,900	30	209
3—विभागाध्यक्ष (स्नातकोत्तर)	700–1,600	65	266
4—विभागाध्यक्ष (स्नातक)	700–1,600	162	266
5—सीनियर लेक्चरर	700–1,600	50	425
6—प्रवक्ता	700–1,600	748	11,025
7—डिमान्स्ट्रेटर	500–900	..	65
योग ..		1,073	12,400

इसके अतिरिक्त मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों के विकासार्थ कई योजनायें लागू की गई हैं जिनके द्वारा उन महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की ग है। आगामी वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिये भी आवश्यकतानुसार धन की व्यवस्था की गई है, जो निम्न तालिकाओं से स्पष्ट ह—

(हजार रुपयों में)

योजना का नाम	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
1	2	3	4
मैदानी क्षेत्र			
1—राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, वाचनालयों तथा प्रयोगशालाओं में गुणात्मक सुधार तथा प्रांगण विकास की योजना	2,00	2,00	4,50
2—वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा संकायों एवं विषयों का समावेश	9,31	14,03	14,00
पर्वतीय क्षेत्र			
3—वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों एवं प्रयोगशालाओं में गुणात्मक सुधार तथा महाविद्यालयों के प्रांगण विकास की योजना—अन्य व्यय	1,00	1,00	3,00

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत उनमें नये संकायों एवं विषयों के समावेश आवश्यक धन की व्यवस्था की गई, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नये संकायों एवं विषयों को छात्रों के सुविधानुस खोला गया है और जिससे उन महाविद्यालयों में प्रवेश पाये छात्र लाभान्वित होते हैं।

उच्च शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा उसकी जटिल एवं गम्भीर समस्याओं के निराकरण हेतु छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उ शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना नामक एक परियोजना सम्मिलित की गयी है। इस परियोजना के का न्यन के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश की उच्च शिक्षा को सही दिशा में व्यवस्थित करने के लिये उच्च शिक्षा के विकासार्थ एक सूचना प्रण (इन्फारमेशन सिस्टम) स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय शिक्षा सांख्यिकी अध्य कर सुव्यस्थित एवं विकासशील रूप रेखा तैयार किया जाना है प्रयोगात्मक रूप से सर्वप्रथम इस कार्य हेतु—(1) गोरखपुर विश्वविद्य के कार्यक्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना, (2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, झांसी के कार्यालय को सुदृढ़ीकरण, (3) मुख्यालय इलाहाबाद के केन्द्रीय कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु कतिपय राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के पदों का सृ

किया गया है । मुख्यालय, इलाहाबाद के केन्द्रीय कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु सृजित पदों का विवरण—(1) निदेशन और प्रशासन नामक आय-व्ययक शीर्षक में वर्णित किया जा चुका है । क्षेत्रीय कार्यालयों में सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है—

पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1—क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर हेतु—		
1—क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	1,200–1,900 यू० जी० सी० वेतनमान	1
2—सहायक सांख्यिकी अधिकारी	350–700 पुराना वेतनमान	1
3—सांख्यिकी निरीक्षक	280–460 पुराना वेतनमान	1
4—सहायक लेखाधिकारी	960–1,420 नया वेतनमान	1
5—आशुलिपिक	470–735	1
6—प्रधान लिपिक	515–860	1
7—लिपिक/टंकक	350–550	4
8—अर्दली/चपरासी/चौकीदार	305–390	3
	योग ..	13
2—क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी मंडल हेतु—		
1—सहायक सांख्यिकी अधिकारी	625–1,240	1
2—सहायक लेखाधिकारी	690–1,420	1

(IV) अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता–सहायक अनुदान

(हजार रुपये में)

मद	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	30,15,36	33,93,93	33,70,99
आयोजनागत	95,62	1,21,90	1,98,30

वित्तीय वर्ष 1983–84 में अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 353 थी जिसमें पुरुषों के अशासकीय विद्यालयों की संख्या 275 और महिलाओं के अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 78 थी । इन महाविद्यालयों में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 326 थी जिसमें पुरुषों के 256 तथा महिलाओं के 70 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय थे ।

प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय अंचलों के अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं के विकास तथा उनमें गुणात्मक सुधार लाने तथा अशासकीय महाविद्यालयों के प्रांगण के विकासार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों को विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाते हैं, जिसमें उन महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें लाभान्वित होते हैं । इसके अतिरिक्त इन महाविद्यालयों के पुस्तकालयों, उपकरणों साइकिल स्टैण्ड, भूमि एवं भवन की मरम्मत, विद्युत् एवं पेयजल की सुविधा के लिये अनावर्तक अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था है । वित्तीय वर्ष 1984–85 में इस हेतु निम्नांकित तालिका के अनुसार आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है—

(हजार रुपये में)

मद	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
1	2	3	4
1—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के अंशदान तु महाविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं हेतु विकास अनुदान	3,00	3,00	12,00
2—अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को विकास अनुदान (पर्वतीय क्र)	50	1,00	1,00
3—अशासकीय महाविद्यालयों के प्रांगण विकास तथा छात्रावासों में सार हेतु अनुदान	1,00	2,00	50

प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में बी0एड0 तथा एम0एड0 (पुरुष तथा महिला) कक्षायें भी चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैं:-

वर्ष	विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग बी0एड0 तथा एम0एड0 पुरुष तथा महिला सम्मिलित	महाविद्यालयों की प्रशिक्षण संस्थायें			विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग बी0 एड0 तथा एम0एड0		डिग्री कालेज के प्रशिक्षण विभाग।	
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981–82	6	79	22	101	978	990	5240	4180
1982–83	6	79	22	101	1020	1417	7105	4497
1983–84	6	79	22	101	1080	1428	7197	4530

अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों में अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त महाविद्यालयों के विकासार्थ विभिन्न प्रकार के अनुदाने दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है जिससे महाविद्यालयों म कायरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अतिरिक्त उनमें अध्ययम रत छात्र/छात्राय भी लाभान्वित हुए ह। कतिपय प्रमुख योजनायें एवं उनके प्राविधान निम्नवत् हैं:-

(हजार रुपये में)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4	5
1	अशासकीय महाविद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार का अंशदान।	5,59	5,77	5,80
2	स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं विषयों के प्रारम्भ करने हेतु सहायक अनुदान।	78,57	94,60	1,45,50
3	अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान	12,40	21,00	30,00

इस शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 के आय-व्ययक में कुल 5346 हजार रुपये की वृद्धि प्रदर्शित की गई है, जो मुख्यत: गत वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर आवश्यकतानुसार प्राविधान कराये जाने के कारण हैं।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत उपरोक्त योजनाओं एवं आंकड़ों के विवेचन करने के उपरान्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों की संख्या छात्रों की एवं अध्यापकों की संख्या एवं बी0एड0 तथा एम0एड0 एवं डिग्री कालेज, की प्रशिक्षण कक्षाओं की वर्ष 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 की संख्या निम्न तालिका में स्पष्ट की गयी है:—

शिक्षा संस्थायें (सामान्य शिक्षा) एवं छात्र/अध्यापकों की संख्या	उपलब्ध संख्या		
	वर्ष 1981–82	वर्ष 1982–83	वर्ष 1983–84
1	2	3	4
शिक्षा संस्थायें—			
1—विश्वविद्यालय	21*	21*	21*
2—महाविद्यालय सह शिक्षा छात्र	310	313	317
(महिला) छात्रायें	82	84	84

1	2	3	4
3—विश्वविद्यालय छात्र	94127	94934	96765
छात्रायें	27240	28770	29980
4—महाविद्यालय छात्र	300010	297827	317952
छात्रायें	72524	60054	69794
5—विश्वविद्यालय अध्यापक (पुरुष)	5787	5854	5890
(महिला)	991	1006	1017
6—महाविद्यालय अध्यापक (पुरुष)	10826	10271	10369
(महिला)	2464	2340	2359
स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या—			
7—स्नातक स्तर (कुल)	295918	294470	298127
छात्रायें	62140	61641	62225
8—स्नातकोत्तर स्तर (कुल)	87290	86745	87840
छात्रायें	25423	25218	25927
9—विश्वविद्यालय प्रशिक्षण विभाग बी०एड० तथा एम०एड० (पुरुष)	978	1020	1080
(महिला)	990	1417	1428
10—महाविद्यालयों की प्रशिक्षण कक्षायें (बी० एड० तथा एड० एड० (पुरुष)	5240	7105	7197
(महिला)	4180	4497	4530

*नोट:—विश्वविद्यालय के समान मानी गई दो संस्थायें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (आगरा) सम्मिलित हैं ।

V—छात्रवृत्तियां—

(हजार रुपयों में)

मद	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनेतर	49,00	63,79	55,22
आयोजनागत	16,32	8,62	9,36

प्रवेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के परिश्रमी एवं प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने एवं निर्धन तथा मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं बच्चों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने तथा पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को एवं उनके आश्रितों तथा सीमान्त क्षेत्रों या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू०पी०पी०ए०सी० के जवानों एवं पुलिस कर्मचारियों के बच्चों तथा उनके आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने हेतु तथा शेष छात्रों को छात्र-वृत्तियां तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को पुस्तकों की सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के वर्सरियों की व्यवस्था की गई है ।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1984–85 के लिये प्रस्तावित कतिपय प्रमुख छात्रवृत्तियों के विवरण निम्नवत् हैं:–

छात्रवृत्ति/छात्रवेतन के विवरण

(हजार रुपयों में)

क्रम-संख्या	छात्रवृत्तियों का नाम	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान	छात्रवृत्तियों की संख्या एवं दर
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति ।	182	213	213	कुल छात्रवृत्तियों की संख्या 230 है। 75 से 125 रु0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति देय होती है प्रत्येक वर्ष 103 नई छात्रवृत्तियां हाई स्कूल की परीक्षा के आधार पर स्वीकृत होती हैं जो उपरोक्त 230 छात्रवृत्तियों में सम्मिलित रहते हैं, उन छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण प्रगति आख्या के आधार पर नियमानुसार शोध कार्य तक चलता रहता है ।
2	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना	48,75	54,67	46,06	लगभग 750/711 छात्रवृत्तियां भारत सरकार के कोटे के आधार पर इण्टर डिग्री स्तर पर श्रेष्ठता पर प्रत्येक वर्ष नवीनतम रूप में दी जाती है एवं 718/1500 छात्रवृत्तियां नवीनीकृत की जाती है तथा विगत वर्षों का लगभग 2,900 हाई स्कूल स्तर पर स्वीकृत छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण भी किया जाता है। यह धनराशि 90 से 170 रु0 प्रतिमास स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्राविधिक शिक्षा में पढ़ रहे श्रेष्ठता पर छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है।
3	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं और छात्रवृत्तियां	2,91	3,88	3,88	छात्रवृत्तियों एवं पुस्तकीय सहायता की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक छात्रवृत्ति न्यूनतम 30 रु0 प्रति मास तथा पुस्तकीय सहायता न्यूनतम 150 से 180 रु0 वार्षिक प्राविधानित धनराशि के आधार पर स्वीकृत की जाती है। स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियां मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा तथा शोध कक्षाओं में 50 रुपया प्रतिमास की दर से उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत की जाती है।
4	माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां	53	54	54	आचार्य में 50 रु0 तथा शास्त्री में 30 रु0 प्रतिमाह की दर से 68 छात्रवृत्तियां निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत की जाती है।
5	विश्वविद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्रवेतन तथा पुस्तकों की व्यवस्था।	1,70	1,70	1,70	30 रु0 मासिक 12 मास के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक पाने पर योग्यता क्रम में मंडलीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है ।
6	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्तियां तथा पुस्तकों की व्यवस्था	59	60	60	300 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास 150 छात्रवृत्ति बी0ए0, बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष तथा 150 छात्रवृत्तियां द्वितीय वर्ष में छात्र छात्राओं को श्रेष्ठतानुसार प्रदान की जाती है ।

1	2	3	4	5	6
7	इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली में शोध करने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां ।	28	29	29	2 छात्रवृत्तियां 300 रु0 प्रतिमास इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज नई दिल्ली में शोध रत छात्रों को 300 रु0 प्रतिमास की दर से 3 साल के लिये छात्रवृत्तियां देय है ।
8	वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ।	..	3	3	छात्रवृत्तियों की संख्या निश्चित नही है । प्रत्येक छात्रवृत्ति 85 रु0 से 90 रु0 प्रतिमास तक वृत्ति का तथा न्यनतम 112 रु0 से 115 रु0 तक पुस्तकीय सहायता निदेशालय से स्वीकृत की जाती है ।
9	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों को छात्रवेतन ।	8	9	9	19 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास की दर से मंडलीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाती है ।
10	सीमान्त क्षेत्रों या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू0 पी0, पी0ए0सी0 जवानों व सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को छात्रवृत्तियां एवं पुस्तकों की सहायता ।	..	3	3	60 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास, 30 छात्रवृत्तियां प्रथम वर्ष एवं 30 छात्रवृत्तियां द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को बी0ए0,बी0एस0 सी0 एवं बी0काम0 में प्रदान की जाती है ।
11	1971 के पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को शैक्षिक सुविधायें ।	..	11	11	लगभग 33 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास की दर से 12 माह के लिये स्वीकृत होती है ।
12	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को अतिरिक्त वर्सरी/छात्र वृत्तियां	8,05	7,26	8,00	शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि को विश्वविद्यालयों के तथा महाविद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु विश्वविद्यालयों को धनराशि दी जाती है ।
13	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा ।	86	88	88	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों/पुत्र/पुत्रियों को स्नातक/स्नातकोत्तर पर 20 रु0 से 35 रु0 प्रतिमास की शुल्क की प्रतिपूर्ति एवं 200 रु0 से 250 रु0 तक लेखन सामग्री एवं पुस्तकीय सहायता प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत किया जाता है ।
14	सीमा सुरक्षा दल के कर्मियों के बच्चों एवं आश्रितों को शैक्षिक सुविधा ।	..	1	1	तदैव
15	वीरगति प्राप्त हुये अथवा अंगहीन प्रतिरक्षाकर्मचारियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था ।	..	6	6	तदैव
16	भारत की सुरक्षा में सीमावर्ती क्षेत्रों में वीरगति प्राप्त प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के जवानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ।	..	3	3	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों/पुत्रों/पुत्रियों को स्नातक/स्नातकोत्तर पर 20 रु0 से 35 रु0 प्रतिमास एवं 200 रु0 से 250 रु0 तक लेखन सामग्री एवं पुस्तकीय सहायता प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत किया जाता है ।

1	2	3	4	5	6
17	लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा विद्यालय में प्रवेश विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां।	3	4	4	बी0पी0ई0 कोर्स में अध्यापक के लिये 300 रु0 प्रतिमास की 9 छात्रवृत्तियां तथा एम0 पी0ई0 कोर्स में अध्ययन के लिये 500 रु0 मात्र वार्षिक की एक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
18	सामरिक क्षेत्रों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।	..	6	6	ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को स्नातक प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में 20 रु0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति 12 माह हेतु दी जाती है। संख्या निर्धारित नहीं है।
19	सन् 1962, एवं 1965 के युद्धों में मारे गये अथवा स्थायी रूप से अपंग तथा 1971 के युद्ध में बन्दियों एवं लापता घोषित प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों/विधवाओं को सुविधायें।	2	..	4	लगभग 16 छात्रवृत्तियां 20 रु0 प्रतिमास की दर से स्नातक प्रथम तथा द्वितीय को 12 माह हेतु दी जाती है।

VI—पुस्तकों की प्रोन्नति—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
आयोजनागत	1,00	1,00	1,00

केन्द्र द्वारा पुरोविधानित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एवं स्वायत्त निगम की स्थापना की गई है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी माध्यम में अनेक विषयों पर पाठ्य ग्रंथों के प्रकाशनार्थ पंचम पंचवर्षीय योजना में हिन्दी साहित्य के सृजन हेतु एक स्वायत्त निगम की स्थापना की गई थी।

इसका सम्पादन एवं नियंत्रण शासन स्तर से किया जाता है।

VII—अन्य व्यय—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेतर	77.50	78,14	81,66
आयोजनागत	40,99	11,57	26,40

इस शीर्षक के अन्तर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उनके सेवा निवृत्त होने के पश्चात् पेन्शन प्रदान करने हेतु एवं विभिन्न शैक्षिक साहित्यिक एवं अन्य संस्थाओं का उनके विभिन्न क्रिया-कलापों हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान देने हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है । वित्तीय वर्ष 1984–85 में कतिपय प्रमुख अनुदानों का विवरण निम्नवत् है:—

(हजार रुपयों में)

क्रम-संख्या	संस्थाओं का नाम/अनुदानों की मदें	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4	5
1	पेंशन एवं ग्रेच्युटी	12,49	13,00	14,00
2	अशासकीय विशेष विद्यालयों को अनुदान	1,95	..	..
3	भारतीय विद्यार्थियों के यूनियन और छात्रावास लन्दन को अनुदान ..	..	5	5
4	हिन्दुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश, को अनुदान	1,00	1,00	1,00
5	कालविन तालुकेदार स्कूल और ट्रेनिंग कालेज को अनुदान ..	25	25	25
6	विदेश जाने वाले छात्रों को यात्रा व्यय	22	50	50
7	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद को अनुदान	12	12	12
8	साहित्यिक विकास	2,48	2,60	2,60
9	नागरी प्रचारिणी सभा एवं चौखम्भा संस्कृत सीरीज को अनुदान ..	10	10	10
10	अखिल भारतीय काशी राज ट्रस्ट को अनुदान	25	50	50
11	गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी को सहायक अनुदान ..	3,50	4,90	5,50
12	उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान	27,92	25,01	23,85
13	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों तथा सेमिनारों में भाग लेने के लिये अनुदान	2,13	1,25	1,25
14	प्राद नामिनेशन फण्ड को अनुदान (अनुरक्षण)	1	1	1
15	भारतीय मानक शास्त्र समिति को अनुदान	1	1	1
16	विज्ञान परिषद् को अनुदान	2	2	2
17	कतिपय विद्यालयों के लिये अनुदान	15	15	15
18	ईश्वरी प्रसाद ऐतिहासिक संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री) इलाहाबाद को अनुदान (आवर्तक)	20	20	20
19	गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद को अनुदान	3,50	2,50	4,00
20	उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को अनुदान	15,71	14,61	16,08
21	मेहता गणित तथा गणित शोध संस्थान, भरवारी, जिला इलाहाबाद को अनुदान (आवर्तक)	1,00	1,00	1,00
22	बिरबल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ को अनुदान	5	5	5
23	संस्कृत विज्ञान परिषद् को अनुदान	10	5	5
24	उच्च कोटि के पुस्तकों के प्रकाशन के लिये एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था ..	1,00	1,00	1,00
25	उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित उन संस्थाओं को अनुदान जो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिये रहने और भोजन की व्यवस्था करती हैं ।	6	6	6
26	गिरी इन्स्टीट्यूट को अनुदान	4,90	1,80	4,75
27	सैनिक स्कूल सोसायटी को उसके स्कूलों के अनुरक्षण तथा संचालन निधि के लिये अनुदान ।	18,73	13,88	15,24

1	2	3	4	5
28	सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, नैनीताल को जलसम्पूर्ति व्यवस्था के रख-रखाव हेतु अनुदान।	40	45	48
29	नृवंश तथा लोक संस्कृति समिति, लखनऊ को अनुदान	2	2	2
30	उत्तर प्रदेश इतिहास समिति को अनुदान	4	4	4
31	लखनऊ विश्वविद्यालय की उर्दू सोसाइटी को अनुदान	4	4	4
32	उच्च शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रदर्शनियों का आयोजन	..	5	10
33	स्नातक स्तर पर मेधावी छात्रों को प्रादेशिक स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना।	..	17	30
34	नई शिक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन	..	..	1000

1—पेंशन—

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से राजकीय दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। परन्तु 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होने के पक्ष में विकल्प देने वाले शिक्षकों को आनुतोषिक प्रदान किये जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है। उक्त सुविधा के पक्ष में विकल्प न देने वालों के लिये अन्य दो विकल्प और हैं (1) लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन (2) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अनुरूप अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा/प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी राजकीय दर से पेंशन एवं लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है।

27—पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	2,43	2,52	2,74
आयोजनागत	96	1,80	20

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एवं प्राचीन पुस्तकालय है। इसकी स्थापना लगभग 120 वर्ष पूर्व सन् 1863–64 में हुई थी। पुस्तकालय में लगभग सभी विषयों एवं भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण हस्त लिखित ग्रन्थ भी मौजूद हैं जिसका उपयोग सामान्य पाठकों के अलावा देश-विदेश के छात्र भी करते हैं। वर्ष 1975–76 में प्रान्तीय करण के उपरान्त इस पुस्तकालय की लोक प्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः पुस्तकालय में संग्रहीत पाठ्य-सामग्री के संरक्षण का कार्य तथा पुस्तकालय सेवा का विस्तार आधुनिकतम तकनीकी विद्यालय के अनुसार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तथा पाठकों को दी जाने वाली सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। शनैः शनैः पुस्तकालय में हिन्दी अंग्रेजी एवं उच्चतर विषयों एवं यूरोपियन भाषा के साथ बंगला, उर्दू, अरबी, फारसी की अत्यन्त महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री संग्रहीत होती जा रही है। शोध स्तर के इस पुस्तकालय में अत्यन्त दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। यहां संग्रहीत सामग्री के एक बड़े भाग को वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण देने के लिये आधुनिक तकनीकी से कार्य किया गया है, जिससे पाठकों को विशेष सुविधायें मिली हैं।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन क्रमानुसार विवरण निम्नवत् है:—

क्रम-संख्या	अधि0/कर्म0 के पद नाम	वेतन क्रम	पदों की संख्या	
1	2	3	4	
		रु0		
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	550–1,200	1	(पुराना वेतन क्रम)
2	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	400–750	1	
3	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	250–425	2	
4	कार्यालय अधीक्षक	515–840	1	
5	वरिष्ठ लिपिक	430–685	2	
6	लिपिक कैटलाग	354–550	3	
7	कनिष्ठ लिपिक (टंकक)	354–550	1	
8	प्रति छायांकन सहायक	354–550	1	
9	लैंडिंग सहायक	354–550	2	
10	दफ्तरी	315–440	1	
11	पुस्तक प्रदाय	165–215	5	(पुराना वेतन मान)
12	गैटमैन	305–390	2	
13	अर्दली/चपरासी	305–390	1	
14	चौकीदार	305–390	1	
15	जमादार	305–390	1	
16	फर्राश–कम–माली	305–390	1	
		योग ..	26	

(च) क्रीड़ा एवं युवक कल्याण

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर (मतदेय) ..	4,36,29	4,66,79	5,09,32
(भारित) ..	..	5	5
आयोजनागत ..	29,64	50,31	62,21

इस शीर्षक में युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान के प्राविधान सम्मिलित हैं।

(III) युवक कल्याण योजनायें :

(1) विद्यार्थियों के लिये सैन्य प्रशिक्षण—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर ..	2,81	3,23	3,38

इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न युवक कल्याण कार्यक्रम संचालित होते हैं।

(२) नेशनल फिटनेस कोर योजना—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	65,01	70,40	73,57

राष्ट्रीय स्वस्थता दल योजना का संचालन पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता था । इस योजना में कार्यरत 766 अनुदेशक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पदस्थित हैं । इन अनुदेशकों की सेवाओं को दिनांक 1 जुलाई 1976 से प्रदेशीय सेवा में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के नाम से सृजित नवीन संवर्ग में विलीन कर दिया गया है । इस शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के सेवा सम्बन्धी कार्य सहायक शिक्षा निदेशक (एन0 एफ0 सी0) द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जाता है ।

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा के लिये शारीरिक क्षमता, सहनशीलता, कठोरता, साहस, अनुशासन एवं देश भक्ति के प्रति उत्साह पैदा करते हुये नवयुवकों को शारीरिक दृष्टि से मजबूत और लचीला बनाना है । छात्रों में जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्य को समझना और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा करता है ।

इसके अतिरिक्त युवक कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय क्रिया-कलापों की व्यवस्था की गई है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमुख योजनायें भी हैं जिनके कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक मद के सम्मुख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1984–85 में की गई है :—

(हजार रुपयों में)

योजना तथा मदों का नाम	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4
1—राष्ट्रीय सेवा योजना को सामान्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	5,38	41,23	43,20
2—केन्द्र सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों का कार्यान्वयन	3,78,42	3,85,80	3,71,77
3—राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजना	3,78,42	3,85,80	3,71,77
4—राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कार्यक्रम	..	42	43
5—शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति	..	3,00	3,00
6—खेल-कूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था	3,74	44	44
7—अपना देश तथा प्रदेश जानों योजना	96	1,00	1,00
8—प्रतिभावान छात्र खिलाड़ियों को छात्र वृत्ति	4,15	4,32	4,47
9—राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना	1,31	1,68	9,85
10—विद्यालयों में पाठ्य सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना	41	2,50	2,50
11—पूर्व माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में बालचर योजना का विस्तार	1,60	1,57	2,00
12—स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया को आवर्तक अनुदान	10	10	10
13—अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं पर व्यय	..	35	35
14—राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व प्रदेशीय टीम के छात्र/छात्रा खिलाड़ियों का प्रशिक्षण	79	1,25	1,25
15—प्रारम्भिक स्तर पर खेल-कूद तथा किशोर कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन	..	7,54	7,6[illegible]

(3) राष्ट्रीय सेना छात्र दल—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर (मतदेय)	3,68,37	3,32,80	3,68,77
(भारित)	..	5	5
आयोजनागत	10,05	3,00	3,00

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकांश कालेजों में विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है।

(4) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान कार्यक्रम—

हर वर्ष प्रत्येक वर्ग के सभी पुरुषों और स्त्रियों को अपनी शारीरिक कुशलता को परखने तथा सुधारने का अवसर देने का मुख्य उद्देश्य इस योजना के अन्तर्गत निहित है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शारीरिक दक्षता की आवश्यकता को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय कुशलता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने की मनोवृत्ति पैदा करने के लिये भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1959–60 में संचालित की गई थी।

(5) शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति—

प्रदेश के छात्र/छात्राओं के खेल-कूद के कार्यक्रमों में रुचि उत्पन्न करने, मनोबल को ऊंचा उठाने एवं उनके शारीरिक, मानसिक एवं चरित्र निर्माण का विकास करने एवं उनमें कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है।

(6) खेल-कूद तथा विद्यालय के बाहर शैक्षिक कार्यक्रम तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था—

इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल-कूद, पाठ्येतर कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि, शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ, चरित्र निर्माण, सहयोगी जीवन के प्रति सद्भावना तथा कर्तव्यनिष्ठा की भावना जागृत करना है। इसके अन्तर्गत जनपदीय, सम्भागीय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की खेल-कूद प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाता है।

(7) अपना देश तथा प्रदेश जानो योजना के अन्तर्गत उत्साही छात्रों के भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन होता है।

(8) प्रतिभावान छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के स्तर के अनुसार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(9) प्रतिभावान छात्र/छात्रा खिलाड़ियों के उन्नति एवं खेल-कूद के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से फैजाबाद में एक खेल-कूद के कार्य को देखने के लिये राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना की गई है।

(10) अखिल भारतीय खेल-कूद फेडरेशन को उसके कार्यक्रमों के संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रति वर्ष दस हजार का अनावर्तक अनुदान दिया जाता है।

(11) बालचर योजना के विकास हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 400 रुपया प्रति विद्यालय की दर से प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

(13) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व उत्तर प्रदेश की प्रदेशीय टीम के छात्र/छात्राओं का 10 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

(14) कक्षा 8 तक के छात्रों/छात्राओं के खेल-कूद स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारम्भिक स्तर पर खेल-कूद तथा किशोर कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन नामक योजना का संचालन किया गया है।

छ—सामान्य—

1—छात्रवृत्तियां एवं अन्य व्यय

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय–व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,22	24	24
आयोजनागत	5,00,00	..	56,25

इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्न छात्रवृत्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान किया गया है :

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	योजनाओं के नाम	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	राष्ट्रीय सैनिक विद्यालय, देहरादून में छात्रवृत्तियां	15	15	15
2	ढोलपुर और अजमेर के मिलिटरी कालेजों में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति	2	2	2
3	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खडकवासला में उत्तर प्रदेश के छात्र सैनिकों के लिये छात्रवृत्तियां तथा छात्र-वेतन	7	7	7

278—कला एवं संस्कृति—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	1,24	1,60	1,60
आयोजनागत	..	1,00	1,00

(ग) कला एवं साहित्य की प्रोन्नति नामक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कला एवं साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो अभाव से ग्रस्त हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है ।

288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण—

(हजार रुपयों में)

	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	2,88,94	2,69,74	2,82,53
आयोजनागत	3,20,14	5,19,98	..

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु शासन ने कतिपय योजनायें चलाई हैं । शिक्षा विभाग के अधीन उनके लिये एक अलग लेखा शीर्षक "288–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" नामक योजनान्तर्गत वर्ष 1984–85 में कुल 28,253 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जाता है :

(हजार रुपयों में)

क्रम-संख्या	शीर्षक	1982–83 वास्तविक व्यय	1983–84 पुनरीक्षित अनुमान	1984–85 आय-व्ययक अनुमान
1	2	3	4	5
1	अनुसूचित जन-जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालक/बालिकाओं की फीस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान	7,11	55	55
2	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के बालक/बालिकाओं की फीस हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान	4	10,00	10,00

1	2	3	4	5
3	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ट्राइबल प्लान (जिला योजना)	26,71	46,63	47,39
4	मेहतरों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् को अनुदान	3,26	6,28	6,28
5	अनुसूचित जन-जातियों के बालकों/बालिकाओं को कक्षा 1–5 तथा 6–8 में छात्र-वृत्तियां तथा अनावर्तक आर्थिक सहायता	1,99	3,63	3,0
6	अध्यापक–छात्र अनुपात को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों के अतिरिक्त अध्यापकों जिनमें उर्दू अध्यापक भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति	3,61	1,12,79	1,18,43
7	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता (जिला योजना)	1,39	8,28	8,28
8	पिछड़ी जातियों के पूर्व माध्यमिक शिक्षा स्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता	75,82	6,98	4,40
9	आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता (जिला योजना)	6,27	1,64	1,63
10	ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों तथा बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा उनके भवनों के निर्माण हेतु अनुदान (जिला योजना)	3,10,81	1,68,12	81,57
11	ट्राइबल प्लान राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को हाई स्कूल स्तर पर उन्नयन तथा नये हाई स्कूलों का खोला जाना	4,60	7,83	..
12	जन-जाति सब प्लान ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान (जिला योजना)	32,64	53,60	..
13	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान (जिला योजना)	3,57	90,05	..
14	ग्रामीण क्षेत्र में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता लाने हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान (जिला योजना)	4,20	443,	..
15	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वय वर्ग 6–14 के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	6,66	49,70	..
16	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वय वर्ग 6–14 के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	4,59	82,56	..
17	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान (जिला योजना)	80,50	41,47	
18	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था हेतु अनुदान (जिला योजना)	1,59	8,18	..
19	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षर केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना)	14,32	85,03	..
20	नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	463	11,45	..
21	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान (जिला योजना)	27	2,89	..
22	ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज–सज्जा हेतु अनुदान (जिला योजना)	12,75	4,03	..
23	जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान (जिला योजना)	6	6,48	..

1	2	3	4	5
24	सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा के रख-रखाव हेतु अनुदान (जिला योजना)	6	2,76	..
25	राजकीय हाई स्कूलों का इन्टर तक उच्चीकरण	5	9,86	..
26	ट्राइबल प्लान ग्रामीण क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा उनके भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	..	1,50	..

पूंजी लेखा—

677—शिक्षा-कला एवं संस्कृति के लिये ऋण

(हजार रुपये में)

	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 पुनरीक्षित अनुमान	1984-85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	33,54	68,67	69,00
आयोजनागत	..	..	..

इस शीर्षक में सामान्य शिक्षा के लिये 3243 ऋण छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है । यह छात्रवृत्ति 50रु० प्रतिमाह एवं छात्रावास के छात्रों को 60रु० प्रतिमाह की दर से दी जाती है । यह छात्रवृत्ति हाईस्कूल के पश्चात् उच्च कक्षा में अध्ययन करने वाले सुयोग्य प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है ।

इस छात्रवृत्ति को अर्हता हेतु अन्तिम परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा अभिभावकों की आय 6,000 रु० वार्षिक से कम होना आवश्यक है । छात्र के सेवायोजित हो जाने के एक वर्ष के पश्चात् अथवा पढ़ाई छोड़ने के तीन वर्ष के पश्चात् ऋण के रूप में दी गई धनराशि की वसूली आरम्भ होती है । शारीरिक अस्वस्थता तथा अन्य कारणों से ऋण की माफी का भी प्राविधान है । इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण छात्र/छात्राओं के दस अंश माफ करने का भी प्राविधान है जिन्होंने अध्यापन-कार्य अपना लिया है । सबसे अधिक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होते हैं । इस योजनान्तर्गत बी० ए० तथा बी० एस-सी०, बी० एड०, एम० बी० बी० एस०, एल० एल० एम०, बैचलर आफ इंजीनियरिंग, आदि के विद्यालयों के स्कालर को 75रु० प्रतिमाह से लेकर 100रु० प्रतिमाह तक तथा छात्रावासी को 110रु० से लेकर 135रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति योग्यतानुसार अनुमन्य है ।

688—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये ऋण—

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण सामान्य शिक्षा ।

(भारत सरकार की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत छात्रों को ऋण)

(हजार रुपये में)

	1982-83 वास्तविक व्यय	1983-84 पुनरीक्षित अनुमान	1984-85 आय-व्ययक अनुमान
आयोजनेत्तर	9	..	..
आयोजनागत	..	..	..

अनुदान संख्या 71—लेखा शीर्षक—477—शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

	वर्ष 1982-83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983-84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984-85 का आय-व्ययक अनुमान
आयोजनागत	25,51	3,10	51,36

अनुदान संख्या 72—लेखा शीर्षक 259—सार्वजनिक निर्माण कार्य (2) निर्माण अनावासिक भवन (शिक्षा)

	वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत	38	36	36

अनुदान संख्या 72—लेखा शीर्षक 459—सार्वजनिक निर्माण विभाग—अनावासिक भवन—शिक्षा

	वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत	4,26	40	30

अनुदान संख्या 74—लेखा शीर्षक 277—शिक्षा—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)—1—सामान्य भवन

	वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत	..	59	..

अनुदान संख्या 74—लेखा शीर्षक 477—शिक्षा—शिक्षा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

	वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत	2,26,91	1,42,67	81,98

अनुदान संख्या 33—लेखा शीर्षक 299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र—पर्वतीय क्षेत्र (ग) शिक्षा

	वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत	10,89,66	13,11,85	14,23,51

अनुदान संख्या 33—लेखा शीर्षक 299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय—क—पर्वतीय क्षेत्र का विकास—1—सार्वजनिक निर्माण विभाग (क)—भवन—3—शिक्षा

	वर्ष 1982–83 का वास्तविक व्यय	वर्ष 1983–84 का पुनरीक्षित अनुमान	वर्ष 1984–85 का आय–व्ययक अनुमान
आयोजनागत	..	3,20,00	90,22

पी० एस० यू० पी०—54 शिक्षा—बजट साहित्य—27–2–84—1,800 प्रतियां (हिन्दी)।

NIEPA DC
D01044

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.....
Date.....

छात्र वृत्तियों पर व्यय
(रुपये लाख में)

इलाहाबाद
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री उत्तर प्रदेश (भारत)
1984